राजस्थान विधान सभा

नवम् बैठक, बुधवार, दिनांक–१२ दिसम्बर, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्हपूर्व ११.१७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८२

जोधपुर में मेसर्स चायना फायर वर्क्स को बारूद के बने पटाखे रखने का लाइसेंस

श्री अध्यक्ष—श्री सन्तोषसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित)

(प्रश्नकर्त्ता महोदय के अनुपस्थित होने के कारण श्री चांदमल मेहता के खड़े होने पर)

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर देने को तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित हैं, किन्तु पब्लिक इन्ट्रेस्ट में भले ही आप उत्तर दे दीजिए।

प्रश्न

क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्नका उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर में मेसर्स चायना फायर वर्क्स को कितने पौंड बारूद व बारूद के बने हुए पटाखे एक साथ एक समय रखने का लाइसेन्स दिया हुआ है ?

(ख) किस मास की कौनसी तारीख को कौन कौन से पुलिस अधिकारी व कर्मचारी इस दुकान के बारूद व पटाखों के स्टोक को चेक करने के लिए गए और किस किस किस्म का कितना बारूद व पटाखें लाइसेन्स में मन्जूर शुदा तादाद से अधिक कितने रुपयों की कीमत का प्राप्त हुआ ?

Page No 2

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

(ग) क्या उस अधिक बारूद व पटाखों के मिलने में उसी दिन का बेचा हुआ बारूद भी शामिल था ?

(घ) पुलिस अधिकारियों ने, जो अधिक बारूद मिला, उसको सील किया या सारी दुकान को ? यदि हां, तो किस कानून से ?

(ङ) जो बारूद ज्यादा मिला वह इस वक्त किस स्थान पर किसके कब्जे में है ?

(च) पुलिस ने किस स्थान पर किसके हुक्म से कितना बारूद कितनी कीमत का जला दिया ?

(छ) उपरोक्त फर्म के प्रोप्राइटर को पुलिस ने कितने दिनों बाद किस तारीख को पूछ-ताछ के लिए थाने में बुलाया और किस तारीख को गिरफ्तार किया ?

(ज) किस तारीख को उसको हथकड़ी डाल कर सारे शहर में फिराने का पुलिस का क्या प्रयोजन था ?

(झ) उपरोक्त फर्म का प्रोप्राइटर इस वक्त कहां है ? क्या उसकी जमानत ली गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—मैसर्स चायना फायर वर्क्स को निम्नलिखित लाइसेन्स दिए हुए हैं :

१. ५० पौंड्स फायर वर्क्स और २०० पौंड चाइनीज़ क्रेकर्स सरदारपुरा स्थित दुकान में रखने और बेचने का लाइसेन्स जिला दण्डनायक, जोधपुर द्वारा दिया गया।

२. २०० पौंड फायर वर्क्स और १००० पौंड चाइनीज़ क्रेकर्स रायपुरा हाउस स्थित दुकान में रखने और बेचने का लाइसेन्स इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोज़िव, आगरा द्वारा दिया गया।

३. २०० पौंड फायर वर्क्स और १००० पौंड चाइनीज़ क्रेकर्स और स्पार्कलर्स कपड़ा बाज़ार में स्थित दुकान में रखने और बेचने का लाइसेन्स इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोज़िव, आगरा द्वारा दिया गया।

(ख) उपरोक्त दुकानों का निरीक्षण क्रमशः १६-६-५६, २३-६-५६ और १४-६-५६ को श्री जे० के० बालानी, असिस्टेण्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस तथा सम्बन्धित पुलिस थानेदारों द्वारा किया गया। इन दुकानों में लाइसेन्स से अधिक मात्रा में सामान मिला जिसका विवरण इस प्रकार है :

[श्री रामकिशोर व्यास]

स्थित दुकान	अधिक सामग्री	प्राप्य सामग्री	अधिक
१. सरदारपुरा	१. फायर वर्कस ५० पौंड	पौंड	पौंड
	२. चायना क्रेकर्स २०० ,,	१००३॥	७५३॥
२. रायपुर हाउस	१. फायर वर्कस २०० ,,	३८००	३६००
	२. चायना क्रेकर्स १०००		
३. कपड़ा बाजार	१. फायर वर्कस २०० ,,	३३५।	१३५।
	२. चायना क्रेकर्स १०००		

अधिक प्राप्त सामग्री की कीमत मालूम नहीं होने से नहीं दी जा सकती।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय एक्सप्लोज़िव एक्ट, १८८४ और एक्सप्लोज़िव रूल्स के अनुसार इन दुकानों को चेपा लगाया गया था।

(ङ) कपड़ा बाजार में स्थित दुकान से बरामद किया गया बारूद लाइसेन्सदार को उसके दो हजार रुपये की जमानत देने पर लौटा दिया गया, अन्य दो स्थानों से बरामद हुआ बारूद अभी तक चेपा लगाया हुआ (सील्ड) पड़ा है। केवल निषिद्ध बारूद वहां से इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोज़िव द्वारा नष्ट किया जाने के लिये हटाया गया था।

(च) पुलिस ने कोई बारूद न तो नष्ट ही किया और न जलाया ही। निषिद्ध बारूद जो तोल में १६०२ पौंड ८ औंस था, इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव, आगरा द्वारा चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव, दिल्ली की पूर्व अनुमति से धारा १०७ भारतीय एक्सप्लोजिव रूल्स के अनुसार एक प्रथम श्रेणी दण्डनायक की उपस्थिति में सूरसागर क्षेत्र में नष्ट किया गया।

(छ) उन्हें पुलिस में पूछताछ के लिए कभी नहीं बुलाया। वे तारीख ६-१०-५६ को गिरफ्तार किये गये।

(ज) उन्हें गिरफ्तारी के बाद शहर में नहीं बुलाया गया। तारीख ७-१०-५६ को धारा १६७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत रिमान्ड प्राप्त करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, जोधपुर के निवास स्थान पर अवश्य ले जाया गया क्योंकि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी थी।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(झ) उपरोक्त फर्म के प्रोप्राइटर को सेशन्स जज द्वारा तारीख २५-१०-५६ को जमानत पर छोड़ा गया।

श्री संतोषसिंह कछवाहा— क्या जो सामान मिला है, उसको लाइसेन्स से और जो रिकार्ड मेन्टेन किया जाता है, उससे जांच लिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं समझा नहीं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या उन किताबों से उस सामान का मुकाबला कर लिया गया था जो कि मेन्टेन किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—लाइसेन्स के अनुसार ही सामान दुकान में रखने के लिये दिया गया था, इससे ज्यादा सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मेरा प्रश्न यह है कि उस लाइसेन्स के अलावा जो रिकार्ड मेन्टेन करते हैं, कानून के तहत, उससे लाइसेन्स और सामान को वेरीफाई कर लिया गया था कि वह उतना ही माल है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो नहीं बताया जा सकता कि उस वक्त कितना कितना सामान था।

श्री संतोषसिंह कछवाहा— जो चीजें एट दी स्पोट थीं, उनके लिये तो एसर्टेन कर सकते थे ?

श्री रामकिशोर व्यास— वह तो अब भी मौजूद है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि उससे ज्यादा सामान था जो कि लाइसेंस के मुताबिक होना चाहिए। सामान के बिकने के कारण ऑलरेडी कुछ सामान का आर्डर बुक कर दिया गया था और दुकान में जगह न होने से वह मालगाड़ी में पड़ा था ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी नहीं।

श्री जगतसिंह झाला—क्या इसकी जांच कर ली गई है कि जो सामान बुक करा पड़ा था वह बिका नहीं था।

श्री रामकिशोर व्यास— जी हां।

श्री अर्जुनदास—Was the licence for entirely 1,200 or it was for 200 plus 1,000 ?

श्री रामकिशोर व्यास—200 plus 1,000.

श्री अर्जुन दास—Was it specifically for 200 plus 1,000 or 1,200 lumpsum ?

श्री रामकिशोर व्यास—2,00 lbs. fireworks and 1,000 Chinese crackers.

श्री अर्जुन दास—When was the man arrested ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने डेट बता दी है आपको।

श्री अर्जुनदास—Was he actually handcuffed and produced before a magistrate about seven miles away ?

श्री रामकिशोर व्यास—उन्हें शहर में नहीं लाया गया, बल्कि ७. १० ५६ को धारा १६७ सी आर. पी. सी. के अन्तर्गत रिमान्ड प्राप्त करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, जोधपुर के निवास स्थान पर ले जाया गया।

श्री अर्जुनदास—Were there three magistrates available in the locality ?

श्री रामकिशोर व्यास—I could not follow.

श्री अर्जुनदास—Were there three magistrates in Sardarpura ?

श्री रामकिशोर व्यास—Magistrates having jurisdiction will deal in the matter.

श्री अर्जुनदास—Was the man taken on foot before the Magistrate with handcuffs on ?

श्री रामकिशोर व्यास—I have already given the dates.

श्री अध्यक्ष—He wants to know whether the man was handcuffed and was paraded to the Magistrate's residence ?

श्री अर्जुनदास—on foot,

श्री रामकिशोर व्यास—After arrest it is the discretion of the Police that they may not handcuff a man or may handcuff him.

Page No 6

श्री अर्जुनदास—The police can as well harass us by handcuffing a respectable man.

श्री अध्यक्ष—This is their discretion.

श्री रामकिशोर व्यास—They can handcuff.

श्री संतोषसिंह् कछवाहा—यह क्वेश्चन के भाग 'च' में पूछा है।

श्री सैयद अब्बास अली—क्या यह सच है कि जो सामान असिस्टेन्ट की शादी में जलाया गया वह इसी दुकानदार के यहां का था ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री अध्यक्ष—किसकी शादी में ?

श्री सैयद अब्बास अली—असिस्टेन्ट की शादी में जो सामान जलाया गया और जिसकी वजह से कुछ जख्मी हो गए और अस्पताल में हैं, तो क्या वह सामान इसी दूकानदार के यहां का था ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री संतोषसिंह् कछवाहा—क्वेश्चन 'ज' के अन्दर जो उत्तर दिया गया है वह पूरा नहीं दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—पूरा उत्तर दिया है, आपके ना फर्माने पर भी दिया है।

श्री संतोषसिंह् कछवाहा—यह नहीं बताया गया कि उसी दिन का बेचा हुआ बारूद भी शामिल था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री संतोषसिंह् कछवाहा—क्या यह सच है कि उनको हथकड़ी डालकर ओन फुट ले जाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको मजिस्ट्रेट के निवास स्थान पर रिमान्ड प्राप्त करने के लिये ले जाया गया।

श्री संतोषसिंह् कछवाहा—उनको एरेस्ट कहां किया गया, मजिस्ट्रेट का निवास स्थान कहां है और उसका फासला क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने आपको बताया कि इनको शहर में घुमाया नहीं गया बल्कि १६७ सी आर० पी० सी० के अन्तर्गत रिमान्ड प्राप्त करने के लिये उनको मजिस्ट्रेट के निवास स्थान पर ले जाया गया क्योंकि उस रोज सार्वजनिक छुट्टी थी।

श्री अर्जुन दास—For what purpose he was taken through the town on foot ?

श्री रामकिशोर व्यास—He was not supposed to go by air, टाउन में से तो जायेंगे ही।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो सामान जलाया गया था, बरूद आदि, क्या उसका सेम्पल रखा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक्सप्लोज़िव एक्ट जो है और जो उसके रूल्स हैं उनकी पाबन्दी की जाती है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—आप पाबन्दी तो जरूर करिये। पर जो सामान जलाया गया था क्या उसका सेम्पल रखा गया था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी केस चल रहा है, इसलिए मैं इस बारे में अर्ज नहीं करना चाहता हूं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो सामान जलाया गया था वह किस किस्म का था ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं इस बारे में अर्ज नहीं कर सकता।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—आप बाद में जानकारी प्राप्त करके सदन के समक्ष रखेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी केस चल रहा है, इसलिये इस सम्बन्ध में नहीं बता सकते।

प्रश्न संख्या ८३

किशनगढ़ सब डिविजन में जागीर पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप राजस्व विभाग में आये तालाबों का सिंचाई विभाग में स्थानान्तरण

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 8

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में जागीर पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप राजस्व विभाग के कब्जे में आये हुए किन किन तालाबों को कब कब सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित किया गया ?

(ख) उक्त तालाबों में कौन कौन से तालाब मरम्मत तलब हैं तथा उनकी मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (सिंचाई मन्त्री के लिए)—(क) फहरिस्त संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) करीब करीब सब ही तालाब मरम्मत तलब हैं लेकिन इन तालाबों की सर्वे नहीं कर सके हैं। सर्वे करके एस्टीमेट बनने पर बजट की मंजूरी के अनुसार मरम्मत का काम हाथ में लिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—१९५५ में जो तालाब सरकार के पास आ गये हैं उनकी सर्वे नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमारे पास ट्रेंड सर्वेअर्स की कमी है इसलिए यह काम हाथ में नहीं लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—यह काम कब तक हाथ में लेने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्रायोरिटी के अनुसार मरम्मत करानी पड़ती है। सर्वेअर्स को फुर्सत मिलते ही इनको सर्वे कराई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—इन तालाबों की सर्वे कब तक हो जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं इसके लिए निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

श्री चांदमल मेहता—कुछ तो बता सकते हैं; दो महीने, चार महीने में तैयार हो जायेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बरसात से पहले समझ लीजिए।

श्री चांदमल मेहता—वर्षा से पहले पहले तालाब तैयार हो जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब तालाबों के लिए मैं नहीं कह सकता। जहां पर ज्यादा जरूरत होगी वे तालाब वर्षा से पहले तैयार हो जायेंगे यानि जो तालाब ज्यादा मरम्मत तलब हैं, वे तैयार हो जायेंगे।

श्री चांदमल मेहता—ज्यादा जरूरत का पता लगाने का क्या क्राइटेरिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उन सब के एस्टीमेट्स तैयार होते हैं, उसके अनुसार प्राथमिकता दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—इन तालाबों के तैयार न होने से जो अनाज की वृद्धि पर असर होता है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता देने का सरकार विचार रखती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्राथमिकता तो खर्चे के अनुसार दी जायगी। जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां प्राथमिकता दी जायगी, जो लिमिटेड फन्ड हैं उन्हीं के अनुसार मरम्मत का काम हाथ में लिया जायगा। सबको एक साथ तो नहीं लिया जा सकता।

श्री हिम्मतअली—क्या सर्वेअर्स की अब भी कमी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां।

प्रश्न संख्या ८४

सरवाड़ तहसील को सामुदायिक विकास योजना या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में न लेने के कारण

श्री जेठमल चौधरी—क्या सामुदायिक योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को विदित है कि सरवाड़ तहसील भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होते हुए भी अभी तक सामुदायिक विकास योजना या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के अन्तर्गत नहीं लिया गया है?

(ख) क्या सरकार जल्दी ही इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के अन्तर्गत लेने के लिए कदम उठायेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सामुदायिक योजना मन्त्री)—(क) जी हां, उस क्षेत्र में साथ के क्षेत्रों की तुलना में विकास का कार्य कम हुआ है, परन्तु उसका कारण राज्य की नीति नहीं।

Page No 10

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ख) जी हां, अगली बार ऐसे क्षेत्रों का वितरण करते समय सरवाड़ तहसील को भी ध्यान में रखा जायगा।

श्री जेठमल चौधरी—कब तक सरवाड़ तहसील को सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत लिया जायगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अप्रेल तक।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या ऐसे क्षेत्रों के लिए जो क्राइटेरिया, जो प्लानिंग कमीशन द्वारा तय किया गया है, जिनके अनुसार ऐसे क्षेत्रों को सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में लिया जा सकता है, ये क्षेत्र पूरा नहीं करते?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझा नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—These criteria which have been fixed to take these areas under these development schemes, they did not fulfil these criteria that have been fixed by the Government of India?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इन विस्तार खंडों में लेने का पहले यह क्राइटेरिया था कि एम० ई० एस० ब्लॉक के लिए कॉन्टिग्युअस एरिया के हिसाब से विचार करते थे। अब यह किया गया है कि जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तरक्की पर हो, उसके अनुसार विचार किया जाय। सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार खंड में दूसरा एरिया लेने का काम अप्रेल से शुरू करते हैं, उस समय इस पर विचार करेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—जो दूसरे क्षेत्र लिये गये हैं उनमें इस क्राइटेरिया को लागू नहीं किया गया है, सरवाड़ के लिए यह क्राइटेरिया लागू नहीं किया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ख्याल से किया गया है। मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता सकता।

श्री वेदपाल त्यागी—फिर इसको क्यों नहीं लिया गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह उस क्राइटेरिया में न आया होगा।

प्रश्न संख्या ८५

नये खुले आयुर्वेदिक औषधालयों में एक वैद्य के साथ एक कम्पाउन्डर लगाना—विशेषतः ग्राम बोहेड़ा (जि० चित्तौड़) में

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नये खुले आयुर्वेदिक औषधालयों में केवल एक वैद्य ही कार्य करता है जब कि पुरानों में कम्पाउन्डर भी हैं ? यदि हां, तो यह भेद क्यों है ?

(ख) क्या सरकार ने दो हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में वैद्य के साथ साथ कम्पाउन्डर भी रखना तय किया है ?

(ग) क्या सरकार चित्तौड़ जिले के बोहेड़ा ग्राम के औषधालय में जहां कि आबादी करीब चार हजार के है, एक कम्पाउन्डर शीघ्र ही नियुक्त करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) (१)—नये खुले आयुर्वेदिक औषधालयों में एक वैद्य, एक कम्पाउन्डर या एक नर्स और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी रहता है, जब कि पुराने औषधालयों में से कुछ में कम्पाउन्डर नहीं हैं। जिनमें कम्पाउन्डर नहीं हैं उनमें सरकार कम्पाउन्डर रखने का विचार कर रही है ?

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस बारे में अगले बजट में विचार किया जायेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या एक कम्पाउन्डर जल्दी भेजने का सरकार विचार करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—बजट में मंजूरी होने के बाद ही नई जगह हो सकती है।

एक माननीय सदस्य—क्या कम्पाउन्डर्स सब डिस्पेन्सरीज़ में भेजेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—पुरानी डिस्पेन्सरीज़ हैं उनके लिये प्रोविजन रखा जायगा। नई जितनी हैं, राजस्थान सरकार ने कायम की हैं उनमें कम्पाउन्डर्स प्रोवाइड किये जायंगे।

श्री दिलीपसिंह—क्यों साहब जो पुरानी हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है; जो राजस्थान सरकार ने नई कायम की है, उन डिस्पेन्सरीज़ में तो कम्पाउन्डर्स प्रोवाइड किये जायंगे और आगे की हैं उनमें कम्पाउन्डर्स नहीं दिये गये हैं ? पुरानी तो और वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जमी हुई हैं।

श्री रामकरण जोशी—सरकार ने अभी जितनी खोली हैं उनके बारे में विचार कर लिया है, उनमें कम्पाउन्डर्स का प्रोविजन रखा है। पुरानी में कम्पाउन्डर्स का प्रोविजन नहीं है उनके लिये विचार कर लिया है।

श्री दिलीपसिंह—नई डिस्पेन्सरीज़ खोलने के लिये क्या क्या शर्तें रखी हैं ?

श्री रामकरण जोशी—तीन हजार की आबादी हो।

एक माननीय सदस्य—एक जगह तीन हजार की आबादी नहीं है और इर्द गिर्द की मिलाकर ३००० की आबादी है तो वहां क्या किया जायगा ?

श्री जगतसिंह झाला—क्या ४००० की आबादी में डिस्पेन्सरीज़ हैं वहां भी कम्पाउन्डर्स रखने का प्रोविजन नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६

केकड़ी और उससे संलग्न विशाल क्षेत्र से मालपुरा होती हुई सड़क के आगामी वर्षा के प्रारम्भ में निर्माण की व्यवस्था

श्री जेठमल चौधरी—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बरसात की मौसम में जयपुर का केकड़ी और उससे संलग्न विशाल क्षेत्र से मालपुरा होते हुए न्यूनतम सड़क मार्ग से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है ?

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि यह बाधा कोटड़ी से मालपुरा तक केवल १५ मील पक्की सड़क बनाने से दूर हो सकती है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क के निर्माण की आगामी बरसात शुरू होने से पहले ही व्यवस्था करेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय,...... (हंसी) (मंत्री महोदय के बैठ जाने पर)

शाह श्री अलीमुद्दीन—(उप मंत्री, यातायात विभाग)—

(क) बारिश के वक्त कुछ दिक्कत होती ही है।

(ख) जी हां।

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

(ग) अगर हो सका तो मेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में इसको बनाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा को सम्बोधित करके) क्यों, जवाब नहीं देने का विचार था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं......

श्री कंवरलाल जेलिया—जब सरकार दिक्कत महसूस करती है तो उस दिक्कत को तत्काल दूर करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—आपने इस बात पर तवज्जोह नहीं फरमाई कि यह अजमेर से ताल्लुक रखता है। १ नवम्बर, १९५६ को ही अजमेर राजस्थान के साथ आया है। तो इतनी जल्दी विचार कर लेना, यही बड़ी गनीमत है।

श्री जेठमल चौधरी—यह राजस्थान से ताल्लुक रखता है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—वहां तक वह सड़क मौजूद है पर केकड़ी का सवाल है, उस पर तो विचार तभी किया जा सकता था जब कि अजमेर शामिल आ जाता।

श्री जेठमल चौधरी—कोटड़ी तक अजमेर ने बना दी है, इसलिये मैं पूछता हूं कि बरसात के पहले यह सड़क बना दी जायगी क्या ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—देखिये, अब ताल्लुकात कायम हो गये हैं। अब बहुत जल्द बनायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या पहले ताल्लुकात बिगड़े हुए थे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—नहीं, पहले दोस्ताना ताल्लुकात थे। अब तो बिलकुल अपने हो गये हैं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७

उदयपुर डिवीजन के कुछ मुंसिफ कार्यालय कम करने तथा स्थानान्तरित करने सम्बन्धी योजना

श्री जगतसिंह झाला—क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर डिवीजन के मुंसिफ कार्यालय को सरकार कम करने का व स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन व कहां कहां पर ?

(ग) क्या सरकार किराये के अच्छे मकान की व्यवस्था होने की हालत में बड़ी सादड़ी में मुन्सिफ अदालत कायम करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री); (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के समक्ष ऐसा प्रार्थना पत्र आया है कि मुन्सिफ के न्यायालय के लिये बड़ी सादड़ी उपयुक्त स्थान है। उस विषय में उच्च न्यायालय से राय मंगवाई गई है। इससे अधिक इस बारे में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक सरकार इस पर निर्णय करेगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—उच्च न्यायालय से राय मंगवाई है, जल्द ही निर्णय किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री संतोषसिंह।

प्रश्न संख्या ८८

मेड़ता सिटी व अन्य स्थानों से पुष्कर वाया बाड़ी घाटी होकर आने-जाने वाली परमिट शुदा मोटर बसों को इस वर्ष रोकने के कारण

श्री **सन्तोषसिंह कछवाहा**—क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मेड़ता सिटी व अन्य स्थानों से पुष्कर वाया बाड़ी घाटी होकर आने जाने वाली सरकारी परमिट शुदा मोटर बसें जो कि तीन वर्षों से बराबर चल रही हैं, इस मेले के अवसर पर अजमेर नगरपालिका द्वारा क्यों रोकी गई और २००) रु० फी बस टेक्स क्यों मांगा गया ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि बाड़ी घाटी का रास्ता मोटर बसों के मालिकों द्वारा करीबन २८-३० हजार रुपये खर्च करके बनाया गया है ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(३) इस संबन्ध में मोटर मालिकों द्वारा कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस डी. आई. जी. पी. व मुख्य मन्त्री को तार द्वारा सूचना दी जाने पर भी सुनवाई नहीं होने का क्या कारण है ?

(४) पुष्कर के मेले में जोधपुर डिवीजन की इस रूट पर परमानेन्ट परमिट पर चलने वाली बसों के अलावा किस किस रूट को किन किन मालिकों को किस किस नम्बर की कितनी बसों को टेम्परेरी परमिट दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(१) गनहेरा के पास नगरपालिका अजमेर ने कुछ जमीन एक्वायर करके एक एप्रोच रोड़ जो वाटर सप्लाई स्कीम से सम्बन्धित कुछ कुओं को मिलाती है, केवल नगरपालिका द्वारा काम में लाने के लिए बनवाई है। इस सड़क से जो मोटरें गुजरती हैं उनसे नगरपालिका हानि पूर्ति का रुपया वसूल करती है। जिन मोटर मालिकों ने हानिपूर्ति का रुपया देने से इन्कार किया उन्हें नगरपालिका द्वारा रोका गया। जी हां, उनसे २००) रुपया फी बस टैक्स मांगा गया था।

(२) सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(३) हमारे पास इस प्रकार की शिकायत नहीं प्राप्त हुई अतः सुनवाई किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बाबत एक मुकद्मा कोर्ट में चल रहा है।

(४) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री वेदपाल त्यागी—वह कितनी जमीन है जिसमें से रोड़ गुजरती है और जिसके टैक्स के २००) रु० मांगे गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि कितनी जमीन है। कूओं को कनेक्ट करने के लिये जो रोड है उसको पक्का बनवाया है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या वह सड़क म्युनिसिपैलिटी ने बनवाई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां, म्युनिसिपैलिटी ने बनवाई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, एक क्वेश्चन......

श्री अध्यक्ष—आप पहले तो बैठे रहते हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो जमीन एक्वायर की है, वह जमीन है या गांव है जिसके अन्दर से मोटरें निकलती हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिस जगह सड़क बनी है उस जमीन को म्युनिसिपैलिटी ने एक्वायर करके सड़क बनाई है, इसलिए उसको हक है कि हानिपूर्ति के रूप में रुपया लें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—म्युनिसिपैलिटी अजमेर है उससे वह सड़क कितनी दूर है (हदूद से) ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—म्युनिसिपैलिटी ने वाटर वर्क्स के लिए जमीन एक्वायर की थी।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—पहले रोड थी कि नहीं ? जिस समय जमीन एक्वायर की उस वक्त मोटरें चलती थी कि नहीं ? किस तारीख से किस सन् में यह जमीन इक्वायर की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सवाल तो म्युनिसिपैलिटीज़ के सम्बन्धित मन्त्री से पूछते तो अच्छा था।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मैं बता सकता हूँ, एक दो साल से एक्वायर की है और सिर्फ २०० फुट जमीन है जिसके लिए २०० रुपया हर मोटर वाले से मांगा गया है। इससे एक एक मोटर वाले को दो दो हजार का नुकसान हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—म्युनिसिपैलिटी को हक है कि हर्जाने के रूप में टैक्स वसूल करे, इसके लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने प्रश्न तो कोई पूछा नहीं, फिर आप जवाब क्यों दे रहे हैं ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जब मोटरें रोक दीं तो रास्ता कितना लम्बा है, सिर्फ २०० फुट जमीन है उसमें से मोटरें पास हों और उसके लिए २०० रुपया लिया जाय यह कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर ! आॅर्डर !! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६

रायतसर से तहसील हनुमानगढ़ होती हुई अबोहर तक जाने वाली सड़क का कार्य शीघ्र समाप्त करना

श्री धर्मपाल पंवार—क्या मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री धर्मपाल पंवार]

[क] गंगानगर जिले की तहसीलों को मिलाने के लिये किन किन सड़कों का कार्य चालू है और वह कितनी प्रगति पर है ?

[ख] रावतसर से तहसील हनुमानगढ़ होती हुई जो सड़क अबोहर को जा रही है उसका कार्य मन्द गति से क्यों चल रहा है ? क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र तैयार करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)-पदमपुर रायसिंह रोड : १२,५०,००० रुपया लागत है। कुल १६।। मील का टुकड़ा है। ५ मील का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी कार्य में ५ से १० मील में ६० परसेन्ट काम हो चुका है, १० से १५ मील में ४० परसेन्ट काम हो चुका है। १५ से १९।। मील में १० परसेन्ट काम हो चुका है।

भादरा हिसार सड़क : यह १७ मील का टुकड़ा है। इसमें ५,११,००० का प्रोवीजनल एस्टीमेट है। मुमकिन है रिविजन में और ज्यादा हो जाय। चार मील का काम पूरा हो चुका है, बाकी में ११ मील मिट्टी का काम हो चुका है।

रावतसर से हनुमानगढ़ अबोहर रोड : यह ५२ मील का टुकड़ा है। इसमें ४३,९३,७५० रु० की लागत है। मिट्टी का काम ५१ मील में हो चुका है। सीलिंग ३२। मील में इकठा किया गया है जिसमें से ३१ मील में बिछाया गया है। मेटल २० मील में इकट्ठा किया गया है, जिसमें से ७ मील में कुटाई भी हो चुकी है।

[ख] काम की रफ्तार ठीक है इसलिये सवाल पैदा नहीं होता।

श्री धर्मपाल पंवार—माननीय मंत्रीजी ने यह नहीं बताया कि यह सड़कें कब तक तैयार हो जायेंगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—काम बिलकुल ठीक रफ्तार से चल रहा है, आपके ख्याल से कम होगा।

श्री धर्मपाल पंवार—बाकी सड़कों का आपने जबाब नहीं दिया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—आपके सवाल में जिन सड़कों का जिक्र है उनका जबाब दे दिया है।

श्री धर्मपाल पंवार—मेरे सवाल में जिक्र है कि गंगानगर जिले की तहसीलों से मिलाने वाली किन किन सड़कों का कार्य चल रहा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जिन जिन का काम चालू है उनका जवाब मैंने दे दिया है। अब आप पूछिये कि किन किन का काम पूरा हो चुका है, तब एक लम्बी फहरिश्त और पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०

कपासन नगरपालिका (जि. चित्तौड़गढ़) का चुनाव शीघ्र कराने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कपासन नगरपालिका, जिला चित्तौड़गढ़ का चुनाव, काल कब तक पूरा हो रहा है ?

(ख) क्या यह सच है कि यहां का चुनाव भी इसी जिले की अन्य नगरपालिकाओं के माफिक वार्ड बना कर कराये जाने का आदेश सरकार ने दिया है ?

(ग) यदि हां, तो चुनाव नियत समय पर होगा या अवधि बढ़ाई जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) नगरपालिका कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ का चुनाव-काल दिनांक १८-११-५६ को समाप्त हो चुका है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नगरपालिका के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दिनांक ३०-४-५७ तक बढ़ादी गई है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि सरकार इसका चुनाव चुनावों के बाद करवाना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी संभावना है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार ने इस प्रकार का जनरल नोटिस जारी किया है कि म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव जब तक आम चुनाव नहीं हों स्थगित किये जावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री वेदपाल त्यागी—इसके पीछे क्या कोई रहस्य है ? ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—समय कम रह गया है और डिपार्टमेंट के अधिकारी इलेक्शन वर्क में लगे हुए हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—जब तक इलेक्शन का काम समाप्त न हो उस बीच में यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि समाप्त होती है तो क्या उसकी अवधि बढ़ा दी जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां। बहुत सी को तो बढ़ा दी गई है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या ऐसे भी स्थान हैं जहां पर नोन कांग्रेस मेनों की म्युनिसिपल बोर्ड में मेजोरिटी थी उनकी अवधि नहीं बढ़ाई गई और जहां कांग्रेस सदस्यों की म्युनिसिपेल्टी थी उनको अवधि बढा दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर आप कोई ऐसी बतायेंगे तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री जगतसिंह झाला—सरकार अजमेर के चुनाव कराना चाहती है और कपासन के नहीं कराना चाहती, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कपासन में म्युनिसिपेल्टी इलेक्टेड सदस्यों की है और अजमेर में नोमीनेटेड सदस्यों की। वहां पर लिस्ट वगैरा सब तैयार हो चुकी है इसलिये अगले माह में चुनाव हो रहा है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या ऐसी म्युनिसिपेल्टियां भी हैं जिनकी लिस्ट तैयार हो गई थी और नोमिनेशन पेपर फाइल होने वाले थे उस वक्त उनका चुनाव रोक दिया गया !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर आप कोई खास म्युनिसिपेल्टी की बात बतायेंगे तो जानकारी की जा सकती है।

श्री वेदपाल त्यागी—म्युनिसिपल बोर्ड किशनगढ़।

एक माननीय सदस्य—अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी म्युनिसिपेल्टीज़ हैं जहां पर नोमिनेशन पेपर फाइल हुए और फिर उसकी अवधि बढ़ाई गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे नोटिस में नहीं है।

एक माननीय सदस्य—यह तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही है।

श्री भैंरूसिंह—अलवर जिले के लिये डिस्टिंक्शन है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार नई म्युनिसिपेल्टीज़ के चुनाव नहीं करवाना चाहती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव तो सब जगह करवाना चाहती है, मगर इलेक्शन में सभी लोग लगे हुए हैं। अब इलेक्शन के लिये समय बहुत कम रह गया है। सिर्फ २॥ महिने रह गये हैं।

श्री जगतसिंह झाला—बड़ी सादड़ी के चुनाव की अवधि क्यों आगे बढ़ाई जा रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किसी खास म्युनिसिपेल्टी के बारे में आप अलग से पूछेंगे तो जवाब दिया जावेगा।

श्री हिम्मतअली—क्या जनरल इलेक्शन के फौरन बाद ही सरकार म्युनिसिपेल्टीज़ का चुनाव करा देगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि वार्ड बनाकर वार्ड वाइज़ चुनाव कराये जावें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जगतसिंह झाला—न्यू म्युनिसिपल बोर्ड्स में वार्ड बनाये जा रहे हैं। जब नई में वार्ड्स बनाये जा रहे हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं वार्ड बनाये जावें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जनरली यह तय था कि १० हजार की आबादी तक के लिये वार्ड्स नहीं बनाये जावें। सब के वार्ड बनाने की······

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९१

ग्राम अरांई के तालाब कोड़िया को सिंचाई हेतु खाली कराना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम अरांई के तालाब कोड़िया के कोई मोरी नहीं है?

(ख) क्या यह सही है कि इस तालाब का पानी सुरखेली वाड़ी में खाली कराया जाकर सिंचाई होती है?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) तालाब कोडिया के पेटे को काश्त करने के लिये खाली कराने के कितने आवेदन पत्र सरकार के समक्ष पेश हुए और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) नहीं।

(ख) हां।

(ग) तीन।

(घ) कोड़िया का बहुत सा पानी निकाल कर बंध सुरखेली में डाल दिया गया है जिससे बंध कोडिया में करीबन २०० बीघा भूमि काश्त के लिए निकल चुकी है। शेष पानी को भी सुरखेली तालाब में डाल कर आगे सिंचाई की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—पहला आवेदन-पत्र कोडिया तालाब को खाली करने के लिये कब पेश हुआ था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आवेदन पत्र कब पेश हुआ इसकी तारीख मेरे पास नहीं है। तीन पेश हुए थे।

श्री चांदमल मेहता—पहले आदेश कोड़िया तालाब को खाली करने के लिए कब दिये गये थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह प्रश्न बिल्कुल साफ है और इस प्रश्न को दृष्टि में रखते हुए जवाब देना चाहिये। क्या इसका जवाब देना आवश्यक नहीं है माननीय उपाध्यक्ष ? माननीय उपाध्यक्ष, आप इस पर कोई आदेश देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने जो प्रश्न पूछा कि आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई उसका मैंने जवाब दे दिया और वह यह है कि कोडिया का बहुत सा पानी निकाल कर सुरखेली में डाल दिया गया है जिससे बंध कोड़िया में करीबन २०० बीघा भूमि काश्त के लिये निकल चुकी है। शेष पानी को भी सुरखेली तालाब में डाल आगे सिंचाई की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा कि कितने आवेदन-पत्र आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई। इसके जवाब में उनको बताना चाहिये था कि उस पर क्या कार्यवाही की गई। उनको बताना चाहिये कि वह कब पेश हुआ। अगर आप यह नहीं बताना चाहते

[श्री चांदमल मेहता]

तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे की कोड़िया तालाब को खाली नहीं करने से एक हजार बीघा जमीन काश्त नहीं होकर २०० बीघा जमीन ही काश्त हुई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा – शुरूआत में यह चीज हुई कि इसको भरा रखना चाहिये। इसके बाद में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने इसके बारे में कोशिश की और कन्वीन्स किया, इसलिये इसको खाली करने का प्रबन्ध शुरू किया।

श्री चांदमल मेहता – क्या यह सही है कि एग्ज़िक्यूटिव इन्जीनियर आज से २०-२५ दिन पहले पहुँचे और वापिस उसको रोक दिया गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – वापिस रोक दिया गया है इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। खाली हो रहा है और खाली करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं?

श्री चांदमल मेहता – क्या यह सही नहीं है कि इस आदेश को रद्द कर दिया गया है और वहां की जनता और पंचायतों ने और सिंचाई विभाग के मन्त्री और चीफ इन्जिनियर को सूचना दी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा – ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इसके लिये चीफ इन्जिनीयर को लिख दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता – क्या सरकार किसी आदमी को वहां पर भेज कर इसकी जांच कराएगी कि इसके बन्द करने की वजह से कितना नुक्सान हुआ और जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार है उसको सजा देने के लिये तैयार है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – जितनी जमीन खाली होती है उतनी जमीन खाली करने के लिये इन्तजाम कर दिया गया और २०० बीघा जमीन खाली हो चुकी है। खाली होने में समय लगेगा और अगर रोक दिया गया होगा तो उसको वापिस खोल दिया जावेगा। इसमें मैं समझता हूं कि टेक्नीकल कोई बात हो सकती। बाकी ऑर्डर दे दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता —मैं आपके इस उत्तर को चैलेंज करता हूं और निवेदन करता हूँ कि इन्जीनियर ने मौके पर जाकर इसको रोका है। इससे एक हजार बीघा जमीन में काश्त होती थी वह न होकर सिर्फ २०० बीघा जमीन में ही काश्त हुई। क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप जो इन्फोरमेशन दे रहे हैं मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ९२

उदयपुर डिविजन में १९५४ से ५६ तक भ्रष्टाचार निरोध विभाग द्वारा दर्ज किये गये मुकदमें

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर डिविजन में सन् ५४-५५ तथा ५५-५६ में कितने मुकदमें एण्टीकरप्शन विभाग द्वारा दर्ज किये गये तथा इनमें से कितनों का फैसला होगया व कितने ज़ेर कार्य-वाही हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि एक्साइज़ विभाग के इन्सपेक्टर श्री देवीलाल पर भी कोई रिश्वत देने का चार्ज लगाया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) (ख) उदयपुर डिविजन में सन् १९५४-५५ में ११ मुकदमें एण्टीकरप्शन विभाग द्वारा दर्ज किये गये । इनमें से ४ मुकदमों में अपराधी दंडित हुये, एक में अपराधी बरी हुआ, दो में काफी प्रमाण न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दी गई तथा ४ मुकदमों का अनुसंधान हो रहा है ।

सन् १९५५-५६ में इस डिवीजन में ४ मुकदमें दर्ज हुए जिनमें एक में अपराधी दंडित हुआ एक का ट्रायल हो रहा है तथा दो में अनुसंधान किया जा रहा है ।

(ग) जी हां; मुकदमा ज़ेर कार्यवाही है ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि डिपार्टमेंटल कार्यवाही करके उसको रिइन्स्टेट कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या एक्साइज़ विभाग को पुलिस विभाग की तरफ से लिखा गया और पुलिस विभाग के लिखने पर उनको सस्पेन्ड किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिये ।

श्री जगतसिंह झाला—आप पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस विभाग की जानकारी देने पर उन इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड किया गया था ?

Page No 24

श्री भैंरूंसिंह – देवीलाल जी श्री अमृतलाल यादव जो मंत्री हैं उनके रिश्तेदार होने के कारण उनके साथ इस प्रकार का पक्षपात क्यों किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास–इसकी महकमें में इन्क्वायरी हो रही है।

श्री जगतसिंह झाला – किस महकमें में ?

श्री रामकिशोर व्यास – जिससे इनका संबन्ध है। एक्साइज़ में।

श्री भैंरूंसिंह – क्या पुलिस में इसकी इन्क्वायरी नहीं हो रही है।

श्री रामकिशोर व्यास – पहले डिपार्टमेंट को लिखा जाता है...

श्री भैंरूंसिंह – क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने इनको रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा था ?

श्री रामकिशोर व्यास – सही है।

श्री भैंरूंसिंह – क्या पुलिस विभाग ने इस इन्सपेक्टर के लिए लिखा है कि इसको गिरफ्तार करके चालान...

श्री रामकिशोर व्यास – पुलिस ने पकड़ा है यह सही है।

श्री भैंरोंसिंह – इन्वेस्टीगेशन के बाद तो चालान करने की बात ही रहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास – मगर जिस डिपार्टमेंट का मुलजिम होता है उसको पहले लिखना पड़ता है।

श्री भैंरूंसिंह – मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है। क्या पुलिस विभाग ने एक्साइज़ विभाग को लिखकर मांग की कि उक्त व्यक्ति को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और अब चालान करना है ?

श्री रामकिशोर व्यास – बहुत मुमकिन है मांगा गया होगा।

श्री भैंरूंसिंह – मैं इसका डेफिनेट जवाब चाहता हूँ।

श्री जगतसिंह झाला – क्या यह सही है कि उनके १६२ दफा के अनुसार अदालत में बयान हो चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास – हो सकता है।

Page No 25

श्री जगतसिंह झाला—जब बयान हो चुके और उसमें उन्होंने मन्जूर किया है तो फिर देर क्यों हो रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं इसकी जानकारी करूंगा। पुलिस एक्साइज़ विभाग को लिखती है।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि एक्साइज़ विभाग की ओर से लिखा गया है कि कोई जुर्म साबित नहीं होता इसलिए उनको वापिस रिइन्स्टेट करते हैं।

श्री भैंरूंसिंह—पुलिस विभाग को एक्साइज़ डिपार्टमेंट की ओर से कोई सूचना नहीं की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट की ओर से यह सूचना नहीं दी गई है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—As far as I know I have no information.

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि वह माननीय मन्त्री महोदय के बहनोई होने के कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अगर बहनोई हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाये ? पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है।

श्री वेदपाल त्यागी—पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्साइज़ डिपार्टमेंट को कब लिखा कि हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—इसका तो मैं एकदम जवाब कैसे दे सकता हूँ। अगर आप नोटिस दें तो मैं आपको निश्चित तारीख बता दूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी—यह गिरफ्तारी कब हुई ? मेरे पूछने का मतलब यह है कि वह रंगे हाथों कब पकड़े गए ?

श्री रामकिशोर व्यास—करीब दो तीन महीने हो गये। कोई डेट तो मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि श्री अमृतलाल जी के बहनोई को पकड़ा गया उसी दिन पुलिस डिपार्टमेन्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट से इजाजत मांगी थी ?

Page No 26

श्री रामकिशोर व्यास—ठीक है, यह तो आप ही मुझे सूचना दे रहे हैं, मुमकिन है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट ने उसी रोज इजाजत मांगी हो।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि जो नोट उन्होंने लिए थे उन पर एस० पी० श्री हिरेन के दस्तखत थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मैं नहीं कह सकता कि उन नोटों पर दस्तखत थे या नहीं थे।

श्री भैंरूसिंह—उस इन्सपेक्टर का क्या नाम था ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं यह नहीं कह सकता।

श्री भैंरूसिंह—वह कितने के नोट थे और उन पर दस्तखत थे या नहीं थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—That I can't reply unless you specifically ask. दस्तखत किए हुए नोट जरूर थे लेकिन मैं यहां इस समय यह कैसे बता सकता हूँ कि कितने नोट थे।

श्री भैंरूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है। क्या यह सही है कि उस इन्सपेक्टर के ऊपर इस केस के बाद रिश्वत का कोई चार्ज लगाया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट की ओर से ऐसी कोई सिफारिश कराई गयी कि जो रुपये रिश्वत लेते समय जब्त किए गए थे उनको वापिस दे दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—That is for the Excise Department to reply. पुलिस डिपार्टमेन्ट तो मुकदमा बना रही है, पुलिस ही सब को पकड़ रही है फिर यह कैसे हो सकता है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा लिखाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री धर्मपाल पंवार

Page No 27

प्रश्न संख्या ६३

हनुमानगढ़ से सरसा सड़क की निर्माण योजना

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हनुमानगढ़ से सरसा (पंजाब) को कोई सड़क बनाने की तजवीज़ है ?

(ख) यदि हां, तो वह किन किन ग्रामों में से निकाली जावेगी और उसका कार्य कब तक चालू होने की संभावना है तथा इस पर कुल खर्चा कितना किया जावेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं पैदा होता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या ९४

चित्तौड़ जिले की प्रत्येक डिस्पेन्सरी के लिए १९५५–५६ में औषधियों हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चित्तौड़ जिले की हर एक डिस्पेन्सरी के लिए ५५–५६ के वर्ष में दवाइयों के लिए कितनी कितनी रकम रखी गई ?

(२) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी, बान्सी तथा डूंगला डिस्पेन्सरी में दवाई के अभाव के कारण बीमारों को बिना दवाई के लौटाना पड़ता है ?

(३) क्या सरकार इस जिले में स्थित तहसीलों की जन-संख्या व बीमारों की दैनिक हाजरी को मद्दे नजर रखते हुए जहां २ दवाइयों का अभाव हैं वहां समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) सन् १९५५–५६ के वर्ष का औषधियों का बजट निम्नांकित ढंग से वितरण किया गया—

Page No 28

[श्री रामकरण जोशी]

जिला चित्तौड़गढ़

क्रम सं०	चिकित्सालयों के नाम	स्वीकृत बजट
१	मुख्य चिकित्सालय प्रतापगढ़	७०००
२	महिला ,, ,,	३०००
३	,, चित्तौड़गढ़	३०००
४	,, निम्बाहेड़ा	३०००
५	,, छोटी सादड़ी	२५००
६	,, कपासन	२५००
७	,, राशमी	२०००
८	,, मदेसर	२०००
९	,, डूंगला	२०००
१०	,, बस्सी	१५००
११	,, नन्दबाई	१०००
१२	,, दलोट	२०००
१३	,, देवगढ़	१०००
१४	,, धरियावद	२०००
१५	,, भैंसरोड़गढ़	१५००
१६	,, अरनोद	१०००
१७	,, बडी सादड़ी	१५००
१८	,, बानसी	८००
१९	,, बेंगू	१२००
२०	,, थमोतर	५००

(२) जी नहीं; सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि बडी सादड़ी में दवाइयों के लिए १५००) दिए हैं और जहां एक हजार की आबादी हैं वहां भी आपने १५००) दवाइयों के लिए दिए हैं ?

Page No 29

श्री रामकरण जोशी—वह तो वहां शुरू से ही जो रकम बन्धी हुई है उसी के अनुसार है।

श्री जगतसिंह झाला—बड़ी मादड़ी से क्या कोई इसके लिये आवेदन प्राप्त नहीं हुए ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६५

ग्राम लुहारू (तहसील किशनगढ़) के तालाब बलसागर से सिंचाई एवं उससे प्राप्त धन-राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम लुहारू, तहसील किशनगढ़ के तालाब बलसागर से इस वर्ष सिंचाई कितने बीघा की हुई और कितनी रकम सिंचाई की वसूल की जा रही है ?

(ख) उक्त तालाब से कितनी कितनी जमीन एक से अधिक मरतबा सींची गई है और तालाब के बनने के बाद क्या पहली मर्तबा ही इस वर्ष सिंचाई वसूल की जा रही है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) सिंचाई १५० बीघा हुई। लगान करीब तीन सौ बीस रुपये वसूल होगा।

(ख) १३ बीघा। इस तालाब के सिंचाई विभाग के अधिकार में आने के बाद यह पहली बार वसूली की जा रही है।

(ग) चूंकि केवल इसी वर्ष सिंचाई की गई।

श्री चांदमल मेहता—यह सिंचाई विभाग के अधीन कब आया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—करीब ३ वर्ष पूर्व।

श्री चांदमल मेहता—क्या नये सिरे से सिंचाई वसूल करने के बाद गांव वालों को एतराज था ?

Page No 30

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रेट्स मुकर्रर हैं उसी के अनुसार सिंचाई की रकम वसूल की जा रही है; इसमें एतराज का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि सिंचाई की कोई रकम निर्धारित नहीं है और इस ग्राम में सिंचाई की रकम को लगान की रकम के अन्दर और जोड़ लिया गया है, इसलिए सिंचाई की रकम वसूल नहीं हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं। जो पानी लेते हैं वह एक वाटरिंग लेते हैं और उसकाई पैसा देते हैं। इसलिए ही तो एक पानी लेते हैं ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह तालाब बना जब से आज तक को सिंचाई की रकम वसूल नहीं हुई और इसका कारण है कि वह रकम लगान में जोड़ दी गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इर्रीगेशन चार्जेज़ तो देना ही पड़ेगा। पहले तो कोई कानून नहीं था। अब कानून बन गया है। जहां तक लगान का ताल्लुक है वह चाही जमीन का लगान वसूल किया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। प्रश्न यह है कि यह तरीका चल रहा है कि सिंचाई की रकम को लगान के अन्दर शामिल कर दिया गया है और इसी कारण कोई सिंचाई की रकम वसूल नहीं हुई है। जिस समय जमींदार लोग रुपया चाहते थे और जब रुपया नहीं दिया तो यह जो आज रुपया वसूल किया जाता है इसमें सिंचाई की रकम कितनी वसूल की जाती है ? तो यह नये सिरे से चार्ज करने की जो योजना है उसकी किसने सलाह दी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सिंचाई की रकम तो वसूल होगी जब कि उन्हें पानी दिया गया तभी से रकम चालू होगई। पहले तो ऐसा था कि पानी निकाल दिया जाता था और दूसरे तालाबों में चला जाता था, इसलिये कुए से सिंचाई करते थे। जहां एक पानी से सिंचाई होती है करीब दो या तीन रुपया लिया जाता होगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के जवाब को चैलेंज करता हूँ कि पहले सिंचाई की जाय तभी उनसे रकम ली जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि यह गोहरा का तालाब है, उसके बनने के बाद आज तक कोई रकम वसूल नहीं की गई और जिन अधिकारी ने नये सिरे से रकम वसूल करने के आदेश दिये हैं क्या वे उसके लिये अधिकृत थे, अगर नहीं थे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कानून की अनभिज्ञता के कारण रकम वसूल नहीं की होगी। अब कानून के बनने के बाद रकम वसूल की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई लगान मुकर्रर नहीं था। वह लगान स्थानीय अधिकारी, जो जिलाधीश की हैसियत के हैं, वे इस तरह से सिंचाई के चार्ज लेते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कानून देखकर इत्मीनान कर लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—कानून देखा है तभी तो कह रहा हूं, अगर सिंचाई विभाग के मंत्री होते तो वे शायद सही बात कह सकते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो कानूनी सवाल है और ओपीनियन की बात है।

प्रश्न संख्या ६६

सरकार द्वारा इस वर्ष खोले जाने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड विशेषतया बड़ी सादड़ी (जि० चित्तौड़)

श्री जगतसिंह झाला—क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार की इस वर्ष में किन किन जिलों में कहां कहां राष्ट्रीय विकास सेवा खंड खोलने की योजना है ?

(ख) क्या सरकार चित्तौड़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील में भी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) चालू वर्ष (१९५६-५७) में अब कोई और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड कहीं खोला जायगा।

(ख) जी हां, इस तहसील में भी विकास खंड खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) शीघ्र ही।

श्री जगतसिंह झाला—क्या जब खोला जायगा तो क्या इस स्थान को प्राथमिकता दी जायगी ?

Page No 32

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता---इसके नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक खोला जायगा।

श्री मानसिंह महार--वे नियम क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया जहां पर ऑल रेडी ब्लॉक्स हैं, उनका एक्सटेन्शन करके एन० ई० एस० ब्लॉक बनाने का था, अब ऐसा होगया है कि जहां पर पैदावार होने की ज्यादा सम्भावना हो उन्हीं स्थानों पर ब्लॉक्स खोलने का विचार किया जायगा और आयन्दा साल विचार किया जायगा।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--आपने चालू वर्ष में नहीं खोलने का कहा है वैसी हालत में खंड दो का उत्तर देते हुए 'जी हां' कैसे कहा यह परस्पर विरोधी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता---मैंने निवेदन किया इस साल खोलने का नहीं है, खोले जरूर जायेंगे लेकिन इस साल खोलने का विचार नहीं है ?

रावत श्री शंभुसिंह—सादड़ी में कब खोला जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया शीघ्र ही। जब आयन्दा ब्लॉक खोलने का विचार किया जायगा तो इसको भी ध्यान में रखा जायगा।

प्रश्न संख्या ६७

ग्राम भोपालगढ़ (त० बिलाड़ा) को पक्की सड़क से न जोड़ने के कारण

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम भोपालगढ़, तहसील बिलाड़ा जिसकी जनसंख्या करीबन दस हजार से भी अधिक है उसको यातायात के लिये अभी तक किसी मुख्य पक्की सड़क से या बड़े गांव व शहर से पक्की डामर की सड़क द्वारा नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं और भविष्य में इसको किस सड़क या शहर से कब तक जोड़ दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी व बिलाड़े आने जाने के लिये वाया नाडा तोड घाटी का ही रास्ता है जो कच्चा व बालू रेत का होने की वजह से बैलगाड़ियों के लिये दुखदायी है ?

(३) क्या सरकार इस नाड़ा तोड़ घाटी को सुगम व दृढ़ बनाने की शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं।

Page No 33

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मन्त्री, निर्माण विभाग)—(१) आबादी ५,००० से कम है इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(२) कठिनाई होती है।

(३) नहीं ; क्योंकि यह कोई योजना में स्थान नहीं पा सकी है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह पांच हजार से कम आबादी का गांव है और उस पर नहीं बन सकती तो क्या पांच हजार की आबादी सरकार ने तय की है ?

श्री शाहअलीमुद्दीन—सरकार ने ऐसा तय किया है कि जितने भी गांव हैं जो पांच हजार की आबादी के हैं उनको रोड्स से कनेक्ट किया जाय तहसील हेडक्वार्टर से, निजामत से या सूबे से। चूंकि इसकी आबादी पांच हजार से कम है इसलिये इसे कनेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में यदि सरकार ऐसा निर्णय ले कि दो हजार, ढ़ाई हजार के गांवों को भी कनेक्ट किया जाय तो इस पर भी कन्सीडरेशन किया जा सकता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह आपने कैसे मालूम किया यह पांच हजार से कम आबादी का कस्बा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—आप सेन्सस रिपोर्ट १६५१ को मुलाहिजा फरमायें तो आपको पता चलेगा कि इसकी आबादी चार हजार से कुछ ज्यादा है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—पांच हजार ही नहीं, पांच हजार से बहुत ज्यादा आबादी है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—१६५१ की सेन्सस रिपोर्ट में ४८१४ की आबादी बतायी गई है।

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—इसका मतलब यह हुआ कि यह कनेक्टेड़ किसी तरह से नहीं होगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इस वक्त तो आशा मत रखिये।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या जिस जगह की आबादी ४६६६ होगी तो क्या आप उसको भी कनेक्ट नहीं करेंगे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—पांच हजार से आधा भी कम होगा तो भी नहीं करेंगे।

Page No 34

प्रश्न संख्या ६८

डी० एम० एच० ओ० जयपुर द्वारा मिनिस्टीरियल स्टाफ में २५ वर्ष से अधिक आयु वाले नियुक्त व्यक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डी० एम० एच० ओ० जयपुर के मातहत पिछले ३ वर्ष में मिनिस्टिरियल स्टाफ में से ऐसे कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई जो २५ वर्ष की उम्र से अधिक थे ?

(ख) उक्त कर्मचारियों के नाम व उम्र क्या हैं और उनकी कितने कितने समय के लिये नियुक्तियां की गई थीं तथा इनमें से किस किस कर्मचारी को फिर से एक्सटेन्शन दिया गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एक्सटेन्शन नहीं देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ?

(घ) यदि हां, तो आदेश की अवहेलना करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) सिर्फ एक।

(ख) उसका नाम श्री भंवरलाल जैन है और आयु नियुक्ति के समय ४० वर्ष की थी। इनकी नियुक्ति अस्थायी रूप में ३ माह के लिये की गई थी। हर तीसरे महिने इनको और दूसरा उपयुक्त आदमी न मिलने के कारण एक्सटेन्शन दिया जाता रहा है। अब इस व्यक्ति की सर्विसेज़ से हटाये जाने का नोटिस २२-११-५६ को दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। किन्तु सरप्लस हैन्ड के मिलने पर अस्थायी कर्मचारी की सर्विसेज़ समाप्त कर दी जाती हैं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरूंसिंह—उपयुक्त के लिये क्या क्या क्वालिफिकेशन्स प्रेसक्राइब्ड हैं ?

श्री रामकरण जोशी—उपयुक्त आदमी के मिलने पर उनको अलग कर दिया गया।

श्री भैरूंसिंह—समय समय पर यह कहा जाता है कि उपयुक्त आदमी के नहीं मिलने के कारण ऐसा किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उपयुक्त की क्वालिफिकेशन आपने क्या प्रेसक्राइब कर रखी हैं ?

श्री रामकरण जोशी—मेरे ख्याल से मैं साफ बता चुका हूँ कि इनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इसलिये की गई थी कि दूसरा व्यक्ति उपयुक्त इस जगह के लिये नहीं मिल सका। जब दूसरा आदमी मिल गया, उसको हटा दिया गया।

श्री भैरूंसिंह—मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सका; इस 'उपयुक्त' की क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—उस जगह के लायक आदमी हो।

श्री भैरूंसिंह—किस प्रकार की योग्यता वाले आदमी हो सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—फोर्थ क्लास सर्विसेज़ के होते हैं इसमें और भी आ सकते हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या इसके लिये एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं ?

श्री रामकरण जोशी—एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने का सवाल ही नहीं था केवल अस्थायी रूप से इनको नियुक्त किया गया था और जब दूसरा आदमी मिल गया तो इनको हटा दिया गया।

श्री भैरूंसिंह—ऐसा कायदा है कि जिस किसी डिपार्टमेन्ट को अस्थायी नियुक्ति के लिये आवश्यकता हो तो वह डिपार्टमेन्ट को लिखता है कि आपके यहां कोई सरप्लस हो तो इस स्थान के लिये भेजा जाय ?

श्री रामकरण जोशी—जब भेज दिया गया तभी उनको हटा दिया गया।

प्रश्न संख्या ६६

गंगानगर जिले में घघर नदी से प्रभावित इलाका एवं उसमें आई बाढ़ों से क्षति

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में घग्घर नदी से कितना इलाका प्रभावित होता है ?

(ख) इस नदी में १९५५ से कितनी बार बाढ़ आई है तथा उससे फसलों को कितना नुकसान हुआ ?

(ग) क्या भाकड़ा प्रोजेक्ट से सींची जाने वाली जमीन को घघर नदी की बाढ़ से बचाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्य रूप में परिणित की जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) अधिक से अधिक ४०,००० एकड़ ।

(ख) एक बार जिससे करीब १२५० एकड़ खरीफ फसल को क्षति पहुँची ।

(ग) हां, घघर नदी पर एक बांध बनाने की योजना पंजाब सरकार के विचाराधीन है जिससे राजस्थान की जमीन बाढ़ से बच सकेगी । इसके कार्य रूप में परिणित होने की अभी कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है ।

श्री धर्मपाल पंवार—इस साल जो बाढ़ आयी उससे कोई फसल को नुकसान हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने निवेदन किया १२५० एकड़ ।

श्री धर्मपाल पंवार—पिछले साल कितना हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने यह सवाल किया था कि इस नदी में १६५५ से कितनी बार बाढ़ आयी है तथा उससे फसलों का कितना नुकसान हुआ है ? मैंने निवेदन किया एक बाढ़ आयी और उसमें १२५० एकड के करीब फसलों को क्षति पहुंची है ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह माना जाय कि राजस्थान सरकार के पास इस बाढ़ को रोकने के लिये कोई योजना नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो आप अलग से सवाल करिये ।

श्री भैंरूं सिंह—अलग से सवाल करने की आवश्यकता नहीं, इसी सवाल में पूछा गया है कि क्या भाकड़ा प्रोजेक्ट से सींची जाने वाली जमीन को घघर नदी की बाढ़ से बचाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पंजाब सरकार के विचाराधीन है; राजस्थान सरकार के विचाराधीन कोई योजना नहीं है ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार के पास कोई सुझाव पेश किया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऊपर बांध बन जायगा तो अपने आप बाढ़ रुक जायगी ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस बाढ़ को रोका जाय ताकि भाकड़ा नहर से सींची जाने वाली भूमि खराब न होने पाये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस बाढ़ को रोकने के लिये पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार की आपस में बातचीत चल रही है।

प्रश्न संख्या १००

किशनगढ़ नगरपालिका के चुनाव के पश्चात् मोअत्तिल व बरखास्त हुए कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ नगरपालिका का चुनाव कब हुआ ?

(२) उक्त नगरपालिका के चुनाव होने के बाद कितने कर्मचारियों को बरखास्त और मोअत्तिल किया गया और उनमें से कितने कर्मचारियों ने राज्य सरकार के पास अपील की तथा इनमें से कितने मामलों में राज्य सरकार द्वारा फैसला कर दिया गया है ?

(३) किन किन फैसलों को नगरपालिका द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) दिनांक ३१–१०–५३ को।

(२) ६ कर्मचारियों को बरखास्त किया गया। तीन व्यक्तियों ने सरकार के समक्ष अपील की जो स्वीकृत हुई।

(३) सिर्फ एक फैसला नगरपालिका द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि वह बोर्ड के विचाराधीन बतलाया गया है। उसके कारण दर्यापत किये जा रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—वह कौनसा फैसला है जो नगरपालिका ने कार्यान्वित नहीं किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नाम तो मालूम नहीं, तीन अपीलें थीं।

श्री भैरोंसिंह—क्या इस फैसले से सम्बन्धित एक व्यक्ति को रिश्वत के मामले में बरखास्त किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तीन मामलों में जहां सरकार ने फैसला किया है वहां एक भी नगरपालिका ने कार्यान्वित नहीं किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मेरे पास तो केवल यह जानकारी है कि एक मामले में कार्यान्वित नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—कौनसे मामले में कार्यान्वित नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तीन कर्मचारियों की अपील थीं वह मंजूर की गई, उनमें शायद एक ड्राइवर का केस था। जहां तक मेरे पास सूचना है दो के मामलों में फैसले को कार्यान्वित कर दिया है एक में नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे कि तीन आदमियों को बहाल करने का सरकार का आदेश था और उनको वेतन देने का आदेश दिया गया उनमें से सिर्फ एक को ही काम पर लगाया बाकी दो को नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके बारे में मैं फिर से जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस एक कर्मचारी को लगाया है उसके लिए सरकार के आदेश होते हुए वेतन बकाया नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वेतन देने के बारे में फिर हिदायत कर दी है।

श्री भैंरूसिंह—जब सरकार के आदेश की अवहेलना की तो क्या एक्शन लिया सरकार ने उसके खिलाफ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसकी मियाद ही खतम हो गई है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१

अजमेर जयपुर रोड पर बांढ़ी नदी पर पुल निर्माण की योजना

श्री सैयद हिम्मतअली—Will the P. W. D Minister be pleased to state:

(a) Is there any provision for construction of a bridge on the Bandi Nadi on Ajmer-Jaipur Road ?

(b) If so, how long will it take to complete its construction ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(a) No. The work is being considered for inclusion in the Second Five Year Plan of the National High-ways.

(b) The question does not arise at present.

रावराजा श्री सरदारसिंह—ताल्लुकात अच्छे हो गये तो तैयार हो जानी चाहिये।

श्री शाहअलीमुद्दीन—राजा साहब ताल्लुकात का सवाल ही नहीं था। २६ मील का मामला है। जयपुर के करीब का है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०२

भाखड़ा प्रोजेक्ट की गुड़िया हैड से निकलने वाली मानकसर माइनर से सिंचित होने वाले ग्राम

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] क्या भाखड़ा प्रोजेक्ट की मानकसर माइनर जो गुडिया हैड से निकलती है उससे मानकसर, फतेहपुर, ढालिया, शेरगढ़, चन्दडा तहसील, हनुमानगढ़, जिला गंगानगर के ग्रामों को सिंचाई अथवा पीने के लिये पानी दिया जाता है? यदि हां, तो कितना, और यदि नहीं, तो क्यों?

[ख] क्या यह सत्य है कि इन उपरोक्त ग्रामों में पीने तक को पानी नहीं दिया जाता?

[ग] क्या इस संबंध में उपरोक्त ग्रामों के किसानों द्वारा सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा गया है? यदि हां, तो सरकार उनकी शिकायत को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—[क] हां, नहर में पानी की आवश्यकता के अनुसार व इन गांवों की आवश्यकता को देखते जितना सम्भव होता है पानी दिया जाता है।

[ख] नहीं, ऐसी बात नहीं है जबतक कोई मजबूरी नहीं हो।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

[ग] सम्भव है। सरकार प्रयत्नशील है कि हमारी नहरों में अधिक से अधिक पानी मिले जिससे लोगों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

श्री धर्मपाल पंवार—इसके लिये गांव के लोगों का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास पहुंचा है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शिकायत तो है ही क्योंकि टेल हैड पर पानी नहीं पहुंचता। जब पानी फुल आवेगा तब शिकायत नहीं रहेगी और इसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या यह सही है कि इस तरह से पानी ऊपर नहीं पहुंचने का कारण मोखे का ऐसी जगह लगाया जाना है जहां से पानी ऊपर नहीं पहुंचता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मोखे का प्रश्न नहीं है। जो सप्लाई होती है ऊपर से वह बहुत स्लो होती है, इसलिए पानी कम आता है और शिकायत रहती है, अब प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या यह सही है कि नहरी कर्मचारियों और किसानों की आपसी तनातनी इसका कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी जानकारी तो आप दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३

नगरपालिका सरवाड़ के चुनाव के पश्चात सेवा से पृथक किये गये कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] नगरपालिका सरवाड़ का चुनाव कब हुआ और उस वक्त कुल कितने कर्मचारी सर्विस में थे ?

[ख] चुनाव के बाद किन किन कर्मचारियों को किन किन कारणों से अलहदा किया गया तथा उनमें से किन किन ने राज्य सरकार के पास अपीलें की हैं ? कृपया अलहदगी के लिये जो आदेश दिये गये हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें ?

Page No 41

[श्री चांदमल मेहता]

[ग] जिन कर्मचारियों को अलहदा किया गया उनकी योग्यतायें क्या क्या हैं और उनके स्थान पर रक्खे गये आदमियों की योग्यतायें क्या क्या हैं ?

[घ] ऐसे किन किन कर्मचारियों को नया नौकर रखा गया जो पहिले दोषी ठहराये जाकर अलहदा किये जा चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) दिनांक १५ फरवरी, १९५६ को। उस समय ३५ कर्मचारी थे।

(ख) दो चपरासियों को नौकरी से अलहदा किया गया :-

१—चपरासी, श्री रामस्वरूप गुजराती को गैंती चुराने व बोर्ड की नौकरी में बार बार लापरवाही दिखाने व बिना मन्जूरी छुट्टी पर रहने के कारण अलहदा किया गया।

२—श्री अब्दुल हकीम शेख, क्लर्क यद्यपि इन्टरमीजियेट थे परन्तु अनुभवी न होने के कारण सर्विस से बोर्ड द्वारा पृथक किये गये।

केवल श्री अब्दुल हकीम शेख ने निर्देशक, स्थानीय निकाय के पास नगरपालिका के विरुद्ध अकारण ही हटाने के कारण शिकायत की है, जिसकी निर्देशक द्वारा जांच की जा रही है।

बोर्ड द्वारा अलहदा करने की आज्ञाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ग) नगरपालिका सरवाड़ ने श्री अब्दुल हकीम शेख जो इन्टरमीजियेट पास हैं, के स्थान पर श्री करीम बक्स हलसीरी को नियुक्त किया है। श्री हलसीरो सातवीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं व एक अनुभवी व्यक्ति हैं। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने १९३० से १९५० तक किशनगढ़ स्टेट के भिन्न भिन्न विभागों में कार्य किया है।

(घ) अलहदा किये हुये व्यक्तियों में से बोर्ड ने चपरासी श्री रामस्वरूप गुजराती को पुनः नौकर रख लिया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरूं सिंह—श्री शेख कितने समय से काम कर रहे थे अपनी जगह पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी मेरे पास नहीं है। आप फैसले में देख लीजिये।

श्री चांदमल मेहता--जब इन्टर पास भी उपयुक्त नहीं रहे तो फिर उस जगह के लिये क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--यह तो क्लर्क की जगह थी। पहले वाला अनुभवी नहीं था इसलिये हटा दिया गया। अब सातवीं क्लास पास को रक्खा गया है जिसको अनुभवी व्यक्ति बताया जाता है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता--जिस वक्त पहले उसको नियुक्त किया गया उस वक्त अनुभवी या उपयुक्त समझा गया था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--उस वक्त इन्टर की वजह से अनुभवी और उपयुक्त समझा होगा और बाद में मालूम हुआ होगा कि अनुभवी नहीं है तो हटा दिया।

श्री भैंरूंसिंह--उसके स्थान पर नियुक्त किये गये व्यक्ति ने अनुभव किस जगह प्राप्त किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैंने कहा न कि सन् ३० से ५० तक किशनगढ़ स्टेट में भिन्न भिन्न जगहों पर उसने काम किया है।

श्री भैंरूंसिंह--क्या यह सही है कि नया आदमी पचीस साल की उम्र से ज्यादा भी है इसलिये नई नियुक्ति में उसे स्थान नहीं दिया जाना चाहिये था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--इसके बारे में निवेदन किया कि शिकायत आई है जिसकी डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ जांच कर रहे हैं। और अगर किसी को कुछ शिकायत है तो जाब्ते में उसे अपील या रिवीज़न की दरख्वास्त करनी चाहिये।

प्रश्न संख्या १०४

अजमेर को मेड़ता सिटी से मिलाने वाली सड़क को पक्की डामर की बनाने सम्बन्धी शासकीय व्यवस्था

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अजमेर को मेड़ता सिटी से मिलाने वाली निम्नलिखित गांवों में होती हुई सड़क को पक्की डामर की सड़क बनाने हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

अजमेर, पुष्कर, डानेडा नीलारा, बाडी घाटी, धावला ढ़ाणीपुरा, सायपुरा, भेरून्दा, डोडियाणा, पादु लापोलाई और मेड़ता सिटी।

(ख) क्या सरकार को विदित है कि बाडी घाटी इतनी सकड़ी और उसके दोनों तरफ इतनी ढ़ालू सड़क है कि आमने सामने आने जाने वाली बैल गाड़ियां व मोटर बसें आपस में क्रोस नहीं कर सकती जिससे कि आये दिन वहां एक दो बैल गाड़ी का हादसा होता रहता है ?

(ग) क्या सरकार इस बाडी घाटी को और चौड़ी करके यातायात के लिये सुगम व सुदृढ़ बनाने की शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेगी ?

(घ) क्या सरकार इस बाड़ी घाटी का मौजूदा नक्शा मय दोनों तरफ की तेज ढ़लानों के और अब किये जाने वाले सुधारों को शीघ्र ही सदन में पेश करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी को बाड़ी घाटी भेजकर वहां का नक्शा व लागत की रिपोर्ट को सदन में पेश करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(क) दूसरी पांचसाला योजना में शरीक कर लिया गया है।

(ख) हां, बाडी घाटी का हिस्सा ठीक नहीं है।

(ग) हां, मुनासिब कार्यवाही की जावेगी।

(घ) नही, इसमें वक्त लगेगा।

(ङ) सार्वजनिक निर्माण विभाग के इस इलाके के अफसरों ने मौका देख लिया है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—शुक्रिया।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट। पोस्टपोन्ड क्वेश्चन। राज श्री हिम्मतसिंह।

श्री भैरूं सिंह—अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—सात तारीख का पोस्टपोन्ड क्वेश्चन है राज हिम्मतसिंहजी का।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्वेश्चन बता दीजिये साहब। मुझे इस वक्त मालूम नहीं लिस्ट नहीं है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर आप बाद में देख लीजिये। नेक्स्ट। शार्ट नोटिस क्वेश्चन। श्री गनपतिसिंह।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं पूछ लेता हूं साहब। प्रश्न संख्या ५७।

श्री मानसिंह—जवाब दीजिये साहब। शोर्ट नोटिस फिर पढ़ेंगे साहब।

श्री भैरूंसिंह—गृहमंत्रीजी जवाब दें।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—कौनसा प्रश्न है ? मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—सात तारीख का ड्यू है इसका जवाब चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—हिम्मतसिंहजी का ?

राज श्री हिम्मतसिंह—जी हां।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ये तो एब्सेन्ट थे साहब।

श्री भैरूंसिंह—नहीं साहब आपने फरमाया कि पोस्टपोन था सात तारीख का। गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—मेरा कोई सवाल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा तो फिर शोर्ट नोटिस क्वेश्चन ले लें। श्री गनपतिसिंह।

श्री भैरूंसिंह—इस प्रश्न का फिर क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष—वे क्वेश्चन की जानकारी कर रहे हैं।

श्री मानसिंह—हमें तो है, उन्हें है या नहीं यह पता नहीं।

श्री भैरूंसिंह—वे जानकारी कर रहे हैं। जानकारी के बाद में ले लिया जाय तो फिर उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, तो फिर जितने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन का रिप्लाई हो जाय।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

"प्रोहिबिटेड बोर्स" की सूची में प्रविष्ट होने वाले हथियारों को लौटाने सम्बन्धी

श्री गणपतिसिंह—Will the Home Minister be pleased to state :—

Whether the Rajasthan Government would return to the owners all such weapons (rifles, pistols and revolvers) which are no longer in the list of prohibited bores but were originally taken away from the owners as "prohibited bores" ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—यह तो रिजोल्यूशन है।

श्री भैरूंसिंह—नहीं, शोर्ट नोटिस क्वेश्चन है साहब।

श्री रामकिशोर व्यास—The time given is too short and I am not able to reply.

श्री भैरूंसिंह—क्वेश्चन एडमिट कर लिया गया है और शोर्ट नोटिस क्वेश्चन उस समय एडमिट किया जाता है जब कि माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय उसको उत्तर के लिये स्वीकार कर लेते हैं, तो चूंकि यह प्रोसीडिंग्स में छप गया है और हाउस में आ गया है तो इससे हम ऐसा प्रीज्यूम करके चलते हैं कि इनके बारे में गृहमंत्रीजी से पहले पूछ लिया गया है। ऐसी स्थिति में अब यह दलील देना कि शोर्ट नोटिस था इसलिये जवाब नहीं दिया जा सकता तो ऐसा जवाब बिलकुल अनुपयुक्त है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका जवाब वे उनसे लें।

श्री रामकिशोर व्यास—आपने जो प्रिज्यूम कर रक्खा है वह गलत प्रिज्यूम कर रक्खा है। मैंने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी; यह आपकी सूचना के लिये मैं निवेदन कर देता हूं। इसके अलावा अन्डर रूल्स इतने शार्ट नोटिस पर दिये गये प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे मजबूर भी नहीं किया जा सकता।

श्री भैरूंसिंह—हाउस में जब एडमिट हो गया है उसके बाद फिर यह कहना कि...

श्री रामकिशोर व्यास—आप भेजेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के पास यहां से भेजा जावेगा और फिर I shall say whether it is possible or not.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—आप एक घंटे में जवाब दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं। मैं अर्ज करूं कि ८ तारीख को एडमिट हुआ था, कल मेरे पास आया है और यह पोसिबल नहीं है कि इसका जवाब अभी दे दूं।

Page No 46

श्री भैरोंसिंह—गवर्नमेन्ट की पोलिसी का सवाल है। जितने वेपन्स हैं जो प्रोहिबिटेड् बोर्स में नहीं हैं तो क्या उनको ओनर्स को वापिस कर दिया जावेगा और अगर नहीं तो क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—कमीशनर्स और कलेक्टर्स से भी पूछने का सवाल है।

श्री भैंरूसिंह—इसमें प्रोसिजर का सवाल है।

श्री रामकिशोर व्यास—बहस में जाने का सवाल नहीं है। मैं जवाब आज नहीं दे सकता।

श्री भैंरूसिंह—जब शोर्ट नोटिस क्वेश्चन एडमिट कर लिया गया है और अब मंत्रीजी कहें कि मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की तौहीन है। शोर्ट नोटिस क्वेश्चन एडमिट हुआ, मेम्बर्स को सरकुलेट कर दिया गया और उसके बाद यह कहें कि मैं जवाब नहीं दे सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर रूलिंग चाहता हूँ, इस प्रकार का बहाना लेकर जवाब क्यों दिया जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास—बहाने का सवाल नहीं है। यह बिलकुल सही है। मैंने रूल्स के माफिक ही जवाब दिया है। हाउस की तौहीन का भी सवाल नहीं है। मुझे कल भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर तैयार नहीं दिखता है, वर्ना देना चाहिये था।

(विरोधी-पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री रामकिशोर व्यास—यह जरूरी नहीं था।

श्री भैंरूसिंह—यह उपाध्यक्ष महोदय, की रूलिंग को चेलेन्ज करना है।

श्री रामकिशोर व्यास—स्पीकर साहब ने जो फैसला दे दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—यही फिर चेलेन्ज करना है।

श्री रामकिशोर व्यास—चेलेन्ज का सवाल ही नहीं है। यह जरूरी नहीं है।

एक माननीय सदस्य—कोई तारीख ले ली जाय?

('अब क्या तारीख होगी सेशन समाप्त हो रहा है' इस प्रकार की आवाज)

Page No 47

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, हिम्मतसिंहजी के क्वेश्चन का क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हिम्मतसिंहजी अनुपस्थित थे।

श्री भैरूसिंह—मिनिस्टर साहब ही गायब हो गये हैं।

(घंटी)

श्री रामकिशोर व्यास—हिम्मतसिंहजी ऐब्सेन्ट थे।

राज श्री हिम्मतसिंह—मिनिस्टर लोग ही गायब होते चले जा रहे हैं।

(घंटी)

जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नए नियमों का विज्ञापन एवं सदस्यों का मनोनयन

श्री उपाध्यक्ष—वित्तीय समितियों की घोषणा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७७ व १७८ में जनलेखा समिति व प्राक्कलन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट) की प्रणाली द्वारा किये जाने की व्यवस्था है, किन्तु इस प्रणाली का अनुसरण करने में अधिक समय की आवश्यकता है, अतः समयाभाव के कारण उपरोक्त नियम पूर्णतया इन समितियों की वर्तमान कार्यकाल की अवधि तक के लिए लागू न किये जाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ३२ के अन्तर्गत पृथक से अस्थायी नियम बनाये जाकर राजपत्र में प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिसकी एक प्रति माननीय सदस्यों को भी भेजी जा चुकी है।

इन अस्थायी नियमों में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को मनोनीत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है जिसके अनुसार दोनों समितियों के लिये निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये हैं :

जनलेखा समिति १९५६–५७

१. श्री द्वारकादास पुरोहित सभापति
२. ,, कुम्भाराम आर्य
३. ,, दुर्लभसिंह
४. ,, नाथूराम मिर्धा

[श्री उपाध्यक्ष]

५. श्री भैंरूंसिंह (१६)
६. ,, मथुरादास माथुर
७. ,, सज्जनसिंह
८. ,, एच० के० व्यास
९. ,, श्रीदास गोयल
१०. ,, हिम्मतसिंह (६१)
११. ,, शिवनारायणसिंह
१२. ,, रमेशचन्द्र भार्गव

प्राक्कलन समिति १९५६–५७

१. श्री जवानसिंह
२. ,, तेजमल बापना
३. ,, धर्मपाल
४. ,, भीमसिंह
५. ,, भैंरूंसिंह (११)
६. ,, भोपालसिंह
७. ,, मंगलसिंह (९४)
८. ,, मोतीलाल चौधरी
९. श्री शम्भूसिंह
१०. ,, लालबहादुर सक्सेना
११. ,, वेदपाल त्यागी
१२. ,, शिवदानसिंह
१३. ,, हरिदेव जोशी
१४. ,, जेठमल चौधरी
१५. ,, अर्जुनदास

सदन की मेज पर रखा गया अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५६ (भाग १)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५६ (भाग १) (ऑडिट रिपोर्ट) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री भैंरूंसिंह—मेरा प्रिविलेज मोशन था।

श्री नाथूराम मिर्धा—आप तशरीफ रखिये।

श्री उपाध्यक्ष—अभी इसके बाद।

राजकीय आश्वासन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय आश्वासन समिति, १९५६-५७ के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री हरलालसिंह द्वारा उचित रूप से शपथ न लेने के कारण विशेषाधिकार प्रश्न एवं उस पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष—एक प्रिविलेज मोशन श्री भैरोंसिंह की ओर से आया है। उनका नोटिस इस प्रकार है :

" Shri Harlal Singh, an existing Member of the House has committed the breach of the privilege of the House by attending the House as stranger after 3rd December, 1956 without taking oath in accordance with the provision of Article 188 (1) in th prescribed form as is given in Schedule III of the Constitution of India."

Shri Bhairon Singh.

श्री जवानसिंह—On a point of information, Sir, should we presume that the Hon'ble Deputy Speaker had found that requirement of Rule 57 has been complied with and after admission the Hon'ble Member is called upon to raise the motion of privilege ?

श्री उपाध्यक्ष—It has not been admitted. Only with the permission of the House, first he will state about the motion.

एक माननीय सदस्य—If the Speaker permits, he will explain the position.

श्री वेदपाल त्यागी—Before the Hon'ble Member is asked to explain, the House would like to know about the form of oath administered to him.

श्री उपाध्यक्ष—He is going to explain that.

श्री भैरूंसिंह (दांता-रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया है जिसका फॉर्म अभी माननीय उपाध्यक्ष की ओर से पढ़ कर सदन को बताया गया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अजमेर के मिल जाने के कारण, स्टेट्स

[श्री भैरूंसिंह]

रिओर्गनाइजेशन के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक समझा गया था कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य व अजमेर विधान सभा के सदस्य, जब एक रूप होकर राजस्थान की विधान सभा में, उसके कार्यों में भाग लें, तो (भाग) लेने से पहले नये सिरे से शपथ ग्रहण करें। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल की आज्ञा के अनुसार विधान सभा के इन सारे सदस्यों के शपथ ग्रहण करने के लिये ३ दिसम्बर, १९५६ का दिन निश्चित हुआ। ३ दिसम्बर, १९५६ को अजमेर व राजस्थान के समस्त सदस्यों ने जो उस समय उपस्थित थे मिल कर अध्यक्ष महोदय के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के सामने इस विधान सभा के सचिव के नाम पुकारने पर, सदन की मेज के समक्ष खड़े होकर शपथ ग्रहण की। उन सब सदस्यों में, जिस समय श्री हरलालसिंहजी शपथ ग्रहण करने के लिये आये, तो वह शपथ जिस प्रकार से ली जानी चाहिए थी नहीं ली गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कॉन्सटीट्यूशन के आर्टिकिल १८८ को सदन में पढ़ कर सुनाऊंगा; जिसमें है :

"Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third Schedule."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि, 'Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall.' अब मैं उस थर्ड शेड्यूल कि किस फॉर्म में शपथ ली जायगी, का उल्लेख करता हूं : 'Form of oath of offices for a Minister in the Union or a Member of the Parliament. I.A.B., having been elected (or nominated) a member of the Legislative Assembly (or Legislative Council) do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय श्री हरलालसिंहजी ने शपथ ली, उस समय, जिस समय वे माइक के सामने खड़े हुए उस समय के अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं, उनसे भली भांति परिचित थे कि माननीय सदस्य अनपढ़ हैं और अनपढ होने के नाते उन्होंने यह वाजिब समझा था कि यदि वह शपथ; जो कार्ड हाथ में लिये हैं, हालां कि रटकर लाये हैं, बोल नहीं सकेंगे और बोल नहीं सकेंगे इसलिए उन्होंने यह उचित समझा कि माननीय सदस्य से पूछ लिया जाय कि यदि वह पढ नहीं सकें तो वे (अध्यक्ष) बोलते जांय और माननीय सदस्य उन्हीं शब्दों को रिपीट करते जांय। लेकिन एक बड़े नेता होने के कारण, कांग्रेस कमेटी में होने के कारण, प्रोविन्शियल कमेटी के सदस्य होने के कारण शायद उन्होंने उचित नहीं समझा होगा कि विधान सभा में, जहां राजस्थान और अजमेर के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, दर्शक गेलेरी में (दर्शक) बैठे हुए हैं, प्रेस गेलेरी में प्रेस रिपोर्टर

[श्री भैरूंसिंह]

बैठे हुए हैं, उन सबके सामने माननीय अध्यक्ष जो बातें कहें उनको मैं पढ़ूं, तो मैं अनपढ़ हूं इस बात को सिद्ध करेगा, इसलिये शायद उचित समझा कि जो रटा हुआ है, वह रटा हुआ, सामने कार्ड रख कर बोल दें। उन्होंने कार्ड सामने रखा और दिखाया भी इस तरह कि जैसा लिखा हुआ है वही बोल रहे हैं, लेकिन वे पढ़ नहीं सके और जो रटा हुआ था वह भी भूल गये। सदन में उस समय इस प्रकार का एटमोस्फियर बना कि सदन के सदस्यों ने ऐसा सोचा कि यह शपथ नहीं ली गई और शपथ नहीं लीं इस कारण से इस सदन के एक सदस्य ने एतराज किया, "This is no oath." अर्थात् 'शपथ नहीं ली गई है।' इस पर उस समय के अध्यक्ष महोदय ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा कि शब्दों में हेरफेर हुआ है लेकिन इस फोर्म में जो कुछ लिखा है वह इनको मान्य है। इस सारी बात की पुष्टि में सदन की प्रोसीडिंग्ज़ का हवाला देना मैं उचित समझूंगा, सदन की प्रोसीडिंग की १ बजे से १-१० बजे तक की जो कार्यवाही हुई है वह पढ़ता हूं। सचिव महोदय की ओर से आवाज पुकारी जाती है, "सरदार हरलालसिंहजी।" प्रोसीडिंग में उनके नाम के आगे लिखा हुआ है, 'गलत पढ़ा' और उसमें फिर लिखा हुआ है। श्री वेदपाल त्यागी—This is no oath यह शपथ नहीं ली गई। उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से कहा गया,

"श्री अध्यक्ष—कुछ शब्दों में हेर फेर हुआ है लेकिन वह सारे शब्दों को स्वीकार करते हैं जो इसमें लिखे गये हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जबर्दस्त प्रमाण है। इसके प्रमाण की पुष्टि में मैं हमारे यहां के एक प्रसिद्ध अखबार स्टेट्समेन का भी उल्लेख करूंगा जिसके पेज ३, कौलम ३ पर लिखा है :

"Earlier the members of the Combined Rajasthan and Ajmer Legislatures were sworn in when Mr. Jai Narain Vyas acted as Provisional Speaker as appointed by the Governor. Some of the members, who could not read were helped by the Chair in repreating the oath. But a few who had learnt the oath by heart and pretended to read it caused much mirth in the House by not being able to repeat it correctly. When Sardar Harlal Singh did so, a point of order was raised by Mr. Bhairon Singh (Jan Sangh). The Chair ruled that although some changes had been introduced by the member, he accepted all the words that were in the text of the original oath."

उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि शपथ जिस प्रकार से ली जानी चाहिये थी वह नहीं ली गई। मैं समझता हूं अब इसमें कोई विशेष प्रकार के तथ्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती।

[श्री भैरूंसिंह]

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जो सदस्य ठीक प्रकार से शपथ नहीं लें और सदन की कार्यवाही में भाग लें तो सदन की कार्यवाही में भाग लेने का जो कार्य है वह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं कि यदि ऐसे सदस्य को स्ट्रेन्जर कहूं तो मैं समझता हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और चाहिये तो यह था कि जिस तरह से एक स्ट्रेन्जर से बर्ताव करना चाहिए उसी प्रकार का बर्ताव शपथ नहीं ग्रहण करने के बाद, जिस समय माननीय सदस्य ने सदन की कार्यवाही में भाग लिया, उनको रोक देते और उनके साथ में वही बर्ताव होता जो कि एक स्ट्रेन्जर के साथ होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कॉन्सटीट्युशन में इस बात की व्यवस्था की गई है। इसके आर्टिकल १९३ में लिखा है—

"If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188,"

आर्टिकल १८८ का मतलब किस प्रकार से शपथ ली जायगी, वह लिया जायगा।

—'When he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes, to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State."

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। मैं इस सम्बन्ध में यह सुबूत प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो सदन में अटेन्डेन्स रोल है, जिसे अटेन्डेन्स रोल तो नहीं कह सकते लेकिन मेम्बर्स की एक सूची दोनों लोबीज़ में रखी हुई होती है, जिस पर मेम्बर्स अपने दस्तखत करते हैं, उस पर सरदार हरलाल सिंह जी ने अपने दस्तखत किये हैं। यह एक मोटा सुबूत है। सरदार हरलालसिंह जी ३ तारीख से १२ तारीख तक सदन में उपस्थित रहे। कल मैंने प्रश्न उठाया था और आज भी जब कि वे सदन में इस समय विराजमान हैं, मैं यह प्रश्न उठाता हूँ। आज हमको इस बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया या नहीं। अब यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सदन में एक खाली कुर्सी को सुशोभित किया, लेकिन उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वे सदन में बोलते बहुत कम हैं शायद ही वे कभी कभी बोलते है। वे सदन में किसी प्रकार से भी भाग ले सकते हैं। लेकिन हमने कुछ बिल्स इस सेशन में पास किये हैं और उनको पास करते समय वोइस वोट्स लिये गये हैं, 'हां पक्ष' या 'ना पक्ष' कहला कर। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वे सदन में मूर्त रूप से भी भाग लेते हैं तो भी 'हां' कहने के लिये 'हां' पक्ष की तरफ से 'हां' भी कहते हैं और यदि कोई 'ना' पक्ष के सदस्य होते हैं तो 'ना' भी कहा

[श्री भैंरू सिंह]

आता है। तो आज यह इन्कार नहीं करना चाहिए कि सरदार हरलाल सिंह जी ने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है।

अब तीसरा प्रश्न यह आता है कि सरदार हरलालसिंह जी ने यह कार्यवाही जानबूझकर की है या नहीं ? मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे चाहे अनपढ़ हैं लेकिन एक बड़े दल के बड़े नेता हैं और उनके दल के द्वारा विधान बनाया गया है। लेकिन उनको विधान का ज्ञान न हो, यह बात नहीं है। वे जानते थे कि सदन में शपथ लेनी है इसलिए उनको यह भी ज्ञान था कि शपथ रटी हुई होने के कारण वे ठीक ढ़ंग से पढ़ नहीं सके हैं। उस समय इस पर ऐतराज भी उठाया गया लेकिन उस समय के अध्यक्ष ने कहा कि शब्दों में हेर फेर हुआ है लेकिन माननीय सदस्य को मंजूर है। यदि श्री हरलालसिंह जी इसको मंजूर कर लेते कि जो कुछ शपथ पत्र में लिखा है मैं उसको मानता हूँ तो यह चल सकता था कि उन्होंने शपथ ग्रहण की है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कहने पर भी जब तक माननीय सदस्य की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक अध्यक्ष की तरफ से जो कुछ कहा जाय उस पर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने शपथ ली। अध्यक्ष महोदय यह कहें कि यह चीज़ उन्हें मान्य है और श्री हरलालसिंह जी उसको स्वीकार कर लेते तो वह काफी था। इससे यह साफ है कि सरदार हरलालसिंह जी को जिस प्रकार की शपथ सदन में लेनी चाहिये थी उस प्रकार की शपथ नहीं ली गई और उसके बाद आज तक उन्होंने शपथ नहीं ली और ८ दिन तक जान बूझकर कर सदन में बैठकर उन्होंने सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी कुछ उल्लेख करूंगा जैसा कि मेज़ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस के पेज २७२ पर लिखा है :—

"Penalties for ommission to take the oath.-By the Acts 30 Chas. 2, Stat. 2; 13 Will 3, c. 6: and Geo. 1, Stat. 2, c. 13, severe penalties and disabilities were inflicted upon any Member of either House who sat or voted without having taken the oath. By the Parliamentary Oaths Act, 1866 any Peer voting by himself or his proxy, or sitting in the House of Peers without having taken the oath, is subject for every such offence, to a penalty of five hundred rupees (Pounds); and any member of the House of Commons who votes as such or sits during any debate after the Speaker has been chosen, without having taken the oath, is subject to the same penalty, and his seat is also vacated in the same manner as if he were dead. These penalties can be recovered upon the suit of the Crown alone (r). When Peers or Members have neglected to take the oaths from haste, accident, or inadvertence, Acts or indemnity have been passed to relieve them from the consequences of their neglect. In the Commons, however, it is necessary to move a new writ immediately the ommission is discovered, as the Member's seat is vacated."

[श्री भैरूं सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, तो यह कहने में अब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतवर्ष की विधान सभाओं में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितनी भी कार्यवाही हुई है उन सब कार्यवाहियों में शपथ न लेने की क्रिया होने पर किस तरह के दंड का विधान रखा गया है, इसमें यह भी है पेज ११० पर : "Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or to abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House, is a contempt of that House."

मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि गवर्नर महोदय ने ऐसी आज्ञा दी थी कि उस समय के स्पीकर शपथ ग्रहण करायेंगे। उस समय के स्पीकर ने श्री हरलालसिंहजी का नाम......

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

पुकारा और इच्छा जाहिर की कि सदस्य के नाते वे शपथ ग्रहण करें। लेकिन उन्होंने उस प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन किया है और वे आज तक बिना शपथ लिए सदन में बैठे रहे और उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन के डिकोरम का प्रश्न है और सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उन्होंने हमको आघात पहुँचाया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन की जो प्रिविलेजेज़ कमेटी है उसके सामने यह मामला प्रस्तुत किया जाय और माननीय सदस्य को शपथ दिलाने के बाद सदन में बैठने की इजाजत दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर—अध्यक्ष महोदय,...

श्री अर्जुनदास—Whether all members will be allowed to speak ?

श्री अध्यक्ष—I do not know what was the discussion going on but when the Hon'ble Member has raised some point......

श्री वेदपाल त्यागी—He is the mover of the motion.

श्री अध्यक्ष—The motion has not been admitted.

श्री भैरूंसिंह—It has been admitted.

श्री अध्यक्ष—I have no knowledge at least whether it is admitted. I will like to know from the Deputy Speaker whether in my absence he has admitted it ?

श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)—It has not been admitted.

श्री अध्यक्ष—(श्री उपाध्यक्ष से) आपने कैसी इजाजत दी है।

श्री लालसिंह शक्तावत—For admissibility. He was only allowed to explain his motion.

श्री अध्यक्ष—Yes, Mr. Mathur.

श्री मथुरादास माथुर— Mr. Speaker, Sir, I oppose the admissibility of the motion. This motion ought not to have been admitted because the Hon'ble Member simply explained the motion which he wanted to move in this House. No. 1, Sir, I submit that it is not at all the breach of the privilege of the House. Consequently, I submit that so far as the merits of the whole case is concerned, you were also present in the House, Sir, I submit, Sir, at that time when Shri Jai Narayan Vyas was presiding, the Hon'ble Member, Shri Harlal Singh, read out the oath, and in reading out the oath he could not make out certain words clear, and therefore, the objection was raised. After that the Hon'ble Speaker, presiding at that time, had said these words : "कुछ शब्दों में हेरफेर हुआ है, लेकिन वे सारे शब्दों को स्वीकार करते हैं जो कि लिखे हुए हैं।"

After that the Speaker, the Presiding Officer, at the time thought it fit and said that it was not necessary to take oath again. Therefore the Member walked to the dais and ultimately subscribed the oath according to Article 188. So far as the subscribing of the oath is concerned it was properly done, because the Hon'ble Member signed the register which was placed there, and so far as the making of the oath was concerned it was also read out what was there and it is definite from record, although certain words were not clear. However it is evidently clear that the Speaker did not think it wise at the time to ask the Hon'ble Member to read out the oath again. The Speaker was the authority to say whether the oath had been made or subscribed correctly. The Speaker, the Presiding Officer at that time, at that time did not ask the Member to read out the oath again. If it was not properly done, the final judgment or the ruling would come only from the Chair, and the Chair, at that time, passing these remarks ultimately did not think it wise to read out the oath again. The presumption, therefore, is that the oath was taken correctly, Sir, I would submit Sir, that the presumption was in the mind of the Member himself as the Hon'ble Member was sitting in this House and the Hon'ble Speaker had allowed him to sit in this House, it is to be presumed that he had satisfied the requirements of the Article 188. the Hon'ble

[श्री मथुरादास माथुर]

Speaker said, all right, go ahead. So he subscribed the oath. Therefore, it is not the fault of the Member at all. As a matter of fact a ruling was given there and the Member was not asked to retake the oath.

Then, Sir, further when the question was raised in the House yesterday by the same mover of the privilege motion, at that time, Sir, you also did not think it wise that he must come and take oath again. You said, when the Hon'ble Member insisted upon his point, the ruling from the Chair was that he must give in writing. Even yesterday, till yesterday, it was not thought by the presiding officer that he should retake the oath. So the question of privilege does not arise, because the Member was under the impression that he has taken the oath correctly, the sections, the relevant sections which have been read out by the mover of the resolution or motion, he has said this thing that if the Hon'ble Member is a stranger; if anybody comes and stealthily sits here, then of course the penalty is there. I agree. Whatever he has read out is not applicable in such cases. The member has been duly elected as a member. Shri Harlal Singh has been a member of this House for so many years. If he was to take oath again after 1st November, that was only technical. Any way he went to the dais, took the oath and subscribed it, and he was under the impression that whatever he made or subscribed, fulfilled the requirements of section 188, and he is under the impression that the Speaker, the Presiding Officer of that time, was satisfied with his making and subscribing the oath. Therefore, it will not be his fault. Therefore the question of privilege does not arise at all.

The other argument is that whatever he subscribed or whatever he made might have satisfied the Speaker at that time and the Speaker thought it fit not to ask him to retake the oath. Suppose the members feel that it was not done. Then they must ask the member to come today for their satisfaction and technically fulfil every word of the law or under the article he can be asked to come and read out the oath again. Sir, if you at all think it wise at this stage now to ask the Hon'ble Member to come and retake the oath, well, as I told you, it is a privilege of a member to come and swear in the name of God, swear allegiance to the Constitution of India ten times. It is his privilege. So far I think, Sir, so far as that part is concerned, no member can have any hesitation and if the Hon'ble Members can have any doubt it can be repeated.

So far as the breach of privilege is concerned, it is ordinarily implied in article 193 that whereas penalty is prescribed, the question of privilege does

[श्री मथुरादास माथुर]

not arise. If an offence has been committed, Rs. 500 is the penalty prescribed in this case. If a person walks into the House and participates in the debate, the penalty is provided. But that happens when the House is very big and it is not possible to judge there. Here is fundamentaly different. Neither it is a question of privilege nor it is a question of penalising. The simple question here is of interpretation, whether the requirements of Article 188 of the Constitution had been rightly fulfilled at that time and what was the intention of the Speaker at that time. We can gather from the words and from the action of the Speaker himself who was presiding at that time. His words are very clear. His action is very clear. He could have asked the Member to retake the oath. He has not done that; and the member continuously attended the House. There is no doubt about that. I would respectfully submit that niether it is a breach of privilege, nor it is a question in which a member wanting to raise a question can say that he is a stranger or trespasser in the House. The member was duly elected and as such he continued. He came, read out the cath, subscribed the oath and because certain words were not clear, objection was raised with regard to satisfying the requirements of Article 188 where they were fulfilled, and therefore he gave a ruling on this case. Therefore, the question does not arise in this case,

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, इस मामले को और कन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—तो एडवोकेट-जनरल की राय ले लें ।

श्री अर्जुनदास—I think before we proceed further, let us first decide the question of admissibility; before we can hear the Advocate-General on the question of admissibility.

श्री अध्यक्ष—The debate is being heard only on admissility.

श्री अर्जुनदास—The rules say everything, but they do not permit any discussion on a question of privilege. As the rule stands, we have got to presume....

श्री अध्यक्ष—I doubt.

श्री अर्जुनदास—We have got to presume......

श्री अध्यक्ष—No, no. No item which is not on the agenda can come before the House unless it is permitted by the Speaker. It is not placed in the agenda and it has not been admitted by the Speaker.

श्री अर्जुनदास—The Deputy Speaker, had, Sir...

श्री अध्यक्ष—Why blame the Deputy Speaker when he denies he has not admitted.

श्री लालसिंह शक्तावत—I never admitted it. I simply allowed that this should be explained, the motion should be explained and after explaining whether it comes under privilege, then the question will arise whether it should be admitted as a privilege motion or not.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, इस विषय में दो मत नहीं हैं कि जिस रूप में शपथ ली जानी चाहिये थी-उस रूप में शपथ नहीं ली गई और यही वजह है कि उस समय भी ऑब्जेक्शन किया गया था कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने शपथ-पत्र को पढ़ा है, वह शपथ की डेफिनिशन में नहीं आता और इस पर तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यद्यपि शब्दों में कुछ हेर फेर हुआ है लेकिन जो कुछ इसमें लिखा है उसको स्वीकार करते हैं। हो सकता है टेलीपेथी के द्वारा या और किसी जरिये से माननीय सदस्य और तत्कालीन अध्यक्ष इस बात को समझ गये हों, लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन जिस बात को प्रोवाइड करता है कि जिस रूप में ओथ का फोर्म दिया गया है, उसी रूप में हरेक मेम्बर को, जो कि चुन कर यहां आये हैं, इस सदन में ओथ लेना आवश्यक है। अगर वे उसी रूप में ओथ नहीं लेते हैं और शब्दों में कुछ हेर फेर करते हैं, तो वह प्रोपर ओथ नहीं मानी जा सकती। इस शपथ-पत्र में लिखा है कि कान्स्टीट्यूशन के प्रति वफादार रहूँगा और वे कान्स्टीट्यूशन की जगह कुछ और वर्ड और रख देते हैं और उसके प्रति वफादार होने की शपथ ग्रहण करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार वह शपथ ग्रहण की गई है वह शपथ नहीं मानी जा सकती। उसका कुछ परिणाम होता है या नहीं होता है, उस परिणाम से डर कर ही इस बात की आड़ ली जा रही है कि इन्डेम्निटी क्लॉज़ की तरह ही इस प्रश्न को भी नहीं उठाना चाहिये। आज वे ओथ लेने को तैयार हैं, तो वह उसी वक्त हो सकता है कि जो पहले ओथ ले चुके हैं, उस ओथ को ओथ न माना जाय। यह दलील दी गई कि उस वक्त कुछ शब्दों में हेर फेर हो गई और उसको तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने पर्याप्त समझा तो उस आधार से यह प्रश्न नहीं उठता। कल भी अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि आप यह लिख कर दीजिये, यह भी उन शब्दों को पर्याप्त समझ कर कहा गया ! मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि शब्दों को पर्याप्त समझने का प्रश्न नहीं है। जिन शब्दों में ओथ ली जानी आवश्यक है, अगर उन शब्दों में शपथ नहीं ली गई तो माननीय सदस्य को, उसका जो परिणाम होगा, उसको भुगतने के लिये तैयार होना चाहिये। लेकिन यह जो प्रोविजन हमारे संविधान में रखा गया है उसः

[श्री वेदपाल त्यागी]

प्रोविजन को ठीक तरह से मानना हमारा कर्तव्य है। उसके पीछे जो सैंक्टिटी है उसका ध्यान हमें रखना चाहिये। उसका ध्यान न रखकर ऊट-पटांग शब्दों में बोल कर शपथ ग्रहण करना, उसके लिये कहा जाता है कि शपथ ग्रहण कर ली गई, वह किसी सूरत में शपथ ग्रहण की हुई नहीं कही जा सकती। मूवर महोदय ने, हालांकि वह मोशन अभी मूव नहीं हुआ है, जिस प्रकार वह कार्यवाही पढ़ कर सुनाई, तथा वह कार्यवाही जो अखबारों में छपी है, वह इस बात का प्रमाण है कि माननीय सदस्य ने, जिस रूप में शपथ ली जानी चाहिये उस रूप में शपथ नहीं ली और इसका जो भी परिणाम हो वह उन्हें भुगताना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि प्रिविलेज का क्वेश्चन बनता है कि नहीं? सदस्य को इस सदन के अधिकार तभी मिलते हैं जब कि चुनाव होने के बाद आकर शपथ ग्रहण करें। परन्तु उन माननीय सदस्य ने जिस रूप में शपथ ग्रहण की है उसे शपथ ग्रहण करना नहीं कहा जा सकता और ऐसी सूरत में उन्होंने अधिकार के खिलाफ सदन की तौहीन की है, तो प्रत्यक्ष रूप से यह हमारे प्रिविलेज का क्वेश्चन बनता है और प्रिविलेज कमेटी ही इसको तय करेगी। इसे एडमिट करने के लिये प्राइमाफेसी काफी है और इसे एडमिट करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष,······

श्री अध्यक्ष—यह भी क्या डिबेट का विषय बन गया है?

श्री मानसिंह महार—यह एक नया पोइन्ट है।

श्री अध्यक्ष—आपके सब पोइन्ट्स नये हैं। किस बारे में है?

श्री मानसिंह महार—एडमिज़िबिलिटी के बारे में है, नई बात है।

श्री अध्यक्ष—आपकी फेक्च्युअल बातें होती हैं, लीगल होनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल लीगल, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनैस के चेप्टर २ में रूल ५ देखेंगे तो ओथ और एफर्मेशन के लिये लिखा है :

"Oath or affirmation— A member who has not already made and subscribed an oath or affirmation, in pursuance of Article 188 read with Article 238 of the Constitution, may do so at the commencement of a sitting of the House on any day after giving previous notice to the Secretary in writing."

[श्री मानसिंह महार]

तो आज तक अगर हमारे शेखावाटी से आये हुए मित्र, जिनके खिलाफ यह प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है, उन्होंने हमारे रूल्स को ओबे नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं महज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से अर्ज करूंगा कि उसमें पेज १११ में "Disobedience to rules or orders of either House..."

श्री अध्यक्ष—डिसओबिडियेन्स का सवाल तो बाद में आता है, आप तो यह कहिये कि ओथ नहीं ली गई है।

श्री मानसिंह महार—"Disobedience to rules or orders of either House. Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House, is a contempt of that House."

मैं तो यह कहता हूं कि उन्होंने कान्स्टीट्यूशन की ही अवहेलना नहीं की है बल्कि इस सदन की कन्टेम्प्ट भी की है······

श्री अध्यक्ष—order !

(घन्टी)

श्री मानसिंह महार—मैं यह समझा हूं, अध्यक्ष महोदय·······,

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय······,

श्री अध्यक्ष—आप बोलेंगे ?

श्री तनसिंह—हमारे सामने (ऐसे प्रस्ताव की) एडमिसिबिलिटी के लिये विचार करने योग्य जो बातें हैं वे क्लॉज़ ५७ में तीन बातें दी हैं, उन पर विचार करना है।

पहली है : "Not more than one question shall be raised at the same sitting."

तो यह भी निर्विवाद सत्य है, एक ही प्रश्न उठाया है।

"The question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

[श्री तनसिंह]

इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि यह सवाल एक विशेष मुद्दे का है और विशेष बात पर है और अभी घटी घटना पर है ।

तीसरी बात है कि : "The matter requires the intervention of the House."

तो इसमें भी कोई सन्देह की बात नहीं । सवाल यह है कि हमारे यहां डिस्कशन जो हो रहा है कि माननीय सदस्य ने ओथ ली या नहीं ली, हमें इस फेक्ट में जाने की आवश्यकता नहीं । प्राइमाफेसी यही काफी है कि चेयर की तरफ से कह दिया जाता है कि शब्दों में हेर फेर है । इसे ओथ लेना माना गया है कि नहीं, मैं समझता हूं इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं । ये तीन बातें ही काफी हैं । गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, यह प्रिविलेज कमेटी का काम है ।

मुख्य सचेतक महोदय ने वाद-विवाद किया, वह भी इसी बात पर था कि ब्रीच ओफ प्रिविलेज किया है कि नहीं । ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द न किया जाय । अगर वे दोषी हैं तो इसका जो परिणाम है वह उन्हें भुगतना चाहिये और अगर निर्दोष हैं तो छूट जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—There are two points. One is whether the oath was proper and if the oath was not proper then whether it constitutes a breach of the privilege. These are the two points.

श्री तनसिंह—निवेदन यह है कि रूल ५७ में हम फेक्ट्स पर जाते हैं, हमें देखना यह है कि बिना ओथ के यदि कोई व्यक्ति यदि सदन में घुस जाता है तो यह हाउस का इन्टर्वेन्शन है कि नहीं ? यदि ओथ ली हो तो उस पर कहा जा सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमाफेसी के लिये यह प्रमाण काफी है कि उस समय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि शब्दों में हेर फेर किया है । अध्यक्ष महोदय, यह आपके हाथ की बात नहीं, मैं कुछ का कुछ बोल देता हूं तो आप जबरदस्ती गला पकड़ कर तो नहीं रोक सकते । तो उन्होंने जो कहा वैसा कहने से जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते थे । तो हम तो यही समझ सकते हैं कि उन माननीय सदस्य की जो इच्छा थी वही वे बोले हैं, जिन शब्दों को वे इच्छानुसार निकालना चाहते थे वही उन्होंने निकाले हैं । चाहे शब्दों का कुछ भी हेर फेर हुआ हो वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने स्पष्ट इच्छा से संविधान के प्रति श्रद्धा रखने का प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया है और वह शपथ काफी नहीं थी, इसलिये यह प्रिविलेज मोशन एडोप्ट किया जाना चाहिये ।

श्री अर्जुनदास—Sir, the point before the House is not whether a breach of privilege has been committed or not. The point is something different. That point is to be decided by the Committee of Privileges. The Committee is appoin-

[श्री अर्जुनदास]

ted only for the purpose of seeing and deciding whether a breach of privilege has occurred or not. We are not here to discuss whether the breach has occurred or not. That is entirely within the jurisdiction of the Committee of Privileges.

The other thing I would like to suggest is that every House should be too particular for its own privileges. It is not a question of party feelings. It is a question of the dignity of the House and privileges of the House. If a privilege of the House has been contravened, every party should rise and agree that some action should be taken. We should not treat this on a party level basis and sir, if the party in power wishes to treat this on party basis, I can assure that the Committee of Privileges also consists mostly of Congress people. They will have their voice there. Therefore, why feel shy of sending this matter to the Committee of Privileges which shall finally decide the point once for all whether the oath taken in this manner was an oath which constituted a breach of privilege or not ?

Sir, I heard one of the Hon'ble Members suggesting that the oath may be taken over again. But conceding this point I atleast feel that he was in agreement with us that the Hon'ble member concerned has not properly been sworn in and if he has not been sworn in then we have got to see whether it is a breach of privilege. So this point should be decided by the Committee of Privileges. That Committee is also appointed by this House with a view to see that no breach takes place at all. Let us not go into that question. That question will be decided hereafter.

One of the members on the other side also suggested that the then presiding authority had given a ruling on this point at that time and. therefore, we should accept it. My contention is that the presiding authority on the 3rd had no power to decide any question of law or any point of order raised at that time. He was just a presiding authority under Article 188, Sir, and he has no right and any point of order may have been raised at that time. On the contrary the assertion has not been properly shown and it is sufficient that this matter be sent to the Committee of privileges which will look into it from all aspects, whether such thing has taken place or not, Sir?

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, जहां तक ओथ के लिये जाने का प्रश्न है, जैसा मेरे मित्र श्री मथुरादास जी माथुर ने कहा कि ओथ यहां पर ली गई और ओथ प्रोपर थी या नहीं उसके लिये तो जो उस समय के चेयरमेन थे, उनका यह रूलिंग है कि ओथ प्रोपर थी। इसलिये प्रिविलेज का प्रश्न पैदा नहीं होता। माननीय सदस्य ने उस समय ओथ लेने के आदेशों का पालन

[श्री गोपीलाल यादव]

किया और उन्होंने पढ़ा, ठीक तरह से वह नहीं पढ़ा गया, मगर चेयरमेन का रूलिंग था कि समझ का फर्क है, मगर मतलब यही है; इसलिये हाउस के ब्रीच ओफ प्रिविलेज का प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रश्न जो पैदा होता है वह यह यह है कि जो रूलिंग उस समय चेअरमेन ने दी वह सही थी या नहीं ? वास्तव में जो ओथ उस समय ली गई वह सही थी या नहीं। हाउस अब भी अगर यह समझे कि उसमें कोई फर्क था तो दुबारा ओथ ली जा सकती है। लेकिन एक ही पोइन्ट इसमें डिस्कस हो सकता है और वह यह कि उस समय के चेयरमेन का जो रूलिंग था वह सही था या गलत ?

The ruling of the Chairman can be discussed and not the form of oath. हाउस इस नतीजे पर जब तक पहुँचता नहीं कि जो रूलिंग उस समय के चेयरमेन ने दी वह गलत है तब तक किसी प्रकार के प्रिविलेज का प्रश्न हर्गिज पैदा नहीं होता।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (Advocate-General)—Mr. Speaker, Sir, on the question of privilege I have very simple reasoning to state before you, Sir, that every breach of privilege is contempt of House and is punishable by the House itself. Here the penalty for breach is provided by the Costitution and not leviable by the House. Therefore, I would say, Sir, that such a matter of breach of privilege is not a breach of privilege.

श्री अर्जुनदास—The point is whether this is a breach of privilege or not ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—The penalty under this article is not leviable. The phrasology is "......he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State." The penalty is leviable by the State and not by the House. Now the point is whether the particular member has taken oath or not, that as a matter of fact, has been decided and that too has been decided by the person who had represented the Governor under Article 188. It says, "Every Member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for rhe purpose in the Third Schedule." So, if that person or the Governor thinks that oath has not been taken by him, the State can levy a penalty. Every such person is punishable by Article 193. If there is a breach of privilege, the House is not competant to levy penalty under the Constitution and such powers of the House under the Coustitution have been taken away and therefore no question of breach arises here.

श्री त्यागी—Mr. Speaker, Sir, I cannot agree with my learned friend and the anology under Article 193 as put in by the Advocate General. I would draw the attention of the House to Article 193 of the Constitution. Article 193 is not laid down for deciding the question of Membership. It is made for realisation of dues due to the State. It clearly says: "If a person sits or votes as member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State, before he has complied with the requirements of Article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, so that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each ....". So this does not take away in any way the powers of this House as to whether this is a question of privilege or not. It is simply because the fine has been prescribed, therefore, I would submit Sir, that it will not remove the question of the privilege on this wrong anology. With due respect to him I would say that it is simply fine prescribed here and not breaking the previlege provisions of 188 of the Constitution.

श्री अर्जुनदास—On a point of information, Sir, does the Advocate General belong to the Congress Party ?

श्री अध्यक्ष—Not that.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Mr. Speaker, Sir, you had not admitted the motion. The question would arise only after the motion is admitted.

श्री भैरूंसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल महोदय ने आर्टिकल १९३ के बारे में इस सदन में यह प्रश्न प्रस्तुत कर दिया कि सदन को जुर्माना करने का अधिकार है या नहीं। मगर प्रश्न सदन के सामने यह है कि इस समय जो ओथ ली गई वह ठीक प्रकार से ली गई या नहीं ? मैं समझता हूं कि जो मुद्दे का पॉइन्ट है उसको तो एडवोकेट महोदय ने आर्टिकल १९३ के नीचे दबा दिया है। उनकी राय सदन में इस सम्बन्ध में ली जावे कि जिस प्रकार से ओथ ली गई वह ठीक प्रकार से ली गई या नहीं ? अगर इस पर एडवोकेट जनरल अपनी राय दें तो उचित होगा। स्पीकर ने रूलिंग दिया या नहीं उसके बारे में सदन काफी जानकार है लेकिन जिस ढंग से ओथ ली गई उस पर भी एडवोकेट जनरल जरा बता सकते कि वह ठीक प्रकार से ली गई या नहीं और उसको इसी प्रकार से मानी जाना चाहिये जिस प्रकार से कॉन्स्टीट्यूशन में है, तो मैं समझता हूं कि एडवोकेट जनरल इस बात को साफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूंसिंह को सम्बोधित करते हुए) आप बोलेंगे ओथ के बारे में ?

श्री भैरूंसिंह—आप अपनी राय... ..

श्री वेदपाल त्यागी—Whether the form decided does attach to this sanctity, oath taken in any other form is admissible ?

श्री अध्यक्ष—Do not press this question any more.

श्री गुलाबचन्द् कासलीवाल—I am ready to answer the question only when the Hon'ble Speaker decides that the motion is admitted.

श्री अध्यक्ष—I have got in writing.

जहां तक प्रिविलेजेज़ का सवाल है पार्लियामेंट ऑफ यू० के० के अन्दर जो प्रिविलेजेज़ हैं वे ही हमारे कॉन्स्टीट्युशन के अनुसार, हमारे इस हाउस के भी प्रिविलेजेज़ हैं और उनसे न तो हम ज्यादा जा सकते हैं और न जो प्रिविलेजेज़ हैं उनको हम कर्टेल ही कर सकते हैं। मैं यह समझता हूँ कि किसी मेम्बर का ओथ न लेना, ओथ न लेकर के हाउस में बैठना, ये सवाल प्रिविलेजेज़ में नहीं आते और इसलिए जो यह मोशन रखा है प्रिविलेजेज़ का इसमें कोई बल नहीं रह जाता। बात यह रही कि शपथ निर्धारित शब्दों में ली गई अथवा नहीं ली गई, उसके विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों को कर दूं, जिसके ऊपर कि उनको इतना मुगालता हो रहा है। मूलत: शपथ दिलाने का अधिकार गवर्नर को है। गवर्नर किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करता है कि उसके सामने शपथ ली जाय। उस दिन जब कि सारे सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए और उनके सामने सदस्यों ने शपथ ली तो यह उन अधिकृत व्यक्ति तक रह जाता है, जिनको कि गवर्नर ने अधिकृत किया है, कि वे माननीय सदस्यों को शपथ दिलावें और कौन सदस्य उनके संतोष के अनुसार शपथ लेता है या नहीं लेता है, यह सब उनके संतोष होने तक ही रह जाता है। यह ठीक है कि हमारे संविधान में एक शब्दावली रखी गई है उसके अनुसार ही शपथ ली जाय, किन्तु उस शब्दावली का पूरा पालन हुआ या नहीं हुआ, यह उन अधिकृत व्यक्ति के संतोष का विषय है जिनको कि गवर्नर ने अधिकृत किया है। एक तरीका तो शपथ दिलाने का यह हो सकता है कि सब माननीय सदस्य उपस्थित हों और उस समय शपथ लें और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि वे अपने चेम्बर में भी शपथ दिलावें या फिर अपने घर पर दिलावें। जैसे कि मुझे अब अधिकृत किया गया है कि मैं उन सदस्यों को शपथ दिलाऊं जो कि उस दिन अनुपस्थित थे। इस प्रकार कई सदस्यों को मैंने उस समय शपथ दिलाई जब कि हमारा सत्र चल रहा था और जो फिर भी शेष रह जावेंगे उनको मैं अपने चेम्बर में शपथ दिलाऊंगा। तो यह केवल मेरे संतोष का विषय है कि ठीक तरह से शपथ ली जाये। जो सदस्य यहां बैठे हैं वे तो केवल दर्शकमात्र हैं, उनको इस बात पर एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। यह तो शपथ दिलाने वाले अधिकृत व्यक्ति तथा जो शपथ लेता है, उन दोनों के बीच का वह विषय है और वे अगर यह मानते हैं कि शपथ ठीक तरह से नहीं ली गई तो वे फिर दिला सकते थे। उस समय जो अधिकृत व्यक्ति थे उन्होंने उस समय उस शपथ को ठीक मान लिया और अब उस निर्णय पर हमें वापिस जाने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

शपथ लेने के विषय में एक प्रश्न और उठाया गया कि जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनको यह अधिकार नहीं था कि वे किसी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का निर्णय करें। ठीक है, अगर उस समय कोई वैधानिक आपत्ति आती तो वह उसका निर्णय नहीं कर सकते थे लेकिन जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया वह तो उस शपथ के विषय में ही था और उसका उन्होंने उसी समय निर्णय कर दिया, मैं समझता हूं कि वह निर्णय अन्तिम था। जो शपथ ली गई वह पूरी तरीके से ली गई मानी जायगी। जो मोशन इस समय लाया गया है मैं उसमें कोई बल नहीं पाता और मैं उसको अव्यवस्थित करार देना ठीक समझता हूं।

(करतल-ध्वनि)

देवली होती हुई नसीराबाद से कोटा तक की रेलवे लाइन के निर्माण सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट मेम्बर्स डे। श्री लक्ष्मणसिंह शक्तावत।

श्री **लक्ष्मणसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ: "In the opinion of this House recommendation be made to the Central Government to construct a new Railway-line from Nasirabad to Kotah via Deoli."

श्रीमान्, मुझे सिर्फ यही निवेदन करना है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य और राजस्थान का वह हिस्सा जो उसके साथ संलग्न है, उसमें यदि हम एक लकीर नसीराबाद से कोटा तक की खींच दें तो मैं समझता हूँ कि शायद उस हिस्से में सिवाय नसीराबाद को लेकर देवली तक जाने के लिए मोटर रूट के अलावा कोई और दूसरा ज़रिया इधर उधर जाने का नहीं है।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

श्रीमान्, उस हिस्से में केकड़ी एक स्थान है, दूसरा देवली है और बूंदी तीसरा है। केकड़ी जिसे भूतपूर्व अजमेर राज्य की गृहिणी होने का गर्व प्राप्त है और साथ साथ केकड़ी भूतपूर्व अजमेर राज्य में एक प्रकार से मण्डी है जो कि राजस्थान की वूल और जीरे की मण्डियों में से सबसे अच्छी मण्डी है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस मण्डी के लिये कई हैन्डी कैप्स हैं क्योंकि वहां पर कोई ठीक प्रकार से यातायात का प्रबन्ध नहीं है। सिवाय मोटरों के और कोई यातायात का साधन ही नहीं है।

(बाधा)

श्री सभापति—No private discussion in the House please.

श्री लक्ष्मणसिंह—श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा था कि केकड़ी जैसी प्रमुख मंडी भी आज इसलिए बराबर हैंडीकैप में रही है कि वहां पर सिवाय मोटर एजेन्सी के कोई भी दूसरा साधन नहीं है जो कि उस मंडी को दूसरे व्यापारिक केन्द्रों से मिला सके। अब या तो व्योपारी अपना माल भेजने के लिये अजमेर आयें या ब्यावर जावें। तो इस प्रकार से उनको कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है और कितनी दूर उनको आना पड़ता है? इसलिये उनको केवल अपनी इनी-गिनी मोटर एजेन्सी की व्यवस्था पर ही निर्भर रहना पड़ता है और यह हैंडीकैप बारिश के मौके पर तो और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिये उसका जो आसपास का एरिया है, केकड़ी का, और उससे जब आगे बढ़ते हैं तो देवली आ जाता है और देवली के पास ही जहाजपुर है तो यहां सभी जगह देखें तो इनकी व्यापारिक उन्नति के बारे में अगर कहा जाय तो वहां व्यापार की कोई जागृति नहीं है और उनके लिये अगर यह कहा जाय कि वहां पर अभी तक १८ वीं सेन्चुरी का साम्राज्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय सभापति जी, ऐसा ही एक प्रस्ताव अजमेर की विधान सभा में भी पास किया गया था लेकिन वह कार्यरूप में परिणत हुआ या नहीं यह तो मुझे मालूम नहीं और इस समय जब कि कल हमने सुना और माननीय मन्त्री महोदय ने अपना उत्तर देते हुए बताया कि केकड़ी को एक सामुदायिक योजना केन्द्र बनाया जा रहा है तो फिर ऐसी सूरत में यह भी आवश्यक हो जाता है कि वहां पर यातायात की एक उचित व्यवस्था की जाये, जिससे वहां के लोगों को ठीक ढंग से वहां पर फैसिलिटी मिले। बिना कम्युनिकेशन के और ट्रान्सपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के कोई भी व्यापारिक केन्द्र आगे नहीं बढ़ सकता है। केकड़ी के ही नजदीक एक सावर क्षेत्र है। उस सावर क्षेत्र के लिये कहा जाय कि वह भारत के प्रमुख माइका प्रोडक्ट का एक केन्द्र है तो कोई गलत बात नहीं होगी। मेरा मतलब है कि वहां ऐसे ऐसे भी केन्द्र हैं जो कि भोडल उत्पादन के लिये उच्च स्तर के केन्द्रों में से एक हैं। लेकिन वह केन्द्र भी अभी अनडेवलप्ड फोर्म में हैं और जितनी उनकी तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हो सकी है और उसका खास कारण यही है कि वहां पर कोई ट्रान्सपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। वहां पर जब चार-पांच महीने बारिश हो जाती है तो वह एरिया खारी और बनास से घिर जाता है, इसलिए जितने भी आने जाने के रास्ते हैं वे सब बन्द हो जाते हैं। इसलिये मैंने सदन के द्वारा यह सिफारिश करने की प्रार्थना की थी कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय कि नसीराबाद से कोटा तक एक रेलवे लाइन निकाली जाये।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—There is an amendment by Shri Chhagan Lal Gena.

श्री छगनलाल गेना—माननीय सभापति जी, इसमें मेरा एक अमेन्डमेंट जो है वह इस प्रकार है: "After the word 'from' the word, Nasirabad' be deleted and 'Merta' be substituted in its place and further the words 'Mangliawas, Nasirabad and' be inserted before 'Deoli'."

[श्री छगनलाल गेना]

श्रीमान्, माननीय सदस्य ने अभी जो प्रस्ताव रखा है उसकी क्या अहमियत है, यह उन्होंने बता दी है। पहले अजमेर स्टेट के वक्त यह प्रस्ताव इस रूप में पास हुआ था जैसा कि मैंने अमेंडमेंट रखा है उसको मिलाकर पास हुआ था। उसके लिये केन्द्रीय सरकार को अजमेर स्टेट गवर्नमेंट ने काफी लिखा-पढ़ी भी की थी। इस अमेंडमेंट के आने से यह होगा कि मेड़ता से नसीराबाद का जो हिस्सा है वह यों ही रह जायगा। कोटा से मेड़ता तक यह रास्ता बन जाय तो यातायात में व्यापारियों को माल के लाने और ले जाने में काफी सुविधा हो जायगी इसलिये मैंने उपरोक्त संशोधन सदन के सामने रखा है।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा हमारे यहां रेलें चलाई जाती हैं। हमने कई दफा प्रश्नों के रूप में भी निवेदन किया था। चन्द रास्ते ऐसे है जिनमें रेलवे लाइन आ जाय तो उनकी जितनी आज उपयोगिता है उससे कई गुना उपयोगिता बढ़ सकती है और कम खर्च में वहां रेलवे लाइनें आ सकती हैं। कुछ रेलवे लाइन्स के लिये सिफारिश भी की गई है। मैं बड़ी सादड़ी से नीमच तक लाइन मिलाने के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण रेल होगी हालांकि यह बहुत छोटा सा हिस्सा है किन्तु अगर यह रेलवे लाइन से कनेक्टेड हो जायगा तो केवल वह हिस्सा ही प्रोस्परस नहीं होगा बल्कि उससे रेलवे को भी काफी आमदनी होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो अलग प्रस्ताव के रूप में होना चाहिये।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय सभापति जी, अजमेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो संकल्प सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति जी, इस रेलवे लाइन की कितनी उपयोगिता होगी, यह तो माननीय प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में विस्तार से बता दी है। उन्होंने इसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिये जो बातें बतलायी हैं उसमें दो मत हो नहीं सकते।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(गण-पूरक न होने पर गण-पूरक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में कहिये so that the member may feel interested.

रावत श्री शम्भुसिंह—(जारी रखते हुए) मैं केवल संक्षेप में निवेदन करूंगा कि यह रेलवे लाइन व्यवसाय की दृष्टि से और हर प्रकार की दृष्टि से, इस रेलवे लाइन का बन जाना उचित है। इसके अतिरिक्त उपयोगिता का वहां विशेष महत्व है। उसके अलावा प्रस्तावक महोदय ने जिस

[रावत श्री शम्भुसिंह]

बात पर प्रकाश नहीं डाला वही बात मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। राजस्थान में अब तक ब्रोड गेज रेलवे लाइन बहुत ही कम हिस्से में है। इस प्रकार ब्रोड गेज रेलवे लाइन न होने की वजह से कोयला जो भारत के विभिन्न भागों से ब्रोड गेज के वेगन्स में लदकर आता है उनको यहां लाने के लिये मीटर गेज के वेगन्स में डालना पड़ता है, इससे लोडिंग अन-लोडिंग में काफी खर्च और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस वास्ते लोडिंग, अन-लोडिंग के खर्चे को बचाने के लिये इस प्रकार की लाइन का यहां होना बहुत आवश्यक है। अब तक की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली से पॉवर आने वाला है और उसके बाद हमारे यहां कई कल-कारखाने खुलने वाले हैं, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि हमारे यहां सीमेन्ट के कारखाने खुलने वाले हैं, बीकानेर के इलाके में फर्टीलाइजर का कारखाना खोलने का भी सरकार का विचार है, वैसी हालत में हमें कोयले की आवश्यकता बहुत होगी और कोयला रानीखेत इत्यादि स्थानों से राजस्थान के लिये आयगा उसमें क्या होगा; ब्रोड गेज से मीटर गेज के वेगनों में उनको लोड करना पड़ेगा। वर्तमान समय में भी अजमेर में रेलवे का बड़ा वर्क शोप है उसमें कोयले की बहुत बड़ी खपत है। राजस्थान में और भी कई मीलें हैं जिनमें कोयले की काफी आवश्यकता रहती है। इस बात के वास्ते इस बात की पूरी जरूरत है। राजस्थान में ब्रोड गेज की लाइन बिछाई जावे। इससे क्या होगा कि जो सामान बम्बई इत्यादि से चलता है पेट्रोलियम और केरोसीन ऑइल जो ब्रोड गेज के वेगन्स में चलता है, कलकत्ता बंगाल से जो कोयला चलता है, वह बगैर कहीं रास्ते में खाली हुए सीधे राजस्थान में आ सकता है, इसलिये आवश्यकता है कि यहां ब्रोड गेज की लाइन जरूर बनायी जावे। प्रस्ताव महोदय ने जहां रेलवे लाइन बनाने का सुझाव दिया है उसको ब्रोड गेज रेलवे लाइन कर देना चाहिये। कोटा में तो ब्रोडगेज लाइन है ही और अब कोटा से नसीराबाद तक ब्रोडगेज लाइन हो जायगी और जैसा कि इस प्रस्ताव में जो संशोधन रखा गया है, उसको मान लिया जाय तो अजमेर और मेडता तक कोयला आ सकता है। यहां ब्रोड गेज लाइन लाने की बहुत आवश्यकता है इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया कि कोटा से नसीराबाद और अजमेर से मेड़ता तक नई लाइन बनाई जावे, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये। कम से कम यह लाइन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो जरूर बन जानी चाहिये। इस प्रकार प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिये ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे राजस्थान में ब्रोड गेज की लाइन आ सके और जल्दी आ सके, इस ओर प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अजमेर से आये हुये माननीय सदस्य ने रखा है कि कोटा से नसीराबाद तक और अजमेर से मेड़ता तक रेलवे लाइन बनाने का, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है और जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव में संशोधन पेश किया है वह भी वाजिब है। इसके अलावा मुझे तो यह कहना है कि कोटा से यह रेलवे लाइन राजस्थान की तरफ लाई जा सकती है, इस प्रकार ब्रोड गेज लाइन लाना यहां के लिए बहुत जरुरी है। राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रान्त होने के नाते बहुत थोड़ी ब्रोड गेज की लाइन इस हिस्से में पास होती है। यहां पर मीटर गेज

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

लाइन होने से ब्रोडगेज से मीटर गेज में सामान के लदान में इधर उधर बदलने में काफी खर्चा लगता है और बहुत समय भी लग जाता है, इसलिये जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसको मन्जूर करके केन्द्रीय सरकार को अवश्य भेजना चाहिये। मैंने इस सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी से जो व्हिप इश्यू हुआ है उसको भी देखा है। मैं समझता हूं इसमें व्हिप इश्यू करने की क्या बात है, यह तो सब के लिए समान रूप से फायदे की चीज है। मैं नहीं समझता कि जनता के हित के लिए व्हिप इश्यू होता है, यह कोई उचित बात हो। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो कम से कम यह तो समझना चाहिये कि यह लाइन बनने में सबका हित है, तो फिर क्यों इसका विरोध किया जाय। इसलिए मेरा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन है कि वे इस पर विचार करके इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में जो प्रस्ताव रखा गया है उसके प्रस्तावक महोदय को शायद यह मालूम नहीं है कि इस बारे में पहले भी इस सदन में चर्चा आई और प्रायोरिटीज़ फिक्स करते समय माननीय सदस्यों से इस बारे में कन्सल्ट भी किया था और राजस्थान सरकार ने रेलवे बोर्ड और भारत सरकार को जो सिफारिशें की थीं उनमें अजमेर कोटा लाइन पहले से ही मौजूद है और इस बारे में भारत सरकार द्वारा हमारे पास सूचना भी आ चुकी है।

(पुनः गण-पूरक घंटी)

श्री जवानसिंह—The debate seems to be very interesting.

श्री उपाध्यक्ष—चालू करिये अब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो भारत सरकार की सूचना इस बारे में हमारे पास आ चुकी है। वह मैं सदन की जानकारी के लिए बताऊं कि सन् ४६-४७ में रेलवे बोर्ड ने इसका सर्वे टेक अप किया था। पर इसके बाद किन्हीं कारणों से वह चालू नहीं रखा गया और कोई विचार इस पर नहीं किया गया। इसके बाद इस मसले पर हमारे द्वारा बार बार प्रेस किये जाने पर कि अब तो वे पहले वाले सरकमस्टान्सेज भी बदल गए हैं इस सर्वे को वापिस प्रारम्भ किया जावे, तो इस पर भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है कि इसका सर्वे पुनः शुरू किया जावे और इस तरह से वहां से हमारे पास यह सूचना आ चुकी है कि इसका सर्वे वापिस टेक अप किया गया है और इसलिए हमको हमारे अफसरों को सूचना दे देनी चाहिये कि इस मामले में जितनी भी सर्वे स्पोट को सहूलियतें दी जा सकें वे उन्हें दी जावें और इसके बारे में राजस्थान सरकार की तरफ से जो सर्कूलर निकाला गया है वह मैं पढ़कर माननीय सदस्यों की सेवा में उपस्थित कर दूं, उससे उन्हें सन्तोष हो जावेगा :

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

"The Government of India, Ministry of Railways, have decided to carry out survey work of a broad guage line between Ajmer and Kotah. The proposed alignment would pass principally through urban and rural areas such as Ajmer, Nasirabad, Kotri, Deoli, (अस्पष्ट) and Kotah District. All officers concerned are requested to extend all necessary facilities to the survey staff led by Shri N.R.K. Krishnan, Officer on Special Duty, Western Railway, especially in the matter of supplying figures of population, crop production etc. etc."

मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण के बाद में माननीय सदस्य को सन्तोष हो जावेगा और जब अजमेर कोटा लाइन बन जावेगी तो बाद में और भी टेक अप करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो इसका विरोध करने की कोई बात हमारी ओर से नहीं थी। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना यह प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री लक्ष्मण हीरात—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सरक्यूलर पढ़कर सुनाया और जो स्पष्टीकरण दिया उससे मुझे सन्तोष हुआ है। वास्तव में इन बातों की मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी और इस कारण यह प्रस्ताव लाना पड़ा। मुझे अब यह जान कर वास्तव में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भूतपूर्व राजस्थान सरकार भी इस बारे में प्रयत्नशील थी और अब अपने उस प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त कर ली। तो इस स्पष्टीकरण के द्वारा जो आश्वासन मुझे मिला है सरकार की ओर से कि वह स्वयं उसके प्रति जागरूक है और उसकी सहानुभूति है इस प्रश्न के साथ और वह जल्दी से जल्दी इसको करवायेगी, इसके बाद में अपने प्रस्ताव को प्रेस करना जरूरी नहीं समझता। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इजाजत दे दें तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री लक्ष्मण हीरात—I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष—Next, Shri Santosh Singh Kachwaha.

भिक्षावृत्ति रोकने एवं अपाहिजों इत्यादि के जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री संतोषसिंह कछवाहा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक संकल्प है जो इस प्रकार है :

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

"इस सदन की सम्मति है कि प्रान्त के नगरों में बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति को रोकने और अपाहिज, रोगी, वृद्ध एवं निर्बल भिक्षुओं के निर्वाह की व्यवस्था हेतु शीघ्र ही एक कानून बनाया जावे।"

माननीय उपाध्यक्षजी, भारत को स्वतन्त्र हुए काफी अर्सा हो गया है और इस बीच में काफी उन्नति हरेक विभाग में और समाज के वर्ग में हुई है, पर इस माने में अभी भी वही हालत है। जब कभी हम गांवों में या शहरों में जाते हैं तो यह देखते हैं कि भिखारियों की हालत गिरती जा रही है, उनकी तादाद दिन बदिन बढ़ती जा रही है, भिक्षुओं को भिक्षावृत्ति में कठनाइयां बढ़ी है, अपाहिज बढ़े हैं उनके रहने करने का, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है। तो इसको भी रोकने और ठीक इन्तजाम करने के लिए सरकार को ऐसा कानून बनाना आवश्यक है। इनके रहने के लिए आवास-गृह बनाये जावें जिनमें, जिनके हाथ हैं तो उनको हाथ का काम; जैसे सीने की मशीन, चर्खा वगैरह दिये जावें और जो अन्धे हैं या अपाहिज हैं, कोई अंग नहीं है जिससे कोई काम कर सकें तो उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जावे।

हिन्दुस्तान के विधान में सबको समान अधिकार दिये हैं तो हमें संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हुए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और इस भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये। राजाओं के जमाने में कोढ़ियों के लिए भी कुछ जगहों पर खास व्यवस्था थी। जोधपुर में कोढ़ियों के रहने के लिए सरकार की ओर से कुछ मकान बनाये गये थे, वे आज भी हैं, डाक्टर की व्यवस्था भी थी और उस जमाने में बगैर परमिट के कोई वहां से जा नहीं सकता था। पर आज वह व्यवस्था नहीं रही है। वहां से बगैर परमिट के निकल जाते हैं और बस्तियों में भीख मांगते रहते हैं और घूमते रहते हैं। इस तरह से संक्रामक रोग उनके द्वारा उन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों में फैलते हैं और यह भी एक समस्या सरकार के लिए बन जाती है। तो वे इधर उधर फिरें नहीं, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। इसी तरह से कई भिक्षुक पागलों के वेष में शहरों में और गांवों में घूमते रहते हैं, गलियों में पत्थर फेंकते भी मिलते हैं, किसी के हाथ पांव में पीव निकल रही है, खून बह रहा है, कोढ़ के निशान झर रहे हैं और वे छोटी छोटी गाड़ूल्यों में बैठ कर फिरते रहते हैं। उन्हें देखने में भी मुश्किल होती है, जी मिचलाने लगता है। तो इन लोगों के लिए सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये। भारत स्वतन्त्र हुआ है तो कोई केवल धनाढ्यों के लिए ही नहीं स्वतन्त्र हुआ है, शहरों के रहने वालों के लिए ही स्वतन्त्र नहीं हुआ है, इनके लिए भी, इन गरीबों के लिए भी कुछ सोचना चाहिये और इनके खाने-पीने, रहने सहने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। हम कभी किसी पार्टी वगैरह में भी जाते हैं और बाजारों में भिक्षा मांगते हुए इन रोगियों, अपाहिजों, कोढ़ियों और भिक्षुओं को देखते हैं तो उनका विचार करके वह पार्टियों का खाना भी बड़ा हराम मालूम होता है। एक तरफ तो हम अनाप-शनाप ठूंसते जायें और दूसरी तरफ एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हों, तो ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

विचार करना चाहिए। बाहर के दूसरे मुल्कों के दर्शक हमारे यहां आते रहते हैं तो वे इनको देखकर न जाने क्या सोचते होंगे ?

तो इनको हटाना जरूरी है। इसका विरोध करने की बात नहीं है, यह तो पब्लिक के हित की बात है, गरीबों के हित की बात है। माननीय मन्त्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, भिक्षावृत्ति को दूर करने के लिए उनको खुद को प्रयास करना चाहिए। चूंकि यह संकल्प विरोधी दल की ओर से आया है इसलिए इसका विरोध किया जाय, यह उपयुक्त नहीं होगा।

मैं यह आशा करता हूं उपाध्यक्ष जी कि माननीय मन्त्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे और टालमटूल का जवाब न देकर जो व्हिप निकाला गया है उस पर पुनर्विचार करेंगे। यह एक रिक्वेस्ट की गई है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट पर भार नहीं पड़ता है। यह पब्लिक के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए है। मैं यह आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे और जरूर इसको पारित करेंगे।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास—Not to be seconded.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—शम्भुसिंह जी सेकिन्ड कर दें।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले मित्र ने जो यह संकल्प रखा है उसका मैं कुछ सुधार के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। माननीय मित्र ने इस संकल्प में यह प्रकट किया है कि इस सदन की सम्मति है कि प्रान्त के नगरों में बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति को रोकने और अपाहिज, रोगी, वृद्धि एवं निर्बल भिक्षुओं के निर्वाह की व्यवस्था हेतु शीघ्र ही एक कानून बनाया जावे।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस संकल्प के दो पहलू हैं। एक बढ़ती हुई भिक्षा वृत्ति को रोकना और एक जो अपाहिज भिक्षुक हैं उनके वास्ते व्यवस्था हेतु शीघ्र ही एक कानून बनाया जाय। पहले पहलू का जहां तक प्रश्न है भिक्षावृत्ति को रोकने का उसके मौलिक कारणों पर विचार करना चाहिए। इसका मौलिक कारण यह है कि देश में आज बेकारी का जिस प्रकार एक दौरदोरा है उसको देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस भिक्षावृत्ति के बढ़ने में उस बेकारी का भी कुछ योगदान अवश्य है। यदि सरकार राजस्थान वासियों के वास्ते काम दिलाने का सुप्रबन्ध कर सकती तो यह संभव नहीं था कि इस प्रकार भिक्षावृत्ति बढ़ती, परन्तु हम आप देखते हैं कि बलवान और नौजवान आदमी भी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो इससे हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि सरकार देश से बेकारी को मिटाने में कहां तक सफल हुई है ? इसके बाद दूसरा जो पहलू है

[रावत श्री शंभुसिंह]
यह है भिक्षुओं के निर्वाह के वास्ते। ऐसे भिक्षुक हैं जो अपाजिव है, रोगी हैं, अपंग हैं, अन्धे, लूले, लंगड़े इत्यादि हैं तो उनके वास्ते कुछ ऐसी भूमि होनी चाहिए, आश्रय के लिए स्थान हो कि उन लोगों को वहां भर्ती हो जाने का अवसर प्राप्त हो और वहां भर्ती होने के बाद वहां ऐसा भी काम हो जो कि उनकी समर्थ्य और योग्यता के अनुसार कर सकें और उनके खाने-पीने, भरणपोषण का वहां सुप्रबन्ध हो। परन्तु इस संकल्प को देखने से इसमें आमतौर से भिक्षावृत्ति रोकने जैसी बात कही गई है। हमारे यहां हिन्दू धर्म में या भारतीय संस्कृति में दान देने का एक महत्व है और दान देना धार्मिक कृत्य माना गया है। तो धार्मिक दृष्टि से दान दिया जाता है या लिया जाता है उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो समाज के लिए क्लेश के रूप में साबित हुई है ऐसी भिक्षा-वृत्ति या जो किसी कारण के नहीं रहते हुए भी भिक्षा वृत्ति का अवलम्बन कर रहे हैं, ऐसी भिक्षा-बृत्ति पर कुछ पाबन्दी होना मैं आवश्यक समझता हूं और खास कर ऐसे अपाहिज भिक्षुओं का तो अवश्य प्रबन्ध होना चाहिए सरकार की तरफ से। चेरिटी का एक फन्ड होना चाहिए कि उस फन्ड के जरिये ऐसे भिक्षुओं के रहने का और उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध हो जावे तो मैं कुछ परिवर्तन के साथ और वह यह है कि धार्मिक कृत्यों और दान के रूप में भिक्षा ली दी जाती है उसके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है, परन्तु जो समाज के लिए क्लेश या दुखदायी साबित हो उस प्रकार की भिक्षा-वृत्ति के लिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह किसी अंश में ठीक है।

श्री लक्ष्मणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उस प्रस्ताव के दो पहलू बताये गये हैं। मैं उनसे तो सहमत हूं। एक है भिक्षा वृत्ति को रोकने का कानून बनाया जाय, दूसरा यह कि जो अपाहिज़ हैं, निर्बल हैं, उनके निर्वाह के लिए कानून बनाया जाय। श्रीमान्, मेरा निवेदन इतना है कि भिक्षावृत्ति का कानून बनाया जाय, यह उचित तो मालूम होता है लेकिन उन्हें जब तक साधन उपलब्ध न करा सकें वे भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उससे उनकी रोजी चलती है। अगर साधन दे सकते हैं तो फिर कानून बनायें तो ठीक मालूम होता है। लेकिन कानून के द्वारा भूखों के पेट को बन्द कर देना चाहते हैं तो यह मुझे उचित नहीं मालूम होता। तो इसमें मैं एक जबानी संशोधन पेश करना चाहता हूं, माननीय सदस्य उसको मन्जूर करेंगे, कि पेशेवर भिक्षुक हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाया जाय और अपाहिज हैं, निर्बल हैं उनके निर्वाह के लिए आश्रय स्थान बनाये जांय।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—वही किया है।

श्री लक्ष्मणसिंह—मैंने सुना नहीं। उस संशोधन के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है वह मैं समझता हूँ कि उन्होंने सोच समझ कर रखा है।

(गण पूरक घंटी)

श्री मथुरादास माथुर—I regret the quorrum is not complete in spite of my best efforts. The members are not interested in the non-official resolutions, therefore, the Opposition members who have sponsored the motions are not taking interest.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अपोजिशन के ज्यादा हैं।

श्री मथुरादास माथुर—It is misfortune that you have neither been able to infuse interest in the Government benches nor in the Government supporters by your speeches.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इन्ट्रेस्ट तो है।

श्री मथुरादास माथुर—Specially Shri Santosh Singh has not been able to create any interest in the House.

श्री भोगीलाल पंड्या—साधारण चीज रखी।

श्री मथुरादास माथुर—You may give one ring and after that you do whatever you think proper.

(गण-पूरक होने के पश्चात्)

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मंत्री)—अनादिकाल से जनता जनार्दन की निष्काम सेवा करने वाले महापुरुषों की भरण-पोषण की जिम्मेवारी समाज लेता रहा है। अतः यह आदर्श जारी रखना उपयोगी भी प्रतीत होता है, किन्तु कालान्तर में जो लोग अपने निर्वाह के लिए काम करना नहीं चाहते थे उन्होंने धर्म के नाम पर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। बीमारी, अकाल, बाढ़, विभाजन आदि के कारण भिक्षुओं की संख्या और बढ़ गई। धार्मिक विचारधारा के अनुसार लोगों ने भिक्षा देना जारी रखा, परिणामतः भिखारियों की संख्या ज्यादा बढ़ी और यहां तक बढ़ी कि भिखारियों की जातियां तक बन गई जो कि नौकरी, धन्धा, उद्योग आदि नहीं करना चाहती बल्कि भिक्षा मांगना अपना पेशा समझने लगीं। ऐसी स्थिति में समाज के लिए दान देने वालों और लेने वालों के लिए विशेष नियम बनाना आवश्यक भी प्रतीत होता है ताकि स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए श्रम की प्रतिष्ठा का उन लोगों को भान कराया जा सके, और इस अशक्ति का उपयोग उत्पादन और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए किया जा सके। इसलिए बेकवर्ड क्लासेज़ कमीशन ने भी इन भिखारियों की समस्या को हल करने की चर्चा की है। इस कमीशन ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें इस समस्या को हल करने के लिए योग्य कार्यवाही करें। राजस्थान सरकार ने इस समस्या पर विचार कर राय देने के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जायगी। अन्धे और अपाहिजों को सब तरह की सहायता देने पर

[श्री भोगीलाल पंड्या]

विचार करने के लिए एक बिल भी तैयार किया गया है जो कि आगे पेश किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस ले लेवें।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संशोधन रखा है वह जन-हितकारी कार्यों में बड़ा सहयोग देने वाला है और उसके लिए माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन काफी हद तक दिया है, लेकिन मेरा भी यहां ५ वर्ष का इस सदन में अनुभव है कि इधर आश्वासनों की झड़ी लग जाती है, लेकिन वहां पर कुछ होता करता दीखता नहीं है। ऐसी हालत में जो कुछ माननीय मंत्रीजी ने फरमाया है उस हालत में, कहां तक गवर्नमेंट ठीक है या नहीं, उसके लिए मुझे आशा कम ही दिखती है।......

श्री भोगीलाल पंड्या—आश्वासन नहीं दिया गया है। उचित कार्यवाही की गई है। कमेटी बनाई है और उसकी रिपोर्ट आ रही है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इसलिए मैं इसको प्रेस करना वाजिब समझता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

इसलिए इसको वापिस लेना उचित नहीं समझता हूँ।

और जो माननीय सदस्य (मंत्री) ने कहा है कि यह दान देने के लिए भिक्षावृत्ति चाहिए, दान देना चाहिए; दान देने के सैकड़ों रास्ते हैं और दान देने की इतनी जगह है कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन दान तो पात्र और कुपात्र को देखकर देना चाहिए, यह भी उसमें है। इसलिए मैं इसको वापिस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सन्तोषसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हो वे 'हां' कहे और पक्ष में नहीं हो वे 'ना' कहें।

(मत-दान के पश्चात्) 'ना' पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार—Ayes have it, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—Noes have it.

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सन्तोषसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—Ayes have it.

श्री मथुरादास माथुर—Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष—डिविजन चाहते हैं क्या आप ?

श्री भैरोंसिंह (१६)—यह भिक्षावृत्ति का मामला है, छोड़िये साहब !

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—संकल्प गिर गया। श्री मानसिंह महार।

राजस्थान के निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भी अजमेर के कर्मचारियों के बराबर करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पांच वर्षों के कार्यकाल के बाद में आज एक ऐसा संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिसका कि विरोध करते हुए मैं यह समझूंगा कि सरकारी पक्ष भी अगर थोड़ा बहुत भी दुनिया में 'न्याय' जैसे शब्द को उनकी डिक्शनरी में रखता होगा समर्थन करेगा और स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी सी जो प्रार्थना है सदन से, वह यह है कि अजमेर और राजस्थान का विलय हो गया उसके लिये मैंने यह लिखा है कि :

"This House is of the opinion that immediate steps be taken to bring the pay scales of low paid Government servants like Constables, teachers, clerks, Class IV servents etc, to the level obtaining in the erstwhile Ajmer State"

उपाध्यक्ष जी, मैं यह समझता हूँ कि अजमेर और राजस्थान के विलय के बाद सरकार के पास कोई गुन्जायश नहीं रह जाती कि अजमेर में एक पर्टिकुलर क्लास के आदमियों को तनख्वाह पर्टिकुलर मिलती है तो राजस्थान के उसी श्रेणी के कर्मचारियों को उतनी ही तनख्वाह नहीं मिले। इससे पहले कि मैं कुछ डिटेल्स में कहूं, मैं यह निवेदन कर दूं कि शायद मन्त्री जी को यह गलत फहमी होगी कि अजमेर और राजस्थान की पे स्केल्स में जो डिफरेन्स है, वह डिफरेन्स डियरनेस अलाउन्स की वजह से है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने इसका काफी अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं कि अजमेर में डियरनेस अलाउन्स राजस्थान के डियरनेस अलाउन्स जितना ही है। लेकिन सन् ४७ में जो फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट थी उसके माफिक वहां पर दो प्रकार के डियरनेस मिलते हैं। एक तो डियरनेस अलाउन्स जैसा कि राजस्थान में मिलता है और दूसरा डियरनेस पे। यदि किसी व्यक्ति को अजमेर में ४० रुपये डियरनेस के मिलते हैं तो उनमें से २० रुपये एज़ डिय-

[श्री मानसिंह महार]

रनेस अलाउन्स मिलते और २० रुपये एज डियरनेस पे के मिलते हैं। मतलब यह हुआ कि यदि इस डियरनेस पे को अजमेर की पे स्केल्स के शामिल किया जाता है तो वह राजस्थानके कर्मचारियों को मिलने वाली पे स्केल से कहीं अधिक होती है।

मुझे अजमेर के विलय से खुशी हुई, उस अजमेर के विलय से जिसको पार्ट 'सी' स्टेट कहते थे। मैं यह कहता हूं कि आज के युग में जो रियासत अपने क्लास फोर सरवेन्ट्स को इतनी अच्छी तनख्वाह देती थी उसको पार्ट सी स्टेट कहना उसका अपमान करना है। अजमेर की तनख्वाओं का यदि हमारे यहां की तनख्वाओं से मुकाबला करते हैं तो हम-कहेंगे कि पार्ट 'सी' कहलाने काबिल तो हम हैं। हमारा स्तर अजमेर से नीचा था जो क्लास फोर के कर्मचारियों को इतनी कम तनख्वाह देते हैं। उस तनख्वाह से उनका निर्वाह भी नहीं होता है। लेकिन अजमेर के विलय से हमारे यहां के कर्मचारियों को और अजमेर के कर्मचारियों को एक कर दिया है। विलय से हमारे यहां के कर्मचारियों की आंखें खुली हैं। वे भी समझने लगे हैं कि उनके बराबर तनख्वाह मिलना हमारा हक है जो हमको मिलना चाहिये। विधान सभा की ही मिसाल ले लीजिये। अजमेर के चपरासी, एल. डी. सी. या वाच एड वार्ड के जो आदमी यहां आये हैं उनको हमारे यहां के उसी श्रेणी के कर्मचारियों से अधिक तनख्वाह मिलती है। वे भी वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं और उनको तनख्वाह इसलिये कम मिलती है कि वे राजस्थानी हैं और अजमेर के नहीं हैं। इस कारण से उनको २०-२५ रुपये कम मिलें, यह न्यायोचित बात नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि इसके पीछे कोई रीज़निंग या कोई आर्ग्यूमेंट आज के युग में सन् ५६ में और वह भी आज जनता की कहलाने वाली सरकार की ओर से यदि आता है कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तो मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष जी, कि यह हमारे बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आज के युग में कोई आदमी, मैं कहता हूँ, इस प्रकार की असमानता रख नहीं सकता। उपाध्यक्षजी, ताज्जुब की बात तो तब होती है जब कि विधान सभा का विलय हुआ और अजमेर के मेम्बर्स को वहां पर इमोल्युमेंट्स कम मिलते थे इसलिये फौरन एक कानून बनाया गया और अब उनको वही इमोल्युमेंट्स मिलने लगे जो हमको मिलते हैं। विधान सभा के सदस्यों के लिये, जो कि कानून बनाने वाले हैं अपने लिये इतना करा लेना कठिन नहीं है, इसलिये हम अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। मैं तो अजमेर विधान सभा के सदस्य मित्रों से यह कहूंगा कि उनको बढ़े हुए इमोल्युमेंट तब तक नहीं लेने चाहिये जब तक कि राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वे ही तनख्वाहें नहीं मिलें हैं जो कि अजमेर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, फर्क यदि २-४ रुपओं का हो तो कोई बात नहीं है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान की पुलिस के एक सिपाही को ५० रुपये टोटल इमोल्युमेंट्स के तौर पर मिलते हैं और उधर अजमेर के पुलिस सिपाही को ८५ रुपये टोटल इमोल्युमेंट्स के तौर पर मिलते हैं। ५० और ८५ रुपयों को आप यदि लेते हैं तो करीब ३५ रुपये

[श्री मानसिंह मढ़ार]

माहवार का यानी करीब करीब दुगुना फर्क है। इसी प्रकार से हमारे यहां के चपरासियों को और अजमेर के चपरासियों को ले लीजिये। हमारे यहा पर एक चपरासी को करीब ४५ रुपये टोटल इमोल्युमेंटस के मिलते हैं और अजमेर के चपरासी को करीब ७५ रु० मिलते हैं। मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं कहता और न कहूंगा कि जिस सरकार ने अजमेर के कर्मचारियों को जो आश्वासन दिया है, कि तुमको २ महीनों तक वही इमोल्युमेंट्स देंगे जो वहां देते थे और बाद में उस पर विचार करेंगे, उसका पालन नहीं किया जाय। मैं कहूंगा कि यदि सरकार उनके इमोल्युमेंटस में से एक पैसे की भी कमी करती है तो वह धोखे बाजी करती है। यदि सरकार अजमेर के कर्मचारियों के वेतन में से पैसा कम करेगी तो वह सरकार जनता की सरकार नहीं कहलायेगी बल्कि एक निरंकुश सरकार कहलायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गंभीरता से सोचना चाहिये कि अजमेर का जब तक विलय नहीं हुआ था तब तक जो कुछ होता था उसको सहन करते थे; हम यहां भी कहते थे और बाहर भी कहते थे लेकिन सरकार की जैसी इच्छा थी वैसा होता था, लेकिन आज मामला सबके सामने आता है। आज अजमेर के एक सिपाही को ८५ रु० मिलते हैं वह पुलिस लाइन में आता है तो उसके दूसरे साथियों को पता चलता है कि उसको ८५ रुपये मिलते हैं और उसको पता चलता है कि यहां के सिपाहियों को ४५ रुपये मिलते हैं? इसके लिए आप क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। आपकी इस प्रकार की नीति से सौतेला व्यवहार होगा, मैं यह कहूंगा। शायद माननीय मन्त्रीजी कई वर्षों से फाइनेन्स का काम करते आ रहे हैं, इसलिए वे कहेंगे कि पैसे की कमी है, इसलिए तनख्वाहें बढ़ायेंगे तो घाटा हो जायगा। मैं अदब से निवेदन करूंगा कि राजस्थान पहले ही से घाटे में है। घाटे पर घाटा होता है और कर्जा लेने की बात सोचते हैं, लोन्स फ्लोट करते हैं। आप इन गरीबों की तरफ देखिये। ८ घंटों के बजाय १२ घन्टों तक वे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, बेचारे नीचा सिर करके नौकरी देते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनको कुचलें। आज वह जमाना नहीं है कि आप उनको कुचलते रहें। आपको उदारता का परिचय देना चाहिये। आज डेवलपमेंट में लाखों रुपये खर्च करते हैं, बूंदी में आपने चंबल पर २५ लाख रुपये लगाकर बांध बनाया जो एक ही बरसात में टूट गया और जो २५ लाख रुपयों का खर्चा हुआ वह व्यर्थ गया, २५ लाख रुपये पानी में डूब गये। आप यह सोचिये कि २५ लाख रुपये पानी में बह गये। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन कर्मचारियों के लिए करोड़ दो करोड़ रुपयों का प्रोविजन करिये और इनकी तनख्वाह बढ़ाइए। इनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो कितने लोगों का भला होगा, यह सोचिये, इन गरीबों के लिए सोचिये जिन पर आप अहंकार करते हैं। उनका क्या हाल होने वाला है जब कि आज ढाई सेर के गेहूं और पौने तीन सेर के जौ मिलते हैं। ७-८ बच्चों के परिवार का आदमी ४५ रु० में कैसे अपने परिवार का पालन कर सकता है? आपने जो मंहगाई का भत्ता मुकर्रर किया था वह उस समय किया था जब ६ सेर के भाव का अनाज मिलता था। आज मंहगाई ६ सेर से २॥ सेर पर पहुँच गई है। उस हिसाब से चलें तो भी आपको उन्हें पहले से दुगुनी मंहगाई तो देनी ही चाहिए।

[श्री मानसिंह महार]

अजमेर में आधी मंहगाई को पे में शामिल करके डिअरनेस पे का नाम दिया है। उसी तरह से आप भी आधे डीअरनेस अलाउन्स को पे का नाम देकर उनकी तनख्वाह में मिलाइये। मंहगाई बढ़ गई है लेकिन उसी तरह अब भी चल रहा है। इसके बाद, उपाध्यक्षजी, मेरे संकल्प के अन्दर मैंने टीचर्स के बारे में स्पेसिफिक बात मेन्शन की है। आज डेवलपमेंट की बात होती है और कहा जाता है कि हम तो डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तो यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप डेवलपमेंट करना किसका चाहते हैं? अगर हमारे बच्चों का चरित्र ऊंचा नहीं होगा, जब तक चरित्र निर्माण सही ढंग से नहीं होगा, तो आगे जाकर वे क्या करेंगे? अगर बुरी आदतें बच्चों में बचपन से पड़ जायेंगी, तो उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो सकेगा? यह कहा जायगा, उपाध्यक्षजी, कि जगह जगह स्कूल खोल रहे हैं। आप स्कूलों के अन्दर देखिये कि वहां क्या हो रहा है? आज स्कूलों के अन्दर टीचर्स को ५०-५५ रुपये मय मंहगाई के देते हैं। आप मेट्रिक पास व्यक्ति को टीचर्स की पोस्ट पर लेते हैं और उनको मिडिल पास टीचर की ग्रेड देते हैं। मिडिल पास टीचर की ग्रेड होती है ५५ रु० या हद से हद ६० रुपये। मंहगाई वगैरह मिलाकर उसको आप हद से हद ६० रुपये देते हैं। इसके विपरीत आप अजमेर के भाइयों को देखिये मैं उनको फिर धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं वहां पर हमारे बच्चों के निर्माण के लिए ८० रुपये से तनख्वाह शुरू होती है, और ४० रुपये मंहगाई के मिलते हैं और पांच रुपये हाउस रेन्ट वगैरह के मिलते हैं। इस तरह से उनकी तनख्वाह करीब १२५ रुपये माहवार होती है। अगर वे टीचर ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करें तो ४०-५० की ट्यूशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर अजमेर के टीचर्स के समान तनख्वाह की जाय तो मंहगाई और तनख्वाह मिलाकर १५०, पौने दो सौ रुपये मिलेंगे और उससे वह एक अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति की तरह रह सकता है। लेकिन यह बात हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को कहां गवारा होती है? उनको टीचर्स चाहिये जो गांव में रहें। अगर मैं राजस्थान के टीचर्स के स्तर का बखान करने लगूं तो उपाध्यक्षजी, आप ताज्जुब करेंगे। आजकल जो बच्चों के लिए दूध वितरण के लिए आता है, जो दूध गांवों में भेजा जाता है वह अमेरिका से और यहां से आया हुआ पाउडर्ड मिल्क होता है और उस पाउडर्ड मिल्क में अधिक पानी मिलाकर ऊपर ऊपर का बच्चों को पिलाया जाता है और नीचे जो गाढ़ा दूध रह जाता है, उसको अपने घर में ले जाकर टीचर लोग खीर बनाकर खाते हैं। अगर इस बात को मन्त्रीजी चेलेंज करें तो अभी इस भाषण के दौरान में मैं साबित कर सकता हूं। सदन में कहने के बाद मैं यह साबित कर सकता हूं कि यह बात अक्षरशः सत्य है। यह हालत है हमारे यहां के टीचर्स के स्तर की, मगर हम उन टीचर्स को कभी दोष नहीं दे सकते, उपाध्यक्षजी। एक टीचर यदि साफ कपड़ों में रहता है तो कम से कम उसको २५ रुपये कपड़े पहनने के लिए और उनकी धुलाई के लिए चाहिए। अगर इसके साथ ही आप खद्दर की बात भी लीजिये तो देखा जायगा कि जिस खद्दर की इतनी तारीफ की जाती है, और कहा जाता है कि खद्दर पहनो, देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करो, तो मैं आपको बताऊं कि खद्दर भी १० १५ रुपये से कम में नहीं आती। आज खद्दर का धोती जोड़ा भी इससे कम में नहीं आता, फिर वह क्या कर सकता है? आज एक व्यक्ति मास्टर होता है तो

[श्री मानसिंह महार]

उसको अच्छा कपड़ा पहनना ही चाहिये। अगर वह साफ कपड़े पहनता है तो क्या अन्याय करता है ? अगर वह बच्चों के लिए जो दूध आता है, उसमें से कुछ दूध ले जाकर अपने बच्चों को पिलाता है जिनको कि घी वगैरह पूरी जिन्दगी में नहीं दीखता, जब कि वह २५-३० रुपये कपड़ों पर लगाता है और बाकी के २५-३० रुपये बच्चों की रोटी और कपड़े में भी पूरे पड़ते हैं। उनके बच्चों के लिए घी, दूध तो दूर रहा, उनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती, उनके लिए वह दूध ले जाकर देता है। ऐसा अवसर उनके सामने आता है तो उनका मन विचलित हो जाता है और इस प्रकार से जो देशों से बच्चों के लिए दूध आता है, यूनाइटेड नेशन्स से दूध आता है, उस दूध का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है और उस दूध की खीर बनती है। उनको यह गलत काम करने की प्रेरणा सरकार देती है। इसके लिए टीचर्स का दोष नहीं है वह दोष सरकार का है, इन ट्रेजरी बेन्चेज़ का है। जो लोग उनकी स्थिति को जानते हुए, उनकी परेशानियों को जानते हुए, उनकी ओर से आंखें बन्द किये हुए बैठे हैं और उनके साथ न्याय करना नहीं चाहते। वे केवल यह चाहते हैं कि मोटे मोटे ठेके दिये जांय, जिनसे मोटी मोटी रकम की आमदनियां हों, मोटे मोटे बांध बनाये जांय, जिनमें से लाखों रुपये हड़प जायं। (घंटी) उपाध्यक्षजी, मैं इस पर काफी समय लूंगा, क्योंकि यह मेरा संकल्प है और बड़ा इम्पोर्टेन्ट संकल्प है। उपाध्यक्षजी मैं जानता हूँ कि जो लोग गरीबों की आवाज को इस तरह से अवहेलना की दृष्टि से देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यह उनकी निर्बुद्धि है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। (हंसी) मैं इससे कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि......

श्री भैंरूसिंह—निर्बुद्धि या बुद्धि।

श्री मानसिंह महार—आप चाहे जो कहें। मैं यह समझता हूं यह बुद्धिमानी नहीं है। आज वे भले ही मदमस्त हो जायं, चाहे आज वे लाखों लाखों रुपये के जयपुर शहर में बंगले बनवा लें और टीचर्स की तरफ से आंख मीच कर बैठे रहें, लेकिन उन पर गरीबों की आह का असर पड़ेगा और उनका सफाया हो जायगा। मैं तो खास कर वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आगे शायद उन गरीबों की तरफ ध्यान देंगे और उनको खास तौर पर, उपाध्यक्षजी, ध्यान देना चाहिये। आज उनको हजारों रुपये मिलते हैं तो भी वे परेशान हैं। वे कहते हैं कि वे आठ आठ बच्चों का किस तरह से भरण पोषण करें ? वे यह भी कहते हैं कि वे तो घाटे में जा रहे हैं, इससे अच्छे तो वे वकालत में थे, उन्होंने अपनी वकालत में से बंगला बनवा लिया लेकिन मिनिस्टर होने के बाद वे नुकसान में हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे हजार रुपये पाने पर भी परेशान हैं तो आप उन टीचर्स की तरफ अवश्य ध्यान दीजिये......

श्री भैरोंसिंह—आप यह कैसे कह सकते हैं कि उनके १० बच्चे हैं ?

श्री मानसिंह महार—जो तथ्य है उससे वे इनकार नहीं कर सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—६ बच्चे हैं।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—आपने ६ की बात को तो मन्जूर कर लिया। वैसे मैं आप दोनों को भी बच्चों में गिन लेता हूं।

(हंसी)

तो इस प्रकार आठ हो जाते हैं। तो जब वे उनके भरण-पोषण में मुश्किल महसूस करते हैं। यह भी कह दीजिये कि मुश्किल महसूस करते हैं या नहीं ?......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फूल बरस रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उस तरफ ध्यान दें। उपाध्यक्षजी, हमारे मन्त्रियों में से कुछ ऐसे हैं जो मिनिस्टर मास्टर के पद से हुए हैं हमारे मन्त्रियों में कुछ ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार टीचर्स हैं। उनको मालूम होगा कि हमारे शिक्षकों की आज क्या हालत है ? उन गरीबों को किस प्रकार मुश्किल उठानी पड़ रही है ? उनकी, उन शिक्षकों की जो आज तनख्वाह है, उससे वे बच्चों का सही तरह से चरित्र निर्माण कैसे कर सकते हैं ? इसी वजह से हमारे यहां के शिक्षकों का स्तर गिरता जा रहा है। गांवों के स्कूलों में जिस समय सालाना इम्तहान होते हैं तो टीचर्स बच्चों से कहते हैं कि जो दो दो रुपये देंगे उनको पास करेंगे और जो दो रुपये नहीं देंगे उनको फैल कर दिया जायगा। वे इस तरह की बातें करते हैं। अगर मैं उन शिक्षकों के इतिहास में जाऊं तो कई बातें आ सकती हैं लेकिन उन सबको न कह कर मैं इतना ही कहूँगा कि वह समय आ गया है जबकि वित्त मन्त्री महोदय को फाइनेन्स सेक्रेटरी की राय नहीं माननी चाहिए। मैं मानता हूं कि वे उनको मजबूर करते हैं लेकिन इस समय उनको उन आइ० ए० एस० आफिसरों की बातों को ऊंचा उठाना चाहिए। अगर वे इन सेक्रेटरीज़ के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर जनता के चुने हुए नुमाइन्दों को मिनिस्टर बनने की क्यों जरूरत पड़ी ? अमूमन उपाध्यक्षजी, यह देखा जाता है कि हमारे मन्त्रीगण ज्यादा से ज्यादा अपने सेक्रेटरीज़ की राय पर चलते हैं।

यह हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि हमारी पिछली जयपुर रियासत के समय से ही, फाइनेन्स के लिहाज़ से, उन्हें कुशल कहा जा सकता है, पर आज जैसे डेवेलप करते हुए राज्य के लिये या यह कह सकते हैं कि १९५६ के लिये रेवेन्यु (फाइनेन्स) सेक्रेटरी रहे। वे ४५-४६ के लिये मौजूं हो सकते हैं कि एक एक पैसा जोड़ा जाय, पर १९५६ के लिये मौजूं नहीं हो सकते। १९५६ में ऐसा नहीं हो सकता। आज आमदनी के जरिये ढूंढना फाइनेन्स के एक्सपर्ट का काम है और जो सर्विसेज़ हैं उनको सुखी रखना, यह परम कर्त्तव्य होता है हर सरकार का। तो शिक्षा के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी सदन को दी।

[श्री मानसिंह मद्दार]

अब मैं पुलिस के सिपाहियों के बारे में निवेदन करूंगा कि उनकी क्या दर्दनाक हालत है ? उपाध्यक्ष महोदय । कल परसों धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने डाकू लाखन के अत्याचारों का जिक्र किया, मैं एक अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि लाखन के गिरोह ने पुलिस के दो सिपाहियों को पकड़ लिया, उनके ऊटों को छीन लिया और उनको पकड़ कर ले गये, उनको लाखन का गिरोह मारने को तैयार हुआ तो उन सिपाहियों ने अपनी जनेउओं को निकाल कर उनसे माफी मांगी कि हमें माफी बख्शो, हमारे प्राण बख्शो, हमारी सन्तान क्या खायेगी ! पर उस दुष्ट ने उनकी एक बात न सुनी और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो वे पुलिस के सिपाही जिनकी जान चौबीसों घन्टे खतरे में रहती है, वे पुलिस के सिपाही जिनका हर समय सुव्यवस्था में हाथ रहना चाहिये, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैं यह समझता हूं, अगर अजमेर का एक सिपाही ज[illegible]र आ जाय और ८५ रुपया महावार ले और जयपुर की पुलिस लाइन में, ऐसे मिल जायगे कि ट्रान्सफर होकर यहां आये हैं और उनको ८५ रुपये मिलते हैं जहां राजस्थान के सिपाहियों को ४५ रुपये मिलते हैं। कहा जायगा कि अजमेर के अभी सेटल नहीं हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब पुलिस लाइन में देखेंगे तो आपको जैसलमेर से ट्रान्सफर होकर, बीकानेर से ट्रान्सफर होकर आये हुए सिपाही यहां मिलेंगे, और मर्ज हुई हुई जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से प्रत्येक के दूर से दूर के सिपाही यहां पुलिस लाइन में मिलेंगे, और एक आदमी जैसलमेर से या बीकानेर से आता है, उसको ८५ देना वाजिब होता है बमुकाबिले अजमेर से, ४५ मील से यहां आता है। शायद मन्त्रीजी इस गलतफहमी में हों कि उस अजमेर के सिपाही के ८५ से ४५ कर दिये जाय, यह तो सरासर अन्याय होगा और अजमेर वालों के साथ धोखेबाजी होगी, एक पाई भी उनके इमोल्यूमेंट्स में से कम की गई तो यह सरकार सरकार कहलाने के लायक नहीं रहेगी। अगर यह सरकार सरकार कहलाने के लायक है तो उन्हें सदन में आज आखिरी दिन घोषणा कर देनी चाहिये कि हमारे जितने कर्मचारी हैं, जिनको १०० रुपयों से कम सेलेरी मिलती है उनको हम अजमेर के स्तर पर ले आयेंगे, आज से नहीं तो कल से, पहली दिसम्बर से, विद रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बराबर तनख्वाह पर ले आवेंगे, ऐसी घोषणा कर दें तो वे (वित्त मन्त्री) राजस्थान विधान सभा के नुमायन्दे नहीं हैं तो भी राजस्थान की जनता के नुमायन्दे कहे जायंगे और अगर वे लाल फीतेशाही से डरते हैं और ऐसी घोषणा नहीं करते तो वे चुन कर जायज या नाजायज तरीकों से आ जायेंगे इस सदन में तो भी राजस्थान का वह तबका उनको घृणा की दृष्टि से देखेगा और राजस्थान की जनता कभी उनकी कद्र नहीं करेगी।

तो वे पुलिस के सिपाही, जिनकी जान चौबीसों घन्टे खतरे में रहती है, जिनसे आप इतनी सख्त ड्यूटी लेते हैं; भूस्वामी आन्दोलन हुआ था उस समय ४८, ४८ घन्टे की लगातार ड्यूटी उनसे ली गई, उन्हें कोई ओवर टाइम अलाउन्स नहीं मिला, ४५ रुपयों में जिन सिपाहियों ने इस सरकार की ४८, ४८ घन्टे ड्यूटी दी इस पर भी सरकार उनकी तरफ नहीं देखती।

केवल सिपाही ही नहीं, हैड कान्स्टेबल और सब इन्स्पेक्टर को ले लीजिये। अजमेर के सब इन्स्पेक्टर को वह तनख्वाह मिलती है जो राजस्थान के सर्किल इन्स्पेक्टर को मिलती है। अजमेर

९५३ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी

[श्री मानसिंह महार]

के सब इन्सपेक्टर को सब मिला कर उतने इमोल्यूमेन्ट्स मिलते हैं जितने कि राजस्थान के एक सर्किल इन्सपेक्टर को। राजस्थान के हैड कानिस्टेबल को आज भी अजमेर के कानिस्टेबल से कम तनख्वाह मिल रही है, मेरा मतलब टोटल इमोल्यूमेंट्स से है। अब तो मुखियाजी (चीफ व्हिप, कांग्रेस पार्टी) आ बैठे, तो मैं समझता हूं वे सद्बुद्धि देंगे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को, क्योंकि वे भी कई सिपाहियों वगैरह की सिफारिश करते हैं और बेचारे थानेदारों पर नाजायज़ दबाव डाले जाते हैं, वे काठ और कबाड़ी के बीच में हैं, वे किसी बुजुर्ग नेता का या मुखियाजी जैसे नेता का कहना नहीं मानते हैं तो उनका जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

श्री भैरूसिंह—मुखियाजी की पदवी इनको कब से मिली है ?

श्री मानसिंह—अजमेर के किसी सिपाही पर अगर कोई नेता नाराज हो जाते तो ज्यादा से ज्यादा केकड़ी या आस पास में ट्रांसफर कर सकते थे पर आज किसी सिपाही पर मुखियाजी की नाराजी हो जाय तो उसे जैसलमेर बदल दिया जा सकता है। ४५ रुपयों में वह जैसलमेर जाकर क्या तो खायेगा और क्या अपने बीबी बच्चों को खिलायेगा, वह बीबी को पैसे नहीं भेज सकता। पैसों की बात तो दूर वह बीबी को खत भी नहीं भेज सकता, क्योंकि खत भेजने में भी टिकिट लगाने पड़ते हैं। हमारी सरकार ने अपने कर्मचारियों को इतनी भी सहूलियत नहीं दी कि वह अपनी बीबी के साथ मुफ्त में पत्र व्यवहार कर सके। उधर उसकी औरत बेचारी निस्सहाय हो जाती है, ५०० मील की दूरी पर उसके पतिदेव डाकुओं से मुकाबिला करने में लगे हुए हैं और वह ५०० मील इधर पड़ी हुई इस सरकार को कोसती है, उस व्यक्ति को रोती है जिसकी नाराजगी के कारण उसके पतिदेव को इतना दूर तबादले पर भेजा गया। वह कहती है, "हे प्रभो, उनको देखना जिन्होंने ऐसा काम किया है। हे भगवान्, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उन्हें दिखाना"। वह रोती है, उनको रोती है, जो उसको दुःख देते हैं। तो अब तो समय आ गया है जब कि हमारी सरकार को आगे बढ़ना चाहिये। आज तो वह दिन है जब अजमेर और राजस्थान के विलय की बधाइयां हुई हैं, अब तो हम पार्ट ए० स्टेट में हैं। राजस्थान सरकार आज पार्ट ए० स्टेट की लजा रही है। आज राजस्थान को पार्ट ए० स्टेट बनने में घमंड नहीं करना चाहिये, शर्म आनी चाहिये। आज पार्ट ए० स्टेट बनने पर भी यहां सिपाहियों की तनख्वाह ४५ रुपया है जो सिपाही रात-दिन अपनी जान को खतरे में डाल कर काम करते रहते हैं।

मैं तो यह कहता हूँ, "First deserve and then desire"; तो राजस्थान इन सब बातों को देखते हुए डिज़र्व नहीं करता कि इसको पार्ट ए० स्टेट बनाया जाय। अगर आप कहते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं तो यहां के कर्मचारियों की पार्ट ए० स्टेट के बराबर तनख्वाह करनी चाहिये।

अफसोस यह है कि बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाह बढ़ाने की तरफ तो ध्यान दिया जाता है। अभी इन्जीनियर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी। वे तो आपकी आमदनी के सबसे बड़े श्रोत हैं। अगर

[श्री मानसिंह महार]

इंजीनियरों को तनख्वाह काफी नहीं दी जावे तो फिर वे ठेके वगैरह में कैसे काम करेंगे और पैसे आपके कैसे पैदा करावेंगे ? मैं इलेक्शन की बात इसमें लाना नहीं चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इंजीनियरों की तनख्वाह बड़ी ऊंची २ रखी जाती है और कहा यह जाता है कि हमको काबिल आदमी चाहिये। उनकी काबलियत के क्या कहने ? बन्धे न टूटने चाहिये, मगर बन्धों के टूटने से २५ लाख का घाटा हो गया। यह सही बात है कि बन्धे टूट गये। जब खराब काम था तभी टूटे। जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको जब बड़ी २ तनख्वाह दी जाती हैं तो उनको सजा भी दी जानी चाहिये। जब सजा का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि मोअत्तिल हो गये। वे अपनी पैरवी करें। मैं यह कहूँगा कि वे अपनी पैरवी करें, आप उनकी पैरवी करें। पैरवी करना चाहिये भी। बेचारे इंजीनियरों ने क्या किया ? पैसा तो सोशियल पेटर्न के माफिक सभी ने बांटा था। इस बात को मैं मानता हूँ कि आपने सोशियलिस्टिक पेटर्न का पालन किया कि पैसा जो रिश्वत का आता है वह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पैसा सब में बंट जाता है। इस बात को मैं मानता हूं और इस बात के लिये मंत्रीजी को बधाई देता हूँ। आपने इस पैसे के बारे में तो सोशियलिस्टक पेटर्न कायम किया है। इस पैसे को आप में ही नहीं लेकिन वह अपने दोस्तों तक बंट जाता है। यह एक अच्छी बात है, मैं नहीं कहता। लेकिन प्रश्न यह है कि आप उन लोगों की ओर तो खयाल करते हैं और पुलिस के छोटे छोटे कर्मचारी, कोन्स्टेबल, चपरासी और अर्दली जो आपके बच्चों को खाख में दबा कर आपके पीछे भागते हैं। भागो, मोटर मंगाओ, वह आपके इतना कहते ही दौड़ा २ जाता है और मोटर लाता है। आप कुछ उन पर भी तो रहम करिये। आप यह समझते हैं कि आपको इतना ऊंचा बनाया गया है वह किस लिये बनाया गया है। आपको इतना ऊंचा इसलिये नहीं बनाया गया कि आप किसी प्रकार के न्याय को देखें ही नहीं। आप ऊंचे हुए हैं तो आपके खयालात भी ऊंचे होने चाहिये। आपको देखना है, अजमेर और राजस्थान का विलय हुआ है मगर आज फाइनेन्स मिनिस्टर चुप बैठे हैं और राजस्थान सर्विसेज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, यह बहुत अफसोस की बात है। यह बड़े अफसोस की बात राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिये भी है। आज आप लोगों ने बिना सोचे समझे अजमेर के सदस्यों को २००) रु० माहवार कर दिये और उनके एलाउन्स के १२॥) रु० कर दिये। आपने उनको कुछ न कुछ तरक्की ही दी है। अगर आपने उनको कोई तरक्की नहीं दी है तो आप उसको कोन्ट्राडिक्ट कर दीजिये। मैं अपनी गल्ती को मंजूर करूंगा। उनको देने में बजट में कोई घाटा नहीं है। राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों को २००) माहवार और १२॥) रु० भत्ता आपने पास कर दिया इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। तो फिर एक चपरासी, मास्टर और लोअर डिविजन क्लर्क की बात को सोचें जो सुबह से शाम तक अपनी आंखें फाड़ता है और काम करता है, जिनकी आंखें अगर २० वर्ष में खराब होतो तो वह १० वर्ष में खराब हो जाती हैं। उनको ओवर टाइम भी कम करना पड़ता है। आप सेक्रेटेरियेट में जाकर देखिये तो आपको मालूम होगा कि ठीक १० बजे सभी कर्मचारियों को आना पडता है। यदि कोई ५ मिनिट लेट आया तो उनसे एक्सप्लेनेशन ले लिया

[श्री मानसिंह महार]

जाता है। इस प्रकार की इन्सट्रक्शन्स हैं कि यदि कोई एल० डी० सी० या यू० डी० सी० १० मिनट लेट आता है और ३ दिन के लेट होने पर एक दिन की केजुअल लीव काटली जाती है। यह इन्स-योरेन्स डिपार्टमेंट में है। अगर यू० डी० सी० या एल० डी० सी० महीने में तीन बार लेट हो गया तो एक दिन की कैज्युअल लीव काट ली जाती है। लेकिन वे अफसर जिनके लिये मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन किया था और आज वे मौजूद नहीं है, मैंने उनसे कहा था कि आप समय में आधा घंटा कम कर दीजिये। उन्होंने मुझे कहा कि इससे क्या फायदा होगा ? मैंने कहा कि बड़ों को कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि छोटों को फायदा होगा। आप अगर चाहते हैं तो सामने ही जलेबी चौक में चल कर देख लें। कोई अफसर ११ बजे पहले नहीं आता। सामने की कोर्टों में से एक भी कोर्ट ऐसी नहीं है जहां पर ११ बजे से पहले काम चालू हो जाये। सब ऑफिसर ११ बजे बाद आते हैं। लेकिन इन गरीब एल० डी० सी० और यू० डी० सी० व चपरासियों की हालत देखिये। यदि वे दस बज कर दो मिनट पर आते हैं और कभी अफसर जल्दी आ जाता है और वे लोग पकड़े जाते हैं तो फिर उनको क्या लथेड़ पड़ती है ? मगर कोई अफसर आवे या न आवे, काम हो या न हो मगर यू० डी० सी० और एल० डी० सी० को १० बजे से ५।। बजे तक बैठे रहना पड़ता है। यदि कभी काम हो गया और अफसरों को उनकी जरूरत है तो उनके लिए कोई ओवर टाइम नहीं। उनको रात को १० बजे तक बैठे रहना होगा, कोई ओवर टाइम पेमेन्ट नहीं होगा। लेकिन अफसरों को खुली छूट है जंचे, जिस समय आवे, नजदीक के दफतर में जाकर बातें करें और मुकद्दमे वाले लोग आते हैं उनकी तारीखें बदल दी जावें। आज तो हमको कहीं पार्टी है वहां पर जाना है, आज तो कलेक्टर महोदय के यहां जाना है। जैसा कि कल कलेक्टर साहब के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तो सारे के सारे मजिस्ट्रेट वहां चले गये। हम जैसे तारीख वाले व्यक्ति तारीखों पर गये उन सब की तारीखें बदल दी गईं। इन गरीबों की तरफ कोई देखने वाला नहीं। मेरी छाती भर आती है जब मैं यह देखता हूं। मैं यह कहूंगा कि गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं।

श्री मथुरादास माथुर—आपकी छाती दूध से भरती है।

श्री मानसिंह महार—दूध से तो उन मंत्रियों की छाती भर जाती है क्योंकि उनके अधिक पैसा आने से उनकी ही छाती भरती है।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा रिजोल्यूशन है और यह बहुत महत्व का है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में तो यहां तक हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं मूवर ओफ रिजोल्यूशन हूं मुझे तो फुल वन अवर मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के लिए यह भी नहीं करती कि जिस इलाके के वे होते हैं उनको वहां नहीं रखें।

[श्री मानसिंह महार]

रामनिवास बाग के, एक नौकर से वहां के इन्चार्ज रामनारायणजी जो हैं वे नाराज हो गये। उनके नाराज होने के कारण उसको कोटा बदल दिया गया।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप रिलेवेन्ट बातें ही कहें। किस्से–कहानियें न कहिये।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल रिलेवेन्ट है साहब। उस बेचारे को बरखास्त कर दिया गया। उस गरीब को ४५ रुपये माहवार मिलते थे, उसका कोटा ट्रान्सफर कर दिया गया और कोटा के उस आदमी का नाम आपकी याददास्ती के लिए बता देना चाहता हूं कि उसका नाम जगन्नाथ है, उसका कोटा ट्रान्सफर कर दिया गया। वहां के डी० एफ० ओ० को कहा गया कि इससे घृणित से घृणित काम कराया जावे और वहां पर उससे जूंठे बर्तन मंजवाये गये। जब शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां का पानी अच्छा न होने से उसकी तबियत खराब हो गई और छुट्टी मेडिकल ग्राउन्ड पर लेकर आया। अच्छा हो गया और उसने दरख्वास्त दी कि कोटे की आबहवा उसके लिये ठीक नहीं है, मुझे जयपुर में ही रख दिया जावे। मगर उसको बरखास्त कर दिया गया। उसने बगैर तनख्वाह छुट्टी का प्रयास किया मगर वह भी विफल रहा। आखिर रामनारायण जी, जो माननीय वित्त मंत्री जी के कृपा पात्र हैं, उन्होंने उसके लिये बर्खास्तगी का हुक्म दे दिया, उसको डिसमिस कर दिया गया है। आज सर्विसेज़ की सिक्योरिटी तो यह है। आज आप उन सर्विसेज़ से यह चाहते हैं कि वह अच्छी तरह से काम करें, उनसे आप चाहते हैं कि वे सही समय पर आयें जब कि हमारे अफसरान कभी भी ११ बजे से पहले नहीं आते हैं, उनको आप तनख्वाह तो कम दें और काम अधिक लेना चाहें। उनके छोटी छोटी बातों पर तबादले हो जाते हैं। तो आप चाहें कि वह काम तो ठीक तरीके से करें, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की तरफ भी क्या आप ध्यान देते हैं? मैं आपको सही २ बात बता दूं कि इन लो पेड सर्वेन्ट्स की सर्विसेज़ की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। इनको यह भी तो लाभ नहीं है कि अपनी जगह पर टिक कर कुछ काम तो कर सकें। जयपुर से जब कर्मचारी अजमेर कमिश्नर्स ऑफिस में गये तो उनको कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, उनको आप में से किसी ने सोचा? आपको कम से कम यह देखना चाहिए था कि यहां के आदमी को वहां न जाना पड़े और वहां के आदमी को यहां न आना पड़े। यह बिचारे छोटे २ लोगों पर सरासर अन्याय है। कम तनख्वाह वाले बिचारे दूसरी जगह जाकर कैसे अपना गुजारा चला सकते हैं?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको अभी पांच मिनट में ही खत्म कर दूंगा। I will not take sixth minute. मुझे अफसोस है कि इतना कहने पर भी आज वही मुगलों के जमाने की निरंकुशता सामने आ रही है।

एक माननीय सदस्य—नहीं-नहीं, बहादुरशाह जैसी निरकुंशता।

श्री मानसिंह महार—चाहे आप बहादुरशाह जैसी कहें या मुगलों जैसी, निरकुंशता, वह तो एक ही बात है। तो हमारी सरकार, जहां बड़े बड़े लोगों की तरफ ध्यान देती है तो मैं यह कहूंगा कि उसे सब की ओर ध्यान देना चाहिए। आज आपको मिनिस्ट्री को कायम हुए ५ वर्ष होने आए तो आप खुद ही सोचें कि आपने इन गरीबों के लिए क्या किया? अगर आपने अपने इन पांच वर्षों के अन्दर इनको ऊंचा न उठाया, इन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इनको किसी प्रकार की मेडिकल एड नहीं दी, इनके ट्रान्सफर कहीं के कहीं हो जाते हैं, इनके रहने को जगह नहीं देते हैं तो आप यह उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इन बातों की तरफ आपको पहले ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे अजमेर और राजस्थान का जो मर्जर हुआ है उसके फलस्वरूप अगर आप देखें तो जो सज्जन यहां से वहां कमिश्नर्स ऑफिस में गए है उनकी बहुत ही बुरी हालत है। जो क्लास फोर सर्वेन्ट्स वहां गए है उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वे बेचारे चौड़े में चूला जला कर खाना पकाते है, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यह सब आप वहां जाकर देख सकते है। इधर अजमेर के जो लोग आये हैं उनकी दशा का वर्णन तो उस रोज हमारे अजमेर से आये हुए कुछ मित्रों ने किया था कि अपने उन लोगों के लिए किस योग्यता से इन्तजाम किया है! तो हमें इन सारी बातों की ओर ध्यान देना है। इन सब बातों को देखते हुए मैं सदन के प्रत्येक मेम्बर से यह आशा करूंगा कि इसके अन्दर आपको डरना नहीं चाहिये, यह तो एक ऐसा निर्दोष संकल्प है कि जिसको कि सरकार को राजस्थान के अन्दर अजमेर के विलय होते ही स्वीकार कर लेना चाहिये था। यह तो फैक्ट्स के ऊपर आधारित बात है। इसके अन्दर किसी की भी दो राय नहीं हो सकती। मैं आशा करूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे और अगर माननीय गृह मन्त्री ने इस पर यह कह दिया कि मैं मजबूर हूं या यह कह दिया कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं तो मैं तो यह कहूँगा कि अगर आप इसी बात को न कर सके तो फिर आपसे इससे अधिक और किस बात की उम्मीद की जाये? अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप दिन की बजाय, दिन को रात बता रहे हैं और उजाले के बजाय उसे अंधेरा बता रहे हैं। दिन में रहते हुए भी आप अंधेरे में ही हैं। मैंने जब मेरे एक मित्र से कहा कि आप सदन की कार्यवाही देखते चलें तो उन्होंने कहा :

"मैं थांकी कांई बात सुनने आवां, थें तो दिन में ही दिया जलाओ। हां, थांका तो हीया फूट गया।"

हमने कहा कि चौधरी साहब दिया तो वहां जलाया जाता है जहां कि अंधेरा होता है। तो वह बात तो बिल्कुल ही ठीक है। हमारी सरकार के दिमाग में तो अंधेरा ही है और उस अंधेरे को दूर करने के लिये और उनको प्रकाश दिखाने के लिये हम दिया जलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी वस्तु स्थिति देखनी चाहिये, इसलिए मैं सदन के प्रत्येक सदस्य से अलग अपील करूंगा कि मेरा जो संकल्प है वह बहुत ही उचित है, आज इसमें कोई पार्टी की भावना नहीं

[श्री मानसिंह महार]

है। आप यह सोचकर न चलिये कि यह संकल्प एक विरोधी सदस्य का संकल्प है। अगर आप चाहें तो यह प्रस्ताव मैं आप में किसी के नाम कर सकता हूं। मैं इस पर कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। आप मेरी तरफ से इसको पेश कर दीजिए। आप ही सारा क्रेडिट ले लीजिए, इसके अन्दर मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से क्यों रखा गया? लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए। इन गरीबों की तरफ आप ध्यान दीजिए। आप ही देखें आपके यहां बंगले पर टेलीफोन सुनते सुनते चपरासी के कान बहरे हो जाते हैं, एक ४० रु० पाने वाला कॉन्स्टेबिल भी आपके यहां सबेरे ३ बजे से ६ बजे तक संगीन लगाकर खड़ा रहता है, या जो एल. डी. सीज़. और स्टेनोग्राफर्स हैं जो आपके यहां रात को बारह बारह बजे तक काम करते रहते हैं, आप इन सब की तरफ देखिए कि इनको कितना काम करना पड़ता है। आप टीचर्स को ही ले लीजिये गांव गांव में उनको जाना पड़ता है। हम इनको दिमाग कह सकते हैं तो इन लोगों का पोषण अगर आप नहीं करते तो फिर क्या होगा? कम से कम जो अजमेर में इन जगहों पर तनख्वाहें मिलती थीं उनके बराबर उनको दे दी जानी चाहिए। अब आप यह दलील देंगे कि अजमेर में तो डियरनेस अलाउन्स ज्यादा मिलता था। तो आपने एक चीज की ओर ध्यान नहीं दिया। वहां पर डियरनेस पे और डियरनेस अलाउन्स दो अलग अलग तरह की चीजें थीं। आप दोनों राज्यों के आंकड़ों का इस विषय पर मुकाबला करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं अपने साथ आंकड़े लाया हूं। आप डियरनेस पे और डियरनेस अलाउन्स को अगर झगड़े में डाल देंगे तो यह एक अनुचित बात होगी। मैं तो यह कहता हूं कि यह बात तो सब पर लागू होनी चाहिए। डियरनेस पे और डियरनेस अलाउन्स तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अजमेर के सभी कर्मचारियों को यह डियरनेस पे मिलनी चाहिए और इन दोनों को अलग अलग ही माना जाना चाहिए। यह अजमेर के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होना चाहिए। उनको जो डियरनेस पे मिलती थी वह उनकी तनख्वाह में मानी जानी चाहिए। आप उनको यह धमकियां दे रहे हैं कि हम आप लोगों को जो डियरनेस पे मिलती थी उसको हम पे के अन्दर नहीं मानते हैं तो यह उनके साथ सरासर सारा अन्याय है और सेन्टर से जिनसे कि आप डरते हैं और जिनका कि आप हुक्म मानते हैं, उन्होंने अजमेर में यह सारा काम करवाया है तो मैं यह कहूंगा कि सेन्टर की आज्ञा का पालन किया जाय। अगर आप इसको मन्जूर कर लेंगे तो आपको इस पर कोई धमकी आने वाली नहीं है, क्योंकि यह तो सेन्टर के ही ऑर्डर्स हैं। इन्हीं बातों को कहते हुए २॥ सेर के गेहूं और ३ सेर के जो जौ बिक रहे हैं और ६ रुपये सेर का जो घी बिक रहा है, इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं उनको स्वीकार कर लें। आप चाहें ऊपर वालों की तनख्वाहें कम कर दें और ऊपर वालों की तनख्वाह बढ़ा दें तो यह एक न्यायोचित मांग है और यह प्रस्ताव स्वीकार करना हर एक सदस्य के लिए गर्व की बात होगी। राजस्थान के कम पाने वालों को यदि हम कुछ ऊंचा उठायेंगे तो वह यह कहेंगे कि राजस्थान की विधान सभा सही माने में चुनी हुई है और अगर यह नहीं हुआ तो सब लोग यही कहेंगे कि गरीबों

[श्री मानसिंह महार]

को कौन सुनता है विधान सभा भी अमीरों की और असर वालों की सुनती है। अजमेर के विधान सभाई सदस्यों को तो आपने यहां के स्तर पर ला दिया और आज जब इन गरीबों की इस सदन के समक्ष बात लाई जाती है तो आप उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। आप तो भूल गए लेकिन हम आपके छोटे भाई की हैसियत से आपको याद दिलाते हैं कि आप इनका पूरा पूरा ध्यान रखें। अगर आप अजमेर के एम० एल० एज़० के इतने ही अलाउन्स कर देते हैं जितने कि राजस्थान वालों के हैं तो राजस्थान के चपरासियों को उतने ही अधिकार हैं, राजस्थान के टीचर्स को भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि अजमेर वालों के और उनको वही तनख्वाहें मिलनी चाहिए जितनी कि अजमेर वालों को मिल रहीं थीं। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो इतने बोल्ड हो जाइये कि अजमेर वालों को अजमेर के बराबर ही रहने दिया जाय। इन बेचारे क्लास फोर सर्वेन्ट्स, टीचर्स और कॉन्सटेबलों के ऊपर तो इतनी सख्ती होती है कि वे कोई यूनियन भी नहीं बना सकते हैं। पुलिस के सिपाही अगर यूनियन बना लें तो उन पर मुकदमा चल जाये, उनकी मुसीबत हो जाये। उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन हो जाता है। अगर इन्सपेक्टर्स कोई यूनियन बनाते हैं तो उनका तबादला हो जाता है, अगर कोई सर्किल इन्सपेक्टर यूनियन बनाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। आखिर वह भी तो अपनी आवाज बुलन्द कर सकते हैं। आप उनको इस प्रकार की प्रकृति की ओर आगे मत बढ़ने दीजिए, मगर उनकी जो मांगें हैं उनको आप पहले स्वीकार कर लें। अगर यह बात नहीं हुई तो एक ही जगह बैठकर दो कॉन्सटेबल्स जो अलग अलग पे लेते हैं उनके मन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ना स्वाभाविक ही है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहां साम्राज्यवाद प्रणाली अपनाई जाये। साम्यवाद हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे यहां समाजवाद फले फूले। हमें तो यहां समाजवाद को फलने फूलने देना है। तो वैसी हालत में साम्यवादियों की ओर हमें ध्यान रखना चाहिये। साम्यवाद के खतरे से बचने के लिए और साम्यवादियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि यहां के निम्न श्रेणी के लोगों का वेतन स्तर बढ़ाया जाना चाहिये। आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आज ही यह मौका है, आज ही आपके लिए स्वर्ण अवसर है कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। आपके भी कई मित्र होंगे इस क्लास में उनका भी भला कर सकेंगे। आपको उस जमाने को याद करना चाहिये जब कि आप पढ़कर आये थे, आपकी वकालत सिर्फ दस पन्द्रह रुपये की ही चलती थी। मैं खास तौर से वित्त मन्त्री जी से यह कहूंगा आप आज के जमाने को मत देखिये, उस जमाने की बात सोचिये और फिर इन लोगों की ओर ध्यान दीजिये। उनके दुःख दर्द को देखिये मैं खास तौर से कांग्रेस के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह तो ऐसा मामला है जिसको सर्व सम्मति से पास किया जाना चाहिए। वित्त मन्त्री जी से मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे इस बात का क्रेडिट मुझे दिलाना नहीं चाहते तो मैं उनके नाम ही इस प्रस्ताव को करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा यदि वे चाहें तो मैं मेड़ता से आने वाले और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के नाम यह प्रस्ताव कर सकता हूं। वे चाहें यह कांग्रेस वालों को दें मुझे इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं। मैं तो चाहता हूं कि इन लो पेड सर्वेंट्स का भला हो चाहे किसी के नाम से, हो मैं तो उनका भला होने की बात चाहता हूँ। प्रत्येक मेरे मित्र

[श्री मानसिंह महार]

इस बात को बड़े न्यायोचित रूप में लेंगे । हमें इस दृष्टि से देखना है कि न्याय जैसी कोई चीज़ राजस्थान सरकार के समक्ष है या नहीं, आज उनको यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि वे मेरे इस संकल्प के विरोध में वोट देंगे तो क्या होने वाला है, इसके क्या परिणाम होंगे यह भी सोचना चाहिये । मैं इस संकल्प को कभी वापिस लेने वाला नहीं यह उस तबके की आवाज है जिसको यहां बुलन्द करने वाला कोई नहीं । कभी मैं इस प्रस्ताव को वापिस नहीं लूंगा चाहे मेरे साथ चार पांच ही आदमी क्यों न हों । मैं इसके लिए आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखूंगा । अपने आपको गलत बोक्स में न डाल कर मैं इसके लिए लड़ाई जारी रखूंगा । इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मेरे इस प्रस्ताव को मन्जूर कर लें चाहे हमारे वित्त मन्त्री किसी लहजे में मन्जूर करें लेकिन मन्जूर उनको कर लेना चाहिये । आज यह न्याय नहीं कहा जा सकता कि एक अजमेर से आने वाला चपरासी तो ८५ रुपया वेतन ले और यहां का चपरासी ४५ ले । इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से अपील करूंगा आज तो वे सही मायने में प्रजातन्त्र का दिग्दर्शन करायें । हम यह जरूर देखते हैं कि भारत में तो डेमोक्रेसी आगयी है किन्तु राजस्थान में प्रजातन्त्र नहीं । आज यहां की सरकार को बहुत अप्रजातांत्रिक मानते हुए भी मैं समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे संकल्प को एक मत से स्वीकार करेंगे । यह भी मुझे मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ह्विप भी इश्यू हुआ है उसमें कहा गया है वित्त मन्त्री जी के जवाब देने के बाद इसका विरोध किया जाय । मैं कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करूंगा यह जो कोड़े होते हैं वह क्या समझदार व्यक्तियों के लिये नहीं हुआ करते ? आशा है इस ह्विप को कांग्रेस के मित्र नहीं मानेंगे । यह कोई ह्विप होता है क्या जो सही दिमाग से सोचने वाले पर लगाया जाय जो सही दिमाग से सोचने वाले आदमी नहीं होते उन पर ह्विप लगा करता है, ह्विप इश्यू हुआ यह मैं ताज्जुब की बात मानता हूँ ।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो हाउस के सामने पेश हुआ ह उसके समर्थन में मुझे कुछ निवेदन करना है । हम तो यह समझे हुए थे सरकार स्वयं हो अपना फर्ज समझ कर वेतन में जो असमानता है उसको दूर करेगी । छोटे कर्मचारी जो लोग हैं चपरासी, कोन्स्टेबल्स, टीचर्स इनकी तनख्वाह कम से कम और नहीं तो अजमेर के जो पाने वाले हैं उनके समान तो कर दी जाय । लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि ऐसा नहीं हुआ इस लिये यह संकल्प पेश किया गया है । इस जमाने में जब कि सभी चीजों के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, नाज का भाव बढ़ रहा है, कपड़ा महंगा मिलने लगा है, उसी अनुसार पैसे का भाव भी बढ़ना वाजिब है । पैसे का भाव बढ़ गया लेकिन उसके साथ २ लोगों का वेतन स्तर नहीं बढ़ा । यह भी नहीं कि इन लोगों से छः घंटे ही काम लिया जाता हो बेचारों को २४ घंटों का नौकर समझा जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में अधिकतर ऐसे आदमी हैं, जो छोटे मुलाजिम हैं जैसे कोई चपरासी है तो कोई कॉन्स्टेबल है तो कोई टीचर है, ऐसे आदमी अधिकतर गांवों में रहते हैं ।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

४६१ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी

[राज श्री हिम्मतसिंह]

इन लोगों को क्या २ कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, इन बेचारों की जो ड्यूटीज़ लगी रहती हैं, उससे वे बड़े तंग हैं। मसलन इत्तला होती है लोग-बागों को गांव में फलां शख्स को फलां ऑफिसर के यहां भेजा जाय क्योंकि उनके यहां खाना पकाने के लिये आदमी नहीं है। जल्दी से जल्दी आदमी को भेज दिया जाय वर्ना अफसर साहब भूखे रह जायेंगे, बेचारा रात को तो ड्यूटी से आया हुआ है, अपने बाल बच्चों से मिल भी नहीं पाया कि हुक्म हो जाता है कि तुम फलां साहब के यहां जाओ। अगर नहीं जाता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है, ऐसी हालत है इन बेचारे छोटे कर्मचारियों की। छुट्टियां आती हैं तो इनको छुट्टियां नहीं मिलतीं, छुट्टियों के रोज भी इनसे काम लिया जाता है। अर्ली इन दी मोर्निंग काम पर जाते हैं और रात को दस-दस बजे तक घर पर नहीं आ सकता और इतना काम करते हुए भी उस बेचारे को वेतन इतना ही नहीं मिलता जिससे एक आदमी का भी अच्छी प्रकार से गुजारा हो सके। यह सोचने की बात है कि इतनी छोटी तनख्वाह में वह अपने बाल बच्चों का कैसे गुजर कर सकता है, मैं नहीं समझ सकता। कांग्रेस पार्टी वाले भी यह सोचते होंगे, गवर्नमेंट को इस बात के सोचने में क्या कटिनाई हो सकती है। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि हमारे पास धन का अभाव है, लेकिन मेरा यह मानना है कि धन का अभाव नहीं लेकिन रुपया किस जगह लगाया जाय और किस प्रकार काम में लिया जाय इसका अभाव है। गरीबों के साथ आप जैसा व्यवहार रखेंगे तो इसका नतीजा उल्टा होगा और वह आपको ज्यादा दुखदायी साबित होगा। इसलिये यह जरूरी बात है कि इन लोगों का वेतन स्तर कम से कम अजमेर के कर्मचारियों के समान तो कर दिया जाय। आज एक ही प्रान्त में दो तरह की वेतन श्रृंखलायें हों यह उचित चीज़ नहीं है और यह शासन के लिये भी शोभा की बात नहीं कही जा सकती। जब हमारा प्रान्त पार्ट ए स्टेट होगया है उसके मुताबिक तो कम से कम वेतन का स्टेन्डर्ड होना ही चाहिये। तनख्वाह बराबर देना तो अलग बात आज तो हमने यह भी देखा है कि छोटे कर्मचारियों को जो कुछ प्रज़ेन्टस आदि मिलती हैं, उनको नहीं दिया जाता। मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे कोटा ज़ू से शेर के दो बच्चे रूस भेजे गये थे। वे बच्चे एक आदमी की देख रेख में वहां भेजे गये थे जब वे रूस चले गये तो वहां की सरकार ने उस आदमी को जो उनकी देखरेख के लिये साथ गया था एक शोट गन मय कारतूस के भेंट की थी। किन्तु आज तक जिसको करीबन दो साल होगये उस बेचारे को नहीं दी गई, न मालूम उस पर किसी अफसर की आंखें हों जो अपने पास रखना चाहता हो उसे देना नहीं चाहता हो। लेकिन ताज्जुब की बात है कोई प्रेजेन्ट आती है फोरेन कन्ट्रीज़ से, वह भी नहीं दी जाती इसमें तो सरकार को जोर जुल्म नहीं होना चाहिये। खुद आप कुछ आप प्रेजेन्ट नहीं कर सकते तो कम से कम जो दूसरों के द्वारा प्रेजेन्ट की हुई चीज़ है, उसको तो दे दिया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि गरीबों की तरफ सरकार की दृष्टि अच्छी नहीं मालूम होती है। उनको ऊपर उठाने की तो इच्छा ही नहीं है क्योंकि वे समझते हैं कि ये तो छोटे आदमी हैं, इन से चाहे जिस तरह से हो काम लिया जाय। ये जानवर हैं, गधे हैं, ऐसा

[राज श्री हिम्मतसिंह]

मान बैठी है हमारी सरकार। आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनका हम प्लेटफार्म पर कभी लेक्चर सुनते हों तो बड़े जोर जोर से चिल्ला कर कहेंगे कि हम जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो स्टेन्डर्ड ऊंचा हुआ नहीं। वैसा का वैसा ही स्टैंडर्ड है जैसा चला आ रहा है। एक मजदूर को आप लीजिये। वह बिचारा सुबह से शाम तक आठ दस घण्टे काम करता है, मजदूरी करता है और तीन रुपया रोज तो कमा लेता है। पर जो बिचारा २४ घंटे काम करता है वह भी उतनी रकम नहीं पा सकता। तो इतनी असमानता राज के मुलाजिमान में और एक मजदूर में रहे, यह अच्छी बात नहीं है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि अधिक नहीं तो अजमेर का जो वेतन का स्टेन्डर्ड है उतना तो यहां होना ही चाहिये। अगर यह भी नहीं मिले तो ताज्जुब की बात है।

फिर आप यह भी जानते हैं कि कन्ट्रासेप्टिव केम्पेन आज सरकार को करना पड़ता है पर इसमें भी अमीरों के बच्चे कम पैदा होते हैं। इन गरीबों के ज्यादा होते हैं तो वह केम्पेन आपको न करना पड़े इसके लिये आप गरीब-अमीर सबको एक स्टेन्डर्ड पर कर दीजिये। ताकि फिर प्रीवेन्टिव मैथोड यूज़ करने की नौबत ही नहीं आवे। ग्रो मोर फूड की भी अधिक आवश्यकता नहीं हो और गल्ला सबको बराबर मिल सके। तो जितना रुपया इन बातों की तरफ सरकार खर्च करती है उतना अगर इधर इन गरीबों को दे दिया जाय और उनको खाने पीने को अच्छा दिया जाय तो इनका स्टेन्डर्ड बढ़ेगा और आपकी ये दिक्कतें अपने आप हल हो जावेंगी। तो इनकी तनख्वाहें अजमेर के स्टेन्डर्ड पर कम से कम बढ़ा दी जावें, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती यशोदादेवी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे माननीय सदस्य ने जो संकल्प रक्खा है उसका मैं समर्थन करती हूं। मुझे यह देखकर बड़ा संकोच और दुख अनुभव हुआ कि राजस्थान और अजमेर के समन्वय के पहले भी कई बार यह प्रश्न यहां सदन में आया पर उस वक्त इसे टाला गया और आज भी इसे उसी तरह टाला जा रहा है। हम यह चाहते थे कि इनका वेतन स्तर, निम्न कर्मचारियों का वेतन स्तर, कम से कम सौ हो जाना चाहिये। आज इस सदन का आखिरी सत्र है, तो आज के दिन ही इस प्रकार की घोषणा करके यह सरकार जनता के सामने एक आदर्श पेश करे। अगर अधिक नहीं तो अजमेर से आये कर्मचारियों के बराबर ही सबका वेतन स्तर घोषित कर दे, तो जनता में और हमारे निम्न कर्मचारियों में एक सन्तोष का और सहानुभूति का वातावरण पैदा हो सकता है।

जब कभी यह मसला हमारे सामने आता है सरकार अपनी बजट की घाटे की कमजोरी बताती है। पर मैं कहूँ अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय श्री जवानसिंह पदासीन हैं पर गलती से अध्यक्ष कह रही हैं) सरकार एक सुयोग्य गृहिणी के बराबर होती है, वह जनता की माता के समान

७६३ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी

[श्रीमती यशोदादेवी]

होती है, तो जिस प्रकार एक सुयोग्य गृहिणी अपने पति के या पिता के वेतन में से अपने पूरे घर का, अपनी पूरी गृहस्थी का महीने भर तक भरण-पोषण करती है और अच्छी तरह से करती है। किसी के खाने पीने में कोई पक्षपात नहीं करती, सबको बराबर खिलाती-पिलाती है, किसी को भूखा नहीं रखती और जब तक दूसरे महीने का वेतन न आवे तबतक उसी में से सबको देती है, सारा काम चलाती है, तो इसी तरह से सरकार को घाटे का कोई बहाना नहीं बनाना चाहिये। जो कुछ है उसी में से सबको कम से कम इतना तो देना ही चाहिये कि वे भूखों न रहें, अपना भरण-पोषण ठीक तरह से कर लें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह एक सुयोग्य गृहिणी, सुयोग्य सरकार बनने का दावा नहीं कर सकती। सरकार के पास अगर खजाने में अधिक पैसा नहीं है तो मैं कहूँ अध्यक्ष महोदय, (फिर वही सम्बोधक सभापति महोदय को करती हैं) कि जिनको अधिक वेतन मिलता है, और जिसके कारण उनको अजीर्ण हो जाता है, तरह तरह के भ्रष्टाचार करते हैं तो उनकी तनख्वाह कम करनी चाहिये और इस तरह से बचे हुए पैसे को इन निम्न कर्मचारियों में बांट देना चाहिये।

अभी हमारे सामने सदन में एक प्रस्ताव आया था कि मन्त्रियों का वेतन बढ़ना चाहिये। इस पर हमारे मित्रों ने बताया था कि क्यों बढ़ाना चाहिये और इसमें क्या क्या खामियां हैं, उस सब बहस को मैं सुन रही थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था। तो इन छोटे कर्मचारियों की मुसीबतें हमारी सरकार के सामने बराबर एक समस्या पैदा करती रही हैं और हम देख रहे हैं कि इसी समस्या का कारण है कि हमारे राजस्थान में ही नहीं, सारे देश भर में यह आवाज आ रही है कि सब तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं, बदमाशियां बढ़ रही हैं। तो इसका क्या कारण है? इस कारण को कोई नहीं देखता।

इन छोटे कर्मचारियों के साथ किया जाने वाला बरताव भी हम रात दिन देखते हैं जरा ज़रा सी गलतियों के लिये उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। रेलवे में हम सफर करते हैं तो रेलवे पुलिस वालों से बातें करने का कभी कभी मौका मिल जाता है। उनसे मालूम पड़ता है कि जरा जरा सी गलतियों के वास्ते उन बिचारों को जलील किया जाता है, चोरी और भ्रष्टाचारी के लांछन उन पर लगा दिये जाते हैं, बड़ों बड़ों का कसर कोई नहीं देखता, और उन गरीब छोटे कर्मचारियों के ऊपर कसर निकालते हैं। यह भी मैं कह दूं, हालांकि कहना नहीं चाहिये कि इन छोटे छोटे कर्मचारियों को बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा मजबूर किया जाता है खराब से खराब काम करने के लिये और जब काम पड़ता है तो उनको ही जिम्मेदार ठहरा कर वे अलग हो जाते हैं। उनको लालच भी दिया जाता है कि हमारा अमुक जगह चुनाव होगा, हमारे पक्ष में काम करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जावेगी। इसमें मन्त्री महोदय तक भी शामिल होते हैं। उन लोगों को लालच दे देकर आज कोई मिनिस्टर बन गये, कोई एम० एल० ए० बन गये। पर आज उनकी क्या हालत है? यह उनसे आप पूछेंगे तो पता चलेगा। अजमेर से आये हुए एम० एल० एज़० का

[श्रीमती यशोदादेवी]

वेतन मैं देखती हूँ कि एक दम बढ़ा दिया तो जब एक तरफ आपने यह कर दिया तो दूसरी तरफ अजमेर से आने वाले निम्न कर्मचारियों को जितना मिलता है वह यहां के छोटे कर्मचारियों को देने में आप क्यों हिचकते हैं ? तो यहां के सिपाही, चपरासी, मास्टर आदि जितने नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाकर आपको एक आदर्श पेश करना चाहिये और कम से कम उनकी सौ रुपये की तनख्वाह की घोषणा करके यहां से उठें। बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह जमुवा-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक व्यक्ति अपने अपने मत व्यक्त करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह मामला इतना आवश्यक और नैतिकता और न्याय से पूर्ण है कि जिसके समर्थन करने में किसी को कोई सन्देह रह ही नहीं जाता।

("हियर हियर" की आवाज)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजाओं की जगह, आज की व्यवस्था के अनुसार, जो मन्त्री महोदय हैं उनको यह चाहिये कि वे सबको समान दृष्टि से देखें। जब सबका एकीकरण करते हैं तो हमारी यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि सब को वेतन स्तर भी समान दिया जाय। तो अजमेर और राजस्थान जब एक हो गये, उनका एकीकरण हो गया, तो इसके बाद में वेतन स्तर का भी एकीकरण क्यों न हो ? तो इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। यह वेतन का भी एकीकरण होना ही चाहिये।

अब हमारे सामने यह अगर कहा जाता है कि जयपुर का, राजस्थान वालों का वेतन स्तर बहुत बढ़ा चढ़ा था इसलिये बढ़े चढ़े को घटाना समुचित नहीं इसलिये उनका एकीकरण नहीं हो सकता। तो वह इस तरह से न्याय संगत कहा जा सकता था, लेकिन राजस्थान वालों का वेतन इतना कम है कि अजमेर के मुकाबले में आधे के अन्दाज रह जाता है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने उदाहरण देकर पुष्ट किया है और कहा कि अजमेर में छोटे छोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और कॉन्टेबल्स को ८५) मय अलाउन्स मिलता है और यहां अधिक से अधिक ४५ रुपये या ५०) मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो अन्तर है वह बहुत ज्यादा अन्तर है। इसी प्रकार अध्यापकों में भी यह बात है कि अजमेर में न्यूनतम वेतन, न्यूनतम जो कुछ अध्यापकों को मिलता है वह १२५) है और यहां न्यूनतम है ५०), जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा था तो अनुचित है कि राजस्थान वालों को कम मिले। यह स्पष्ट है कि राजस्थान वालों को अजमेर वालों के मुकाबले में बहुत ही कम वेतन मिलता था और यह नहीं कह सकते कि राजस्थान के वेतन से नीचा था, उसको घटाया नहीं जा सकता है और ऊंचा नहीं किया जा सकता है।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

दूसरा प्रश्न यह आता है कि जब हमारे बजट में घाटा हो और पैसा न हो तो कहां से दिया जा सकता है, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अजमेर हमेशा से बहुत ही छोटा सा राज्य था ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—भारत सरकार से मिलता था।

श्री रूपनारायण शास्त्री—अजमेर बहुत छोटा सा राज्य था और वहां के मन्त्रियों ने जब ऐसे अलाउन्स या दुर्भिक्ष मंहगाई के कारण होने वाला मंहगाई भत्ता ज्यादा कर दिया, क्या राजस्थान अपनी बुद्धिमता या कौशल का परिचय नहीं दे सकता ? यह तो विस्तृत राज्य है, यहां अनेक साधन उपलब्ध हैं, कई खनिज साधन हैं, वहां तो इतने कम साधन थे और उन्होंने इतना कर दिया था, और इतना हम नहीं कर सके तो यह हमारी बुद्धिमता पर कलंक है, लांछन है। किसी पर आक्षेप करना, यह तो मानवता से पूर्ण नहीं है लेकिन अपनी स्थिति को देखकर दूसरों की स्थिति का भी अनुमान लगाना चाहिए। हमें यह कहा जाता है कि "आत्मवत् सर्व भूतेषु" सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखो। जो आज मिनिस्टर हैं, एक सदस्य महोदय ने बताया कि उनको विचारों को कुछ बचता नहीं है, जो मिलता है वह खर्च हो जाता है। जब एक हजार मिलने वालों की यह परिस्थिति है, तो जिनके परिवार में १० आदमी हों तो वे लोग कैसे काम चलायें ? अपनी सेवायें अर्पित करने वाले यदि आपको न सुनायें तो वे सेवा भावी व्यक्ति क्या करें ? सेवा भावियों के बिना राज्य का काम चल भी नहीं सकता है। अगर उनको सन्तुष्ट न रखते हैं और भूखा रख कर काम कराते हैं तो यह तो बेगार प्रथा से भी बदतर है। बेगारी प्रथा पहले राज्यों में थी किन्तु यह तो उससे भी ज्यादा लांछन और कलंक की बात है। इसको मैं नहीं कह कर अगर मन्त्री महोदय स्वयं ही तथ्यों पर पहुँच जांय तो अच्छा है, उनको जानना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं साहस होता ? तो ऐसा घोषित करें। आपका नैतिक स्तर है गरीबों की रक्षा करना, यह ऊंचे आदमियों का स्तर तभी हो सकता है। वे अपने आपको कर्तव्यपरायण मानकर नैतिक स्तर न रखें, स्वयं चरित्रवान न हों और दूसरों को शिक्षा दें कि चरित्रवान बनो, तो यह तो औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि यह विषय बड़ा स्पष्ट है। राजस्थान वालों का और अजमेर वालों का वेतन स्तर समान हो जाना चाहिए और इतना जल्दी हो जाना चाहिए कि जल्दी घोषित कर दिया जाय और जल्दी से जल्दी कर दिया जाय। सबको समान दृष्टि से देखकर इसको जल्दी कर दिया जाय और इसी दृष्टि से जमुआ-रामगढ़ से आये माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री ईश्वरीसिंह—जो संकल्प है उस को समर्थन करता ने खड़ा हुआ हूं। तमाम आदमियां ने जो दी है, अजमेर को दी है। मैं आपने बताऊं, एक भाई के तो सड़क की नौकरी है, सड़क में नौकरी कर ली, रोज की रोज रोजी मिल जावे और एक बड़ो ऊंचा ओहदा पे सरकारी

[श्री ईश्वरीसिंह]

नौकरी करे है, पुलिस में जो रात दिन खडो रहे। वो तो करे घरू नौकरी और व्हो की तनख्वाह १८) रु० महीना। एक है जाको! १०० महीना पा जावे है, सडक माथे काम करे है, सरकार कन्ट्रोल को नाज दे है, बडी हिफाजत सूं राखे है, क्यों राखे हैं कि उनमां संगठन हो गयो है। संगठन सूं मुकाबला करे कि भूखा कीं कर रहे। जो इज्जत का बोझ सूं दबयो है, ऊंचा ओहदा पर है, पुलिस में बडो आदमी है, थानेदार है, सरकल ही रहयो है, वो अनाज उठावे नहीं, खुद तो धाप न खाले, छोटा छोटा ने नहीं मिले। सबकी नौकरी बंद गी। दूसरो बाहर गांव में मजदूरी करे है। एक भाई ईंट थापवा जावे है, बारा बज्या तक ईंट थापे है, आठ बज्यां जावे, ३) रोजाना ले ले। दिन में नावे-धोवे, मौज करे। एक भाई मिनिस्टर है, शिक्षक है, दुनिया को सुधार शिक्षा सूं हो जाय चावे है। शिक्षा देवा वाला की तनखा ४५) और जो ईंट थापवा जावे है ऊंकी १०५) रु० व्ही ने १०५) रुपया मिले है और मौज मां काम-धन्धा करे। तो या सरकार की भूल की बात है कि वां नौकरां के भला की बात नी कर रही है। यह तो सरकार का भला की बात है जका आदमियों ने सरकार नौकर राखे वाने धाप न रोटी दे। एक बहिन हाली को रोटी जाय है। दोनों वक्त रोटी खाय, आछी तरह। रोजाना पांच रुपया मिले है, मुसलान लोग राखे हैं १०) दोनों वक्त का मिल जाय। सरकार नौकर राखे लेकिन धापन रोटी नदे, भूखा राखे तो सरकार को भलो न होवेगा। सरकार भलो चावे तो सौ रुपया सूं कम न दे। और काम में तो भूलवा की चेष्टा नहीं की। तो उठे मांग करूं तो मेरो अपमान करया बिना नहीं रहे कि "बैठ जाओ" तो मैंने देख लियो भाई कि अठे बोलने की जरूरत नहीं। पर ई काम के लिए बोलू हूँ और या नेक राय दूं कि वीं लोगां का दुश्मन ना बणो। वे भी इन्सान हैं। वे रात दिन बन्दूक लिया ऊबा रहें। वींका बाल बच्चा रोता रो जायं अगर वे मारया जाय। सरकार वाने भूखा राखे अजमेर की मिसाल दी तो अजमेर की क्या जरूरत है आपकी खुद की आत्मा आ सोचे के वींकी आत्मा किसी सुखी है? तो आ बिल्कुल जल्दी से जल्दी पास कर दियो जाय कि १०० रु० से नीचे हरेक जिकी सरकारी नौकरी वाला है क्योंके आपको काम देखे है वींको पेट कियां भरयो जाय, कियां एक कमाऊ है और पांच घर में आदमी, बालबच्चे स्त्री और है तो पांच को पेट एक आदमी ४५ रुपया में कियां भर सके और कियां रे सके है। तो आप लोगां ने मैं बड़ी नम्रता के साथ और गरीबी तौर के साथ कहूँ कि यां की तनख्वाह बढ़ाने की सरकार बिल्कुल फिक्र करे। अगर नहीं करेगी तो सरकार गलती करेगी।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरूंसिंह (१६)—सभापति महोदय, जमुवा-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन में कोई नये तौर पर आज ही चर्चा की जा रही हो, ऐसी बात नहीं है। जिस जिस समय इस सदन में सरकारी बजट प्रस्तुत किया गया है, राज्यपाल या राजप्रमुख के अभिभाषण हुए हैं सदन के सभी सदस्यों ने इस प्रकार की सभा

[श्री मैंगेसिंह]

में भाग लेकर इस बात की मांग की है कि राजस्थान के अल्पवैतनिक कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह के अन्दर इतनी वृद्धि कर दी जाय कि जो वृद्धि उनके रोजमर्रा के खर्चे की पूर्ति कर सके। सभापति महोदय, समय समय पर सरकार की ओर से हमें ऐसे आश्वासन मिलते रहे हैं कि राजस्थान के अल्पवैतनिक कर्मचारियों के बारे में हमारी सरकार गम्भीरता से सोच रही है और उस समय की प्रतीक्षा कर रही है जिस समय कि हमारी सरकार इन अल्पवैतनिक कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि करे। हम भी सब इसी प्रकार की आशा लगाये बैठे थे कि शायद वह समय होगा जिस दिन राजस्थान में अजमेर का विलय हो जाय। अजमेर के विलय के साथ राजस्थान के जितने भी कर्मचारी थे वे यह सोच रहे थे कि ज्योंही अजमेर का राजस्थान में विलय होगा राजस्थान के भी इन छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह उसी प्रकार से हो जायेगी जिस प्रकार की अजमेर के कर्मचारियों की है। लेकिन एक माह की प्रतीक्षा के बावजूद भी और इस सदन के सत्र होने के बावजूद भी सरकार की ओर से जब इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं मिलता है जिसके अनुसार ये अल्पवैतनिक कर्मचारी भी समझ लें कि अजमेर राज्य के अल्पवैतनिक कर्मचारियों के अनुकूल ही उनका वेतनस्तर कर दिया जायगा। उससे, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के सारे अल्पवैतनिक कर्मचारियों में एक जबरदस्त असंतोष है। आज उस असंतोष का मापदण्ड कोई यह देखे कि वह कोई बगावत करेंगे, उस असंतोष का मापदण्ड यदि यह सोचा जाय कि सारे कर्मचारी मिलकर हडताल कर दें, असंतोष का मापदण्ड यदि यह माना जाय कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के अल्पवैतनिक अध्यापक स्कूलों में जांय लेकिन छात्रों को पढायें नहीं, यदि चपरासियों के असंतोष का मापदण्ड यह समझा जाय कि वे मन्त्री महोदय के कहने के बावजूद भी बस्ता लेकर बंगले पर न जांय या और कोई काम हो उसको वह न करें और उसके बारे में रोष करें। यदि सरकार इस प्रकार का असंतोष का मापदण्ड समझती है तो मैं सरकार को सुझाव के रूप में नहीं लेकिन सूचना के रूप में कह सकता हूं कि सरकार यदि उनकी मांग की अवहेलना का रवैया रहा तो राजस्थान के अल्पवैतनिक कर्मचारी रोजमर्रा की आर्थिक समस्या से परेशान होकर उस कदम को उठाने को तैयार हो जायं, लेकिन अब तक का अनुभव हमारा यह रहा है कि राज्य के कर्मचारियों इस प्रकार के कदम तो उठाते हैं उस समय शायद सरकार के कानों में यह आवाज पहुँचती है कि इनकी कोई मांग है। भारतवर्ष के कई ऐसे प्रान्तों में अल्पवैतनिक कर्मचारियों में एकमत था ऐसे कर्मचारियों की यूनियन्स बनी हैं, उन्होंने अपना संगठन का निर्माण किया है और ऐसे संगठन के द्वारा सरकार से समय समय पर मांग की है। कई सरकारों ने, जिन सरकारों के लिये कहा जाय कि वे थोडी सी अल्पवैतनिक कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती थीं, इस प्रकार की सरकारों ने समय समय पर उनकी तनख्वाहों में वृद्धि की है। लेकिन जो सरकार जिस प्रकार कि जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि "हाथी की तरह मदमस्त होकर काम कर रही है" वह बहुत मुमकिन है कि अपनी मस्ती में छोटे कर्मचारियों की मांग की अवहेलना करे। लेकिन मजबूर होकर छोटे कर्मचारी अपना संगठन बना सकते है और जिस संगठन के द्वारा इस सरकार को झुककर उनकी मांग को मन्जूर करना पड़े। लेकिन वह झुकाने का प्रयास करें, मैं समझता हूँ, इस प्रकार के प्रयास का मौका देना किसी भी सभ्य सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। राजस्थान सरकार छोटे कर्मचारियों की

[श्री भैरूंसिंह]

तनख्वाह के अन्दर डिस्पेरिटी नहीं रखेगी। आज राजस्थान विधान सभा के अन्दर राजस्थान विधान सभा के सदस्य जो अजमेर से आये हैं तो वहां उनको अजमेर में १००)रु० मासिक वेतन मिलता था यदि आज उनको २००)रु० मासिक वेतन मिलता है जो कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को मिलता रहा है तो न्याय का तकाजा है कि विधान सभा में हमें बोलने का अधिकार है हमारे एक साथ एक से प्रिविलेज़ेज हैं, एक प्रकार की एमिनिटीज़ होती है तो एक को १००) रु० और दूसरे को २००) रु० नहीं दिया जा सकता है और इसी एक न्याय के तकाजे को सामने रखकर हमने इस प्रकार का कानून बनाया कि जिस कानून के जरिये विधान सभा के सभी सदस्यों की तनख्वाह बराबर हो। लेकिन हमने अपने लिए कानून बना लिया, हमने अपने स्वार्थ की बात तो कर ली लेकिन उन गरीब कर्मचारियों की ओर नहीं देखा। एक ही मिनिस्टर के ऑफिस में एक चपरासी को ११०) रु० मिलता है और उसी प्रकार के एक दूसरे काम करने वाले चपरासी को ५०) रु० ही मिलता है। दोनों व्यक्ति जब तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं तो एक के हाथ में ११०) रु० के नोट देखते हैं और दूसरे के हाथ में ५०) रु० के नोट दिखते हैं। तो निस्सन्देह मानवता का तकाजा है कि वे लोग ऐसा समझें कि हममें कोई कमजोरी है या यह समझें कि जिनको ११०) रु० तनख्वाह मिलती है उनके मुकाबले में वे अयोग्य हैं, या वह यह समझें कि उनके ऊपर परवरिश का हाथ है और हमारे ऊपर बड़े निरंकुश शासन का हाथ है। उनकी मांग इस प्रकार से उत्पन्न होगी जिनको दबाने के लिए जितने जिस प्रकार के उचित या अनुचित कार्यवाही हो वह करें या न करने को तैयार हो जांय।

सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार यह नहीं कह सकती है कि राजस्थान के अन्दर लिविंग स्टेन्डर्ड क्या है, और लिविंग स्टेन्डर्ड के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। उस कोस्ट की पूर्ति करना किसी भी सभ्य सरकार के लिए आवश्यक है। वह सरकार अपने प्रान्त में या जिस जगह उसका शासन है उस क्षेत्र में इस प्रकार का कमीशन बिठाये और उस कमीशन के द्वारा इस बात की जांच करे कि गरीब से गरीब आदमी को एक माह के लिए कितने रुपये की आवश्यकता होती है, उनको कितने अनाज की आवश्यकता होती है, कितने कपड़े की आवश्यकता होती है, उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है और जीवनोपयोगी जितने साधन हैं उनको उपलब्ध करने के लिये किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने का काम, यदि कोई सभ्य सरकार है तो वह सरकार का ही है। लेकिन बदकिस्मती से राजस्थान में न तो इस प्रकार की कोई इन्क्वायरी हो रही है और न राजस्थान सरकार अल्प वेतन वाले कर्मचारियों की स्थिति की इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार ही है और जितनी तनख्वाह कर्मचारियों को देती है उससे उनका गुजर होता है या नहीं, उन्होंने शायद ही इस बात की कभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की होगी। उसके विपरीत राजस्थान में जितने बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं वे कितनी और तनख्वाह पाने के हकदार हैं और अधिक से अधिक कितने दिनों तक और नौकरी कर सकते हैं न इस बात को जानने की कोशिश की ही जाती है और हमारे यहां बदकिस्मती से जितने बड़े बड़े

[श्री भैरोंसिंह]

अधिकारी हैं उनको डेट ऑफ बर्थ पहले की होने के कारण सरकारी नौकरियों से जो रिटायर होने वाले हैं जल्दी ही, तो उनकी मियाद को बढ़ाने के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली करने के लिए हमारे यहां की सरकार भारत सरकार को सिफारिश करती है। इसी कारण से भारत सरकार के एक विभाग की तरफ से राजस्थान सरकार को लिखा है कि राजस्थान सरकार अभी पार्ट ए स्टेट्स के स्तर पर आने के लायक नहीं है, इसलिए कि उसने एक उच्चाधिकारी की डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली करने के लिए लिखा था ताकि वह और कुछ दिनों तक नौकरी में रह सके। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की साजिश है। मुख्य सचिव चाहते थे कि मेरी मियाद बढ़ जाय, जोधपुर के कमिश्नर चाहते थे कि मेरी मियाद बढ़ जाय। इसी तरह से भूतपूर्व जागीर कमिश्नर चाहते थे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली हो जाय ताकि उनका रिटायरमेंट अभी न हो। एक तरफ तो यहां के बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपनी डेट ऑफ बर्थ बढ़वाने को साजिश करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ चपरासियों की गिरी हुई हालत के बारे में कोई नहीं कहता, शिक्षा विभाग के अध्यापकों के बारे में कोई नहीं कहता। शिक्षा विभाग के अध्यापकों के बारे में एक बार नहीं अनेक बार आश्वासन मिला है कि उनका फिक्सेशन जल्दी से जल्दी होने वाला है और उनका एरियर उनको जल्दी से जल्दी दिया जाने वाला है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो गांवाई क्षेत्र के किसी भी स्कूल में चले जावें और आंखमीच कर किसी भी अध्यापक का नाम ले लें तो वे यही कहेंगे कि पांच पांच वर्ष से उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है और उनके एरियर की भुगतान नहीं हुई है। उस पर भी आप कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी भुगतान करने वाले हैं और सरकार कहती है तुम्हारा फिक्सेशन शीघ्र ही हो जायगा। अध्यापकों को चाहिए कि जब तक उनका फिक्सेशन न हो वे लड़कों को पढ़ाने से इन्कार कर दें। मैं कहूंगा कि कोई भी सरकार सभ्य सरकार नहीं कहला सकती जबकि वहां के अध्यापकों का ८-८ साल से फिक्सेशन नहीं हुआ हो और उनका एरियर नहीं मिला हो और वे अपने हैड क्वार्टर और जयपुर या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर के बीच में एरियर के लिये चक्कर काटते हों।

चपरासियों का हाल इससे भी बदतर है। यदि चपरासियों के लिए जानकारी की जाय तो मैं कह सकता हूं कि ८० पर्सेन्ट ऐसे चपरासी हैं जिनसे जायज ड्यूटी नहीं ली जाती है। उनसे घर का धन्धा कराया जाता है, वे उनसे झूठे बरतन मंजवाते हैं। किसी मिनिस्टर या बड़े अधिकारी के यहां जाकर चपरासियों का हाल देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई बाजार से सामान या साग सब्जी खरीदने जा रहा है तो कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो कोई कचरा निकाल रहा है। उनसे निर्दयता से काम लिया जाता है और उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती है और यदि दी भी जाती है तो उसमें रुकावटें पैदा की जाती हैं। हमारे राजस्थान सरकार के जो स्तम्भ हैं उनके लिए इस प्रकार की बात शोभा की बात नहीं है।

[श्री भैंरूसिंह]

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में वहां के पटवारियों और एल० डी० सीज़ की हालत जाकर देखें तो पता चलेगा कि कोई अलवर का कर्मचारी है और उसकी अधिकारी से नहीं पटती है तो उसका तबादला जैसलमेर कर दिया जाता है और जैसलमेर वाले को भरतपुर भेजा जाता है। उनके लिए तनख्वाह मिलने में परेशानी, नियुक्ति में परेशानी, ट्रान्सफर में परेशानी और काम करने में परेशानी, सब बातों में परेशानी ही परेशानी होती हैं। यदि किसी का प्रमोशन होता है तो उच्चाधिकारियों के रिश्तेदारों का होता है या मन्त्रियों के रिश्तेदारों का होता है। मंत्रियों के सालों और बहनोइयों को लेकर तो कई दफा सदन में भी चर्चा हुई है। मैं आज कह सकता हूँ कि बहुत कम मन्त्री ऐसे बचे हैं जिन्होंने कुनबा-परस्ती नहीं की हो और अपने परिवार वालों को प्रोत्साहन नहीं दिया हो। मैं उन बातों को आज यहां दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये चीजें आज राजस्थान सरकार के मन्त्रियों के लिए आम हो गई हैं। लेकिन हमें ठंडे दिमाग से इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। क्या हम आज अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस बात के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं कि वे अपने संगठन को मजबूत करें और सरकार को चुनौती दें? पुलिस के सिपाहियों को, एल० डी० सीज़० को और अन्य कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे सारे भूखे हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वे सारे अपना संगठन बनाकर इस सरकार को उलटने की कोशिश करें और सरकार को चुनौती दें कि यदि इसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ चलता रहा तो उन्हें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा? चाहे आप उन्हें बागी कहें या विद्रोही कहें, तो भी, हम लोगों को भी उनके साथ होकर उनकी आत्मा को शान्ति पहुंचाने के लिये सहयोग देना होगा। इससे पहले कि वे इस प्रकार का कदम उठावें सरकार को सचेत होना चाहिये। जितने मूक कर्मचारी हैं, जो शायद मुंह से नहीं कहते हैं उन पर यदि ज्यादती करते रहे तो ये मूक कर्मचारी ही नहीं बने रहेंगे। वे फुटबाल जैसे हो जावेंगे। उनको यदि ज्यादा दबावेंगे तो ज्यादा उछलेंगे और कम दबावेंगे तो कम उछलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो जल्दी से जल्दी जांच करे कि इन कर्मचारियों का लिविंग स्टेन्डर्ड क्या है? जितना उनका लिविंग स्टेन्डर्ड है उसके माफिक उनको तनख्वाह देते हैं या नहीं? उनके लिविंग स्टेन्डर्ड को देखते हुए अजमेर से आये हुए कर्मचारियों के बराबर यदि ज्यादा तनख्वाह भी उनको देनी पड़े तो वह भी देनी चाहिये। हालांकि यह कह सकते हैं कि ऐसा करने में फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन है और फाइनेन्सेज़ की इस समय कमी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके लिए विरोधी दल के सदस्यों को कोन्फीडेन्स मेंलव कर राय ले लें तो हम बतायेंगे कि सरकार को इसके लिए अतिरिक्त कर नहीं लगाने पड़ेंगे लेकिन कई अतिरिक्त खर्च जिनको जानबूझ कर कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए किया जाता है उनमें कटौती करनी होगी। यदि इस प्रकार का कार्य करें तो निस्संदेह हम सरकार के हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए किस प्रकार खर्चा किया जाता है, मैं नहीं चाहता कि जाते समय उन बातों का उल्लेख करूं, फिर कभी समय आयेगा तो कहूंगा। यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में पैसे की कमी है इसलिये गरीब कर्मचारियों को अधिक

७७१ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी

[श्री भैंरू सिंह]

तनख्वाह नहीं मिल सकती। जब तक कमीशन की नियुक्ति न हो जाय और वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे दे तब तक राजस्थान सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि इन अल्प वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह अजमेर वालों से किसी प्रकार कम नहीं होगी।

श्री जगतसिंह झाला—जमुआ-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि हमारे यहां राजस्थान में अल्प वेतन पाने वाले फोर्थ क्लास कर्मचारियों को अजमेर के स्तर पर लाया जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमें यह देख कर दुःख होता है कि दिखाने के लिए आवडी सेशन में समाजवादी पेटर्न ओफ सोसाइटी बनाने का प्रस्ताव पास किया जाता है और दूसरी तरफ हमारे यहां के वेतन के स्तर में इतनी असमानता है कि एक अधिकारी को तो ५,००० रु० माहवार दिया जाता है और एक अल्प वेतन पाने वाले को ४५ रु० माहवार वेतन दिया जाता है। यह है हमारे यहां के समाजवाद का ढांचा! आप समाजवाद का ढांचा लाना चाहते हैं और आर्थिक असमानता दूर हो, ऐसे लम्बे चौड़े भाषण हमारे मन्त्री दिया करते हैं। लेकिन जब राजस्थान की ओर ध्यान देते हैं तो हमें दुःख होता है कि हमारे यहां के चपरासी, छोटे कर्मचारी और मास्टरों आदि के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है? हमारे यहां के चपरासियों से चौके बरतन का काम लिया जाता है, उनसे झूठे बरतन मंजवाये जाते है, उनसे कचरा निकलवाया जाता है, कपड़े धुलवाये जाते हैं और उनके साथ जंगलियों के जैसा बर्ताव किया जाता है। सामन्तवाद के दिनों में जब इस तरह की बातें होती थीं तो लंबे चौड़े भाषण दिये जाते थे, लेकिन आज यह प्रजातंत्र का जमाना है, इसमें इस प्रकार की चीजें लाना कितना अस्वाभाविक है। मैं कहता हूं कि इतना सब कुछ होते हुए भी जैसा गौ निकासी के संबंध में प्रस्ताव आया था उसी तरह का कम से कम एक प्रस्ताव उधर की तरफ से आता कि एक समिति बनाई जाय जो इस बात की जांच करे कि कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के वेतन स्तर को ऊंचा लाने के लिये क्या उपाय किया जाय? लेकिन हमें दुःख होता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। इस प्रश्न के ऊपर भी व्हिप लागू किया है और उस पर कोई कांग्रेस वाला बोला नहीं है केवल हम ही बोल रहे है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आम चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव के अवसर पर इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसे देख कर हम सबको दुःख होता है कि जो चुनाव आ रहे हैं वे चुनाव कहीं न हो सकें और उन लोगों में किसी प्रकार की बगावत पैदा न हो जाय, वे लोग कोई बगावत न कर बैठें? आखिर जो आदमी भूखा है वह भूखा कब तक रह सकता है? भूखा आदमी आज नहीं तो कल यह जरूर कहेगा कि हमारे साथ में जो असमानता बरती जा रही है, उसे हम कहां तक बरदास्त कर सकते हैं? इसलिये मैं इस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि अजमेर के पे स्केल के माफिक राजस्थान के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिये कोई न कोई कानून बनाना चाहिये और घोषणा करनी चाहिये कि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें।

श्री मथुरादास माथुर—सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर सदन में उस ओर (विरोधी पक्ष) बैठने वाले कुछ साथियों ने अपने विचार रखे। मुझे इस बात को देख कर बहुत खुशी है कि आखिर उस तरफ बैठने वाले साथियों की बोल चाल में और भावों में कुछ परिवर्तन हुआ है। आज गरीबों के नाम पर दुहाई दी जाती और इस सदन में उस ओर बैठने वाले साथियों ने जो प्रस्ताव के बारे में अपनी राय दी है, उसको सुनते सुनते जो इधर बैठने वाले जो साथी हैं, वे काफी थक चुके हैं और इधर बैठने वाले साथियों में एक दो को छोड़ कर जो कि जनसंघ की सीट से आने वाले साथी हैं, उनके अलावा और किसी में उत्साह नहीं है और इस प्रस्ताव महत्व नहीं समझते। वे इसलिये नहीं समझते कि जिस प्रकार की भाषा में यह प्रस्ताव रखा जा रहा है, जिस प्रकार की जबान में यह प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसके साथ ही इस प्रस्ताव को रखने वाले प्रस्तावक महोदय की तस्वीकर उनके दिमाग में आती है। जिस जोश के साथ उन्होंने इस पर एक घन्टे तक भाषण दिया है, मैं समझता हूं, यह प्रस्ताव, चेअरमेन महोदय, आज इस जोश के साथ एक घंटे तक दलीलों को देकर क्यों रखा जा रहा है, इसका इरादा क्या है ? जो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोले, वे और प्रस्तावक महोदय बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार थे। वे अपने छोटे छोटे नौकरों के साथ में कैसे व्यवहार रखते थे ? क्या इस सदन में बैठने वाले सदस्यों से उनका व्यवहार छुपा हुआ है ? आज वे कहते हैं कि चपरासी उनके बच्चों को साईकल पर बैठा कर स्कूल ले जाते हैं, उनको सब्जी लाने को कहा जाता है। जरा वे याद करें कि फोर्थ क्लास नौकरों से ही नहीं बल्कि उनकी औरतों से घट्टियां पिसवाई जाती थीं, क्या वे वह वक्त भूल गये हैं ? वे आज इस समाजवाद के ढांचे की दुहाई देकर किसको अपील करना चाहते हैं ? आज वे समाजवादी नारे लगा कर और व्यक्तिगत नाम लेकर जो बुराई करते हैं और सदन की परम्परा को एक ओर रख कर, इस सदन का नाजायज फायदा उठा कर जो बातें यहां कहते हैं, उन्हें सुनकर हमें दुःख होता है। आपकी हमदर्दी क्लास फोर्थ के साथ में है, मैं कहता हूं कि उनके प्रति हमदर्दी किसकी नहीं है ? हरिजनों को जो कम तनख्वाह मिलती है, उनके साथ में जो आपकी हमदर्दी है वह किसकी नहीं है ? हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस बात पर गौर किया जाय। पर जिस तरह से भाषण किये जाते हैं, उन भाषणों से क्लास फोर्थ में कोई असर पैदा नहीं होने वाला है क्योंकि वे जानते हैं कि वे बातें जिस जबान में कही जाती हैं असल में वे विचार प्रस्तावक महोदय के दिल में नहीं हैं। जिस भावना से वे बातें कही जाती हैं, जिस दिमाग से वे बातें कहीं जाती हैं, वैसा उनके पास हृदय नहीं है, जो कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव पैदा कर सके। माननीय चेअरमेन, वह भावना इस ओर बैठने वालों की है। इस प्रस्ताव में अजमेर के मुकाबले पर राजस्थान के पे स्केल लाने की बात कही गई है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की पे स्केल अजमेर वालों से अच्छी है। उनको डिअरनेस अलाउन्स और हाउस रेंट भारत सरकार के रूल्स के अनुसार दिया जाता था, पर वह उनकी आमदनी में से नहीं दिया जाता था। वे इस सदन में कोई भाषण दे रहे हैं, कोई दलीलें दे रहे हैं, वे यह न समझ लें कि चौपड़ पर, या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर भाषण कर रहे हैं या किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। उनकी भी कुछ जवाबदारी है, जनता ने उनको भेजा है, वे विरोधी पक्ष में बैठे हैं तब भी उनकी कुछ जवाबदारी है। अगर उनकी राय जवाबदारी की होती है तो वह

[श्री मथुरादास माथुर]

वजन पैदा करेगी। लेकिन इस इलेक्शन के समय में, इलेक्शन की फिजा में ऐसी बात रख कर कहते हैं, तो वे अपने भाषणों को रख कर यह देखने की कोशिश करेंगे कि वह कोई असर नहीं करेगा।

अजमेर के जो पे स्केल्स थे उनका वहां की आमदनी और खर्चे से कोई सम्बन्ध नहीं था। अजमेर की जो रियासत थी, उसकी क्या आमदनी थी, वे अपनी आमदनी से वह खर्च नहीं करते थे, उनकी आमदनी से अधिक उनका खर्चा था। जो ज्यादा खर्चा होता था वह भारत सरकार के खजाने से मिल जाता था। राजस्थान उस स्थिति में नहीं है। राजस्थान भले ही 'बी' स्टेट रहा हो, पर जो राजस्थान की आमदनी है, उसी में खर्चा करना पड़ता है। हो सकता है कि हमारा बजट डेफीसिट हो और वह दो साल फिर ऐसा ही चले, पर जरा गौर कीजिए कि आज जो विरोधी पक्ष में हैं, वे कभी नरेश थे, जो २५, २६ नरेश अलग अलग थे वह, अपने यहां के मास्टरों को, क्लर्कों, कमिश्नरों व अन्य नौकरों को क्या तनख्वाह देते थे ? आज भी जो जागीर के मुलाजिम आये हैं, उनको किसी को ६ रुपये, किसी को ७ रुपये, किसी को ११ रुपये आप लोगों ने तनख्वाह के दिये हैं और आज तक दे रहे हैं। आज कहा जाता है कि कमेटी अपोइन्ट कीजिये उन लोगों को ज्यादा तनख्वाह दी जाय। गरीब लोगों को, नौकरों को ज्यादा तनख्वाह मिले, सब इसके पक्ष में हैं लेकिन ख्वामख्वाह किसी भावना को भड़काना और यह कहना है कि राजनैतिक शोषण हो रहा है और यह कह कर यदि आप वोट देने के लिए कहते हैं, तो मुझे दुःख है कि इसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं। जो दो सौ ढ़ाई सौ आदमी अजमेर से आये हैं, उनकी पे स्केल से आप राजस्थान की पे स्केल्स का मुकाबला कर लीजिए। हमारे यहां एल० डी० सी० की ६० रुपये से तनख्वाह शुरू होती है और १३० तक जाती है जब कि अजमेर के एल० डी० सी० की तनख्वाह ४५ रु० से शुरू होती है और १३० पर रुक जाती है और नान मेट्रिक एल०डी० सी० की पे स्केल ४५ रुपये से शुरू होती है और १०५ रुपये पर रुक जाती है। उन्हीं एल० डी० सी० का नाम लेकर यहां सदन में प्रस्तावक महोदय ने गला फाड़ कर घन्टे भर तक वाद-विवाद किया। मुझे महसूस हो रहा है कि जिस राजनैतिक भावना से उन्होंने भाषण दिये वह बेकार रहे हैं, जिस जोश और उत्साह के साथ उन्होंने यह भावना पैदा करनी चाही, वह न हो सकी क्योंकि उनकी भावना दूसरी थी। वे यू० डी० सी० की बात कहते हैं। यू० डी० सी० की ग्रेड हमारे यहां ८० से शुरू होती है और २०० तक जाती है अजमेर में भी यू० डी० सी० की ग्रेड ऐसी थी। इसी प्रकार जमादारों, अहलकारों और क्लास फोर्थ में है। जमादार को हमारे यहां ३०), ३१) रु० से शुरू करते हैं और उनकी पे ५० रु० पर रखी जाती है, इसी प्रकार चपरासी की ग्रेड है। वहां पर सालाना तरक्की आठ आना थी और हमारे यहां एक रुपया सालाना तरक्की है। इस प्रकार अजमेर से कम हमारे पे स्केल्स नहीं हैं। डिअरनेस अलाउन्स हमारे यहां कम है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। चीफ मिनिस्टर के साथ जो काम करते हैं, उनको ज्यादा मिल सकता है। डिअरनेस के अलावा हमारी पे स्केल अजमेर से अच्छी हैं। मैं, चेअरमैन महोदय, इसलिए

[श्री मथुरादास माथुर]

अर्ज कर रहा था कि इस तरह की बातें करके जो उनको भड़का कर भिड़ाया जाता है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजनीति में काम करने वाले, आने वाले चुनाव में इतना संघर्ष देखते हैं और इतने घबरा गये और जनता का शोषण करके आज इस प्रकार की गलत बात रखते हैं इसका मुझे दुःख है। जब यह प्रस्ताव आया तो मेरा भी इरादा था कि मैं भी दो बात करूं और सरकार के ऊपर कुछ असर पड़े कि हमारे स्टाफ की कुछ तनख्वाह बढ़ाई जाय। इसमें कोई दो मत नहीं हैं, और मैं इस पक्ष का हूं। मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं सरकारी पक्ष का हूं या इसलिए नहीं बोल रहा हूं जैसे कि विरोधी पक्ष वाले विरोध के लिए विरोध करते हैं। यह सही बात है और इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। जो बड़ी सर्विसों की बात की गई, वह हमारे हाथ की बात नहीं है, वह भारत सरकार के हाथ की बात है, मैं खुद भी नहीं चाहता कि इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो हैं उनको ८०० से लेकर १२०० की तनख्वाह मिले, मैं आपको बताऊं कि मैं भी इसका विरोधी हूं, (हिअर, हिअर) यह मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इनका प्रश्न इन्डिया गवर्नमेंट से तय होता है, सब सर्विसेज का इन्टीग्रेशन हो चुका है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके से चलाना पड़ता है और उनमें भावना का प्रश्न पैदा नहीं होता, यहां पर सोश्यल पेटर्न ऑफ सोसाइटी के बारे का मखौल उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, वे सामन्तवादी चौगा पहिन कर समाजवाद की बात कहते हैं और उसकी मखौल उडाते हैं, वे समाजवादी व्यवस्था की निन्दा करते हैं, उससे मुझे बड़ा अफसोस होता है, जो प्रस्तावक महोदय हैं, उन्होंने जब कम्पेन्सेशन के बारे में बहस चल रही थी, चेअरमेन महोदय, उस चीज को मन्जूर नहीं किया कि जो मुआवजा दिया जाय उसमें से कुछ कम कर दिया जाय और गरीबों में उसका वितरण किया जाय। जब वह प्रश्न सदन के सामने था उस समय वे कहां चले गये थे? उस वक्त इनके इरादे कहां चले गये थे? आज मिनिस्टरों की १००० रुपया तनख्वाह पर उनको एतराज है तो उनको एतराज होना चाहिये था उस समय जिस समय वे दस-दस गुना, पन्द्रह-पन्द्रह गुना मुआवजा लेने के लिये चिल्ला रहे थे, उस समय अगर बोलते तो हम भी समझते कि इनके दिल में गरीबों के लिये दर्द है। लेकिन नहीं, उस समय तो दस-दस गुना, पन्द्रह-पन्द्रह गुना मुआवजा लेने के लिये आवाजें उठाई गई, हाईकोर्ट में रिटें पेश की गई और इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय खास तौर से उनमें शामिल थे कि जागीरदारों को मुआवजा मिले, जागीरदारों को दस-दस गुना, पन्द्रह-पन्द्रह गुना मुआवजा दिया जाय और वे बातें वे सदन में रखते थे, जो आज भी रेकार्ड में मौजूद हैं। तो आज जो गरीबों की तनख्वाह के लिये आवाज उठाते हैं तो उनकी इस आवाज का असर आज इस सदन में नहीं हो सकता, उनकी इस आवाज का असर बाहर भी नहीं हो सकता, शेर की खाल पहिन कर जो आवाजें दी जाती हैं उनका असर नहीं हो सकता, क्योंकि इस सदन में और इस सदन के बाहर भी सब जानते हैं और इन पांच वर्षों में इस सदन ने जो किया है वह सब जनता जानती है।

मिनिस्टरों की १००० रुपया तनख्वाह का सवाल उठा कर समाजवादी व्यवस्था की बातें की जाती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी मुल्कों की व्यवस्था किस सिद्धान्त पर खड़ी है।

७७५ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी

[श्री मथुरादास माथुर]

रूस की तरफ देख लीजिये। रूस के साथी हमारे यहां सदन में आज नहीं हैं, वे यहां होते तो उनके बारे में बताते कि समाजवादी व्यवस्था वाले मुल्क रूस में उनके टेक्निशियन्स को, बड़े बड़े इंजीनियर्स को क्या तनख्वाह देते हैं ? मैं इस चीज को मानता हूं और चाहता भी हूं कि बीच की यह जो आर्थिक खाई है वह मिटनी चाहिये, पर वह आपकी आवाज से नहीं मिटेगी, चपरासियों को भड़काने से नहीं मिटेगी, उन लोगों को स्ट्राइक के लिये इन्डायरेक्टली भड़का रहे हैं उससे नहीं मिटेगी, पर यह आर्थिक खाई तब मिटेगी जब कि राष्ट्र का धन बढ़ेगा, जब कि राष्ट्र का धन ज्यादा बढ़ाया जायगा, तब मिटेगी जब आप उन किसानों को जो खेतों पर अधिक अन्न उपजाते हैं उनको बेदखल करना बन्द कर देंगे, जब कि देश का धन बढ़ेगा, देश की उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। जो समाजवादी व्यवस्था का नारा लगा है वह हमारी पार्लियामेंट ने डेढ़ साल से यह नारा दिया है और केवल डेढ़ साल के अर्से में यह ढांचा एक दम परिवर्तित होकर बदल जाय, यह आशा करना कुछ अधिक होगा।

आज हम राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से विचार करें, गौर करें तो हमें सामन्तशाही के नजारे दिखाई देते हैं। हमारे यहां उद्योग धंधे नहीं फैल पाये हैं। जो ५०० साल पहले तस्वीर थी वह ५ साल में एक दम बदली नहीं जा सकती, वह धीरे धीरे बदली जा रही है और धीरे धीरे इस प्रगति की ओर बढ़ते बढ़ते हमारे यहां इतना धन पैदा हो जायगा, कि हम हमारे चपरासियों को और दूसरे जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनको पूरी तनख्वाह दे सकेंगे। तनख्वाह तब बढ़ेगी जब टैक्स बढ़ेंगे, पर जब टैक्स बढ़ाने के लिये कहते हैं तो रामगढ़ से आये हुए सदस्य जो हैं वे हड़ताल कराने में आगे चलते हैं कि टैक्स मत दो और फिर यहां आकर कहते हैं कि गरीबों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। पर अगर ऑक्ट्राय ड्यूटी नहीं बढ़ेगी तो झाड़ू वालों की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। तो एक तरफ तो ऑक्ट्राय या म्युनिसिपल टैक्सेज़ का विरोध करते हैं, सदन में रेकार्ड मौजूद है, एक ओर हरिजनों का विरोध कर रहे हैं दूसरी ओर उनकी तनख्वाह बढ़ाने का कहते हैं। बस आपके पास तो नारा देने को कोई चीज होनी चाहिये जिससे सदन के अन्दर इस तरह की फिजां पैदा हो और जब कि यह इस सदन का आखिरी दिन है उस दिन आप इस तरह की फिजां पैदा करके जाना चाहते हैं और दुनिया को आप इससे यह बताना चाहते हैं कि आपने यहां गरीबों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। पर माननीय चेयरमेन, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनके कारनामों से केवल यह सदन ही नहीं उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लोग भी अच्छी तरह से परिचित हैं। मिनिस्टरों को भला-बुरा कह कर मजाक उड़ाई जाती है और हर एक मिनिस्टर को बुरा-भला कहते हैं पर वे अपने सीने पर हाथ रख कर देखें कि वे खुद क्या हैं ? मैं नहीं चाहता था कि इस आखिरी समय में इस तरह की फिजां पैदा करूं, अच्छी फिजां पैदा करें पर खैर, विरोधी दल का काम है कि वे सुझाव दें, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि इस तरह से बुरा-भला कहें। अजमेर की तरह तनख्वाहें करने के लिए कहा जा रहा है। मैं कहता हूं यहां अजमेर की ही तरह तनख्वाहें मिलती हैं और ज्यादा जो मिलता है वह मंहगाई का भत्ता है, उस मंहगाई का क्या आज ज्यादा है, कल कम हो सकती है। अजमेर को रुपया भारत सरकार के खजाने से मिलता था,

[श्री मथुरादास माथुर]

वहां टेक्सेशन और रेवेन्यू की इन्कम मिला कर जो कम होता, जो डेफिसिट होता वह भारत सरकार से मिल जाता था ....

श्री मानसिंह महार—एम० एल० एज़० का अलाउन्स क्यों बढ़ा दिया ?

श्री मथुरादास माथुर—अजमेर में ५ रुपया डेली अलाउन्स और ५ रुपया कन्वेयेन्स अलाउन्स मिलता था, ये दोनों मिला कर १० रुपये रोज मिलते थे, जबकि हमारे यहां इस सदन के सदस्य को साढ़े बारह रुपये रोज मिलते हैं। क्या फर्क पड़ा ? केवल ढाई रुपये का फर्क पड़ा। अजमेर से आयें तो ढाई रुपया बस किराया ही लग जाता है। वहां के सदस्य को २०० मिलते थे यहां २५० मिलते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं।

आप जो बातें रखते हैं वह फेक्ट्स पर नहीं रखते अधिकतर मनगढंत रखते हैं इसलिए आपको अन्दाज़ नहीं लगता, अजमेर में १० रुपया डेली मिलता था, हमारे यहां १२॥ मिलते हैं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—वहां के छोटे कर्मचारियों को ६०) रुपया तनख्वाह मिलती है और हमारे यहां ३० रु० तनख्वाह मिलती है, इसके लिए जो मैंने कहा उसके बारे में आप फरमा दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर—आपकी स्पीच सुनने की मैंने बहुत कोशिश की थी पर मैं सुन नहीं पाया। जो मुखिया हैं, आपकी तरफ से बोलने वाले थे उनकी बातों का ही जवाब दे रहा हूं। मैं उन मुखिया जी से अर्ज करना चाहूंगा चेअरमेन महोदय, कि उन्होंने आज भी क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स का मुखियापन किया है। जयपुर में मुखिया लोग बहुत होते हैं, कोई काम मिला कि मुखिया बन जाते हैं। मुझे तो खुशी है कि किसी ने कहा कि आज तो मानसिंह जी महार इस प्रस्ताव के बारे में बहुत जोरों से बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हमारे यहां कहावत है, हालांकि उसे कहना ठीक नहीं है, वह यह है कि छोटा बच्चा अपनी अम्मा को बाई कहता था, वह बाई कहते कहते बाई कहना तो भूल गया और रांड कह दिया। तो उन्होंने गाली भी दी तो गरीब के नाम पर दी, नहीं तो वे तो इस बात में माहिर हैं कि हमको गाली हर तरह से दे सकते हैं।

न मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने खड़ा हुआ हूं और न इसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं पर जो उन्होंने सदन में फिजां पैदा कर दी है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आने के बाद उन्होंने इस राष्ट्र की सम्पत्ति, राजस्थान की रेवेन्यु में से कितना बड़ा हिस्सा बड़े बड़े जागीरदारों को मिल जाय इसका प्रतिनिधित्व किया है और एक तरफ तो जागीरदारों के प्रतिनिधि बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हारी खुदकाश्त जमीन रखने के लिये तुम्हारा प्रतिनिधित्व किया है, मैंने तुम्हारे मुआवजे के लिए १० गुना, १५ गुना कम्पेन्सेशन के लिये

[श्री मथुरादास माथुर]

तुम्हारा प्रतिनिधित्व किया है और उधर चपरासियों को कह देते हैं कि मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ। पर वास्तव में वे अपने खुद के भी प्रतिनिधि हैं कि नहीं, यह सोचने की बात है। डियरनेस एलाउन्स एम० एल० एज़० का देख लिया और सर्विस क्लास का भी आपने देख लिया। मैं यह कहूँगा कि प्रस्तावक महोदय ने पे स्केल का जिक्र किया है क्योंकि डियरनेस एलाउन्स सबस्टेन्सिव सेलेरी नहीं है। मुमकिन है, कल डियरनेस एलाउन्स जो सरकार दे रही है, मंहगाई कम हो जाए तो उसको बन्द कर दे और अगर ज्यादा मंहगाई हो तो इसको ज्यादा बढ़ा दे। यह तो मंहगाई की बात है। मंहगाई ज्यादा हो तो यह अलाउन्स बढ़ भी सकता है और सस्तीबाड़ा हो तो बन्द भी हो सकता है। मगर जहां तक असली तनख्वाह का सम्बन्ध है मैं यह कहूँगा कि राजस्थान की तनख्वाहें अजमेर से बेटर हैं।

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि मास्टरों के नाम पर बहुत कुछ कहा गया है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रस्तावक महोदय किसी प्राइवेट स्कूल में मास्टरी कर चुके हैं। मेरा तो काम पड़ा नहीं। कहा जाता है कि इन लोगों को तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिये, क्योंकि ये लोग राष्ट्र के निर्माण में बहुत जिम्मेदार हैं। मैं भी यह चाहता हू' कि इनको बहुत तनख्वाह मिले। मास्टरों को तनख्वाह ज्यादा मिलनी चाहिये, इसमें दो रायें नहीं होतीं। मगर जिस जुबान से वे यह कह रहे हैं कि मास्टरों का वेतन बढ़ाया जावे उसी जुबान से खड़े होकर यह कहते हैं कि जागीरदारों के कम्पेन्सेशन १० गुने या १५ गुने नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह—हमने कहा कि जागीरदारों को कतई कम्पेन्सेशन नहीं होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर—मैंने आपके लिए इसलिए नहीं कहा कि आप यहां मौजूद नहीं थे। अब आपके लिए भी कहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—आपकी तस्वीर भी रखिये।

श्री सभापति—Nothing personal.

श्री मथुरादास माथुर—मैं कम से कम सदन की उन उच्च परम्पराओं को, जो आज तोड़ी गई हैं, तोड़ना नहीं चाहता।

मैं जो जो साथी इस प्रस्ताव के समर्थन में बोले हैं उन सब के बारे में नहीं कहता और न मैं इसके समर्थन और विरोध में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो जो अड़चन पैदा हुई है उसके बारे में कहना चाहता हू'। तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिये, अगर जरूरत होगी तो बढ़ेगी, वक्त पर बढ़ेगी। पहले बढ़ाई गई थी। आपने जागीरदारों के समय में, जो जो नौकर थे और जिनको १२) रु० महावार तनख्वाह दी जाती थी उनको हमारे हिस्से में दिया है, उनको हम २५) रु० या जो

[श्री मथुरादास माथुर]

कुछ भी मुनासिब होगा देंगे। आपने जागीर के समय में उनसे बेगारें ली थीं और दूसरे काम कराये थे वे हम नहीं करावेंगे। यदि कोई हमारे बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाता है तो वह व्यक्ति हमारे घर रोटी खा लेता है। यह बात आपको मालूम नहीं है। आपका कुछ ऐसे मिनिस्टरों से पाला पड़ा होगा जो सामन्तशाही जमाने के थे। डेमोक्रेसी में किसी मिनिस्टर की बात का पता नहीं है। जो चपरासी मिनिस्टरों के घर पर काम करते हैं और लेट हो जाते हैं वे लोग वहां पर खाना खा लेते हैं। क्योंकि आखिर मिनिस्टर भी तो इन्सान हैं। उनकी इन्सानियत नहीं गई है, मैं समझता हूं कि इधर बैठने वालों की इन्सानियत तो अभी नहीं गई है, उधर बैठनेवलों की मैं कह नहीं सकता।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि. जब कभी किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है तो आप लोग ही सबसे पहले प्रस्तावक महोदय और उनके पास में बैठने वाले साथी ही आगे आते हैं और झण्डा लेकर खड़े हो जाते हैं और जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं ओक्ट्रोय के बारे में या किसी दूसरे टैक्स के बारे में आपका उससे कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी झंडा लेकर आगे खड़े पाये गये हैं और वह सिर्फ वोट लेने के लिये। जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के लिये आपने स्पीच दीं। अब मजदूर और क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स के लिये, उनके लिए भी सदन में आपने भाषण मार दिया। यह तो यही बात हुई जैसी कही जाती है कि महफिल में जैसी आवाज आई उसके अनुसार गाना गा दिया। मैं यह नहीं चाहता कि सदन को महफिल बनाया जावे। अगर इनकी सच्ची भावना है तो मैं कहा करता हूं कि अन्त में जाकर इन्होंने तोबा तो की इस बात की कि गरीबों की तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिये, मुझे इस बात की खुशी है। शुरू में वे उधर से इधर आये उससे इनमें यह तब्दीली होने लगी और उसी का असर हमें नजर आ रहा है।

(हंसी)

मगर मुझे हैरानी इस बात की है कि जिस जगह बैठे वहां पर इनके अपने निराले ढंग हैं। इसलिये मैं इसके बारे में ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि माननीय प्रस्तावक महोदय इसको वापिस ले लेंगे क्योंकि उनका काम तो हो गया। उन्होंने सदन में भाषण तो दे दिया, उसका रेकॉर्ड हो गया और बाहर लोग यह कहेंगे कि आपने गरीबों की हमदर्दी की है। मगर गरीबों की सच्ची हमदर्दी करने के लिये अगर आप ५० भाषण और देंगे तब समझेंगे कि वास्तव में आपकी उन लोगों के प्रति हमदर्दी है। इधर सरकार की तरफ से सरकारी मिनिस्टर जवाब देंगे मगर जो कुछ मैं समझ पाया हूं वह यह है कि हम सब लोग इस बात की कोशिश में रहते हैं कि वेतन बढ़ाये जावें और हल्के हल्के वेतन बढ़ाये जा रहे हैं। आपने आज चपरासियों के लिये कहा और मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये कुछ भी नहीं कहा। मैं यह कहूंगा कि आज इकोनोमिक कन्डीशन मिड़िल क्लास की बहुत खराब है। छोटे लोग तो फिर भी मजदूरी कर लेते हैं और उनकी औरतें भी मजदूरी कर लेती हैं मगर मिडिल क्लास के लोगों की हालत आज बहुत खराब है, उनके साथ हमको पूरी हमदर्दी होनी

[श्री मथुरादास माथुर]

चाहिये। मैं अपनी बातों को दोहराना नहीं चाहता, मगर मैं यह अपील करूंगा कि इस प्रस्ताव पर सरकार का स्टेटमेंट होगा और उसको सुनने के बाद प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री शंभुसिंह—माननीय सभापति, जो प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैंरूंसिंह—माननीय सभापति, आपको तो कई बार सुना है। अच्छा हो की माननीय मंत्री इस पर कुछ कहें और उनको भी हम सुन लें।

श्री सभापति—Be brief.

श्री शंभुसिंह—मैं थोड़े में ही अर्ज करूंगा। सभापति महोदय, यह कोई नया रिजोल्यूशन नहीं है। सर्विसेज़ के बारे में हमारे सामने प्रश्न बार बार आता रहा है और मैंने भी इस प्रकार का रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। मगर पिछली बार वह समय नहीं मिलने से नहीं आ सका और उस पर डिस्कशन नहीं हो सका। सर्विसेज लो पेड हैं और उनकी तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं समझता हूं कि मंत्रीजी का यह तकाजा हो सकता है कि सरकार इसमें सहमत होगी मगर आर्थिक समस्या का प्रश्न आ सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पोजिटिव साइड पर आप यदि विचार करें तो आपको मालूम होगा कि जितना रुपया लो पेड सर्विसेज़ की तनख्वाह बढ़ाने में आप खर्च करेंगे वह आपका रुपया इन्वेस्टमेंट होगा और एसेट्स होगा, क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह काफी नहीं होने की वजह से उनके द्वारा कार्य जो होते हैं वे ठीक तरह से नहीं भुगताये जाते हैं। और कई तरह की काम में खामियें रहती हैं और हो सकता है कि सरकार की आमदनी में भी कमी हो सकती है। अगर सरकार इस पोजिटिव साइड की तरफ देखे और ध्यान दे तो वास्तव में सरकार इन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में जो खर्च करेगी वह उसके लिये इनवेस्टमेंट होगा, और मैं समझता हूं कि सरकार उनका वेतन बढ़एगी। अगर उनके वेतन वृद्धिमें सरकार को १० लाख रुपया व्यय करना पड़े तो वे लोग अपना काम अच्छी तरह से और दिलोजान से करने लगेंगे। तो इनके इस काम के द्वारा होने वाला लाभ सरकार को २० लाख से ज्यादा होगा। समय का भी तकाजा है और आप वैसे ही सोशलिस्टिक पेटर्न की दुहाई देते हैं। लिविंग वेजेज़ से कम तनख्वाह है इसलिये उनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिये और जिस प्रकार से फेक्ट्रीज़ में मिनिमम वेजेज़ हैं उसी तरह से इन लोगों के लिये भी मिनिमम वेजेज़ बढ़ाई जाकर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री जयसिंह राणावत—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बोलने की स्थिति में नहीं था और मैं इस पर बोलना भी नहीं चाहता था। मगर मैंने अपने विचार इस पर व्यक्त नहीं किये तो आज इस संबन्ध की कार्यवाही अधूरी रह जावेगी। जिस सेक्टर से माननीय प्रस्तावक महोदय आये हैं मैं भी उसी सेक्सन का व्यक्ति हूं। मुझे बड़ा खेद है कि आज वर्षों के बाद पहली बार आपने कहा कि छातियें भर गई, जिन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, जो पहले लोगों चुटीये भरते थे वो आज क्लास थर्ड और फोर्थ के लोगों की बातें यहां पर करते हैं। एक समय था जब उनकी गिरी हुई हालत को देखते हुए किसी कवि ने उनको कहा था और चेतावनी दी थी कि इस धरती के जाते हुए देर नहीं लगेगी, आप सावधान रहिये। उसने कहा कि—

रही घणा दिन राज रे, बिन इज्जत बरतीह।
धणिया सूं धरतीह, जाती करे जुहारड़ा॥

मैं समझता हूं कि यह बात कांग्रेस के जन्म आस पास की बात होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज अपने सिर पर को या दूसरे के सिर पर की बात करते हैं तो जिस रोज यह आग उनके पास जल रही थी अगर उनको यह बोध हो जाता तो वह आग बुझाने की कोशिश करते और यह शिक्षा देने का अवसर नहीं आता और फिर पब्लिक की कई बातों में रोड़े नहीं अटकाते और इनके कारनामें आज संसार के सामने किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब दीये में जोत टिमटिमा रही थी उसकी बाती का तेल बीतने जा रहा था उस वक्त उनको चेतना चाहिए था और अगर यह उस वक्त ही चेतते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन उस वक्त तो यह चेते नहीं और न चेते सो न चेते और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति का नारा लगने के बाद भी यह स्थिति रही कि इन सब जन आन्दोलनों में अपने छुटभइयों का साथ लेने की कोशिश की और फिर उनका भी उन्होंने भरण-पोषण नहीं किया और आज वह मारे मारे फिर रहे हैं। मैं आज एक औषधालय में दवा लेने गया था, तो जब मैं वहां दवा ले रहा था तो मुझे वहां पता लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर राजपूतों की इतनी भयावह दशा हुई है कि उनका जीवन अत्यन्त ही कष्टमय हो गया है। तो अब भी. ...

श्री जगतसिंह—श्रीमान, यह क्या जागीर पर भाषण हो रहा है?

श्री मथुरादास माथुर—इनको बोलने दीजिए।

श्री जयसिंह राणावत—तो अब भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई और आज इन क्लास फोर्थ सर्वेंट्स और टीचर्स आदि की बात करना बड़े अचम्भे की बात है। पहले इन लोगों का ख्याल इनको कभी नहीं आता था और अब जब कि चुनाव हमारे नजदीक आ रहे हैं तो इनको इनका खयाल आता है, बड़े अचम्भे की बात है। यह तो वही बात हुई कि नौ सौ चूहे खाकर बिलाई चली हज को। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूं और वैसे फिर यह प्रस्ताव तो

[श्री जयसिंह राणावत]

अच्छा है। इस प्रस्ताव के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। यह तो निश्चित है और फिर यह एक सिद्धान्त भी है कि जब कभी कोई पेड़ लगाता है तो उस पेड़ में से फल उसी वक्त नहीं मिल जाते। उनकी बहुत सेवा की जाती है तो बेहतर तो यह होगा कि उसका तहेदिल से समर्थन करें। मेरा यही नम्र निवेदन है।

श्री दिलीपसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, आज जो प्रस्ताव श्री मानसिंह जी महार द्वारा पेश किया गया है हमें तो इसको देखकर एक प्रकार से अचम्भा सा हुआ है। जो लोग हमेशा शासन करते रहे हैं, गरीबों को दबाते रहे है और उनकी हमेशा यह नीति रही है कि गरीबों को कुचला जाय, आज वह भी इस तरह की बात करने लगे और गरीबों का ख्याल करने लगे तो इसमें असलियत क्या है, यह हम जान सकते हैं। यह तो इसी तरह की बात हैं कि जिस तरह हाथी के दांत खाने के और और दिखाने के और, और असलियत यह है कि यह जो प्रजातन्त्र है इसने इन लोगों को और ऐसे लोगों को भी मजबूर कर दिया है कि वे इस तरह की बातें करें, क्योंकि एक किसान और गरीब की झोपड़ी तक इन बातों के लिये एक राजा को भी और एक बड़े से बड़े आदमी, जो इस तरह खड़े होने वाले हैं, असेम्बली में चुनकर आना चाहते हैं, उनको उनके यहां जाना पड़ता है और इसलिए वह इस तरह की बातें इन लोगों के बारे में करें जो कि इन बातों में कभी विश्वास नहीं करते थे और जो किसी गरीब की बात सुनना नहीं चाहते थे और न कभी सुनते थे, वे भी आज इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दरअसल उनकी यह बात दिखावटी है क्योंकि अगर ये बातें दिखावटी न हों तो जिस तरह इससे पहले मेरे जोधपुर से आने वाले लायक दोस्त ने बताया कि जब भी कोई एक आमदनी के बढ़ाने की बात होती है, स्टेट रेवेन्यु को किस तरह से बढ़ाया जाय, कोई टेक्स लगाया जाय या कोई ऐसा साधन अख्तियार किया जाय तो उनका तो वे विरोध करते हैं और जब इस तरह की कोई बात आती है तो उसमें उन लोगों की अहसानमन्दी हासिल करने के लिए एक नारा बुलन्द करते हैं तो दरअसल वह नारों से काम चलने वाला नहीं है। आज की जनता काफी जागृत हालत में है और उन पर इन नारों का असर पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक इस बात को जानती है कि कौन दिखावटी बातें करता है और कौन सही काम करता है। पब्लिक का सच्चा काम करने वाला कौन आदमी है, इन सब बातों को पब्लिक खूब अच्छी तरह से जानती है। तो अब इन बातों से पब्लिक या क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स जो हैं वह गुमराह होने वाले नहीं हैं। राजस्थान बनने से पहले राजस्थान की जो मुख्तलिफ रियासतें थीं इनमें तनख्वाहें करीब अलग २ थीं और इन रियासतों का इन्टीग्रेशन करने के बाद इनको एक स्तर पर लाया गया है और इनको एक स्तर पर लाने के साथ २ अभी रीसेन्टली टीचर्स, एल०डी०सीज० और यू०डी०सीज० की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और साथ ही साथ जहां २ हमारे फाइनेन्सियल रिसोर्सेज़ इजाजत देते हैं वहां इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने का काम किया जाता है, क्योंकि आज का जो स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है वह पहले पांच वर्ष के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग से काफी ऊंचा है और उसमें काफी अन्तर हुआ है और इस पंच वर्षिय योजना में देश की जो दौलत है वह बढ़ी है। देश एक तरक्की के रास्ते पर है, तो मैं

[श्री दिलीपसिंह]

यह समझता हूं कि अगर हम सही तरीके से उस काम को करेंगे जो कि हमारे मन में है, जो मन में है उसे सही तरीके से हम बाहर रखें और सिर्फ दिखावटी बातें न करें तो यह सारा काम हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है।

श्री बलवीरसिंह—अभी जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह किस भावना से रखा गया है ? मुझे यह महसूस होने लगा कि श्री महार साहब ने इसको रखा है या फिर कहीं से भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़कर आगया है और वह कहीं दूसरे तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रस्ताव को शायद रखा रहा है, सो यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती। क्लास फोर, टीचर्स, एल० डी० सीज० और यू० डी० सीज० की बात का जहां तक सम्बन्ध है तो इनको अगर असलियत में सामने रखें और इनका सामना करें तो इसका हम स्वागत करते, लेकिन वह तो यही करने वाले हैं जैसे बिल्ली चूहे तो खा लिया करती थी लेकिन बूढ़ी होने पर उसको कुछ हाथ न लगा तो उसने कहा कि मैं तो हज करके आगई और अब किसी भी चूहे को न खाऊंगी और फिर भी उसका दाव पड़ते ही वह चूहों को खा जाती थी, तो मुझे तो शायद यही तरीका इनके इस प्रस्ताव में नजर आ रहा था। तो इस प्रस्ताव में सच्चाई हो, यह मुझे थोडा कम जंचता है। आज हमारी सरकार की जिस तरह की आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से वह जितना क्लास फोर, टीचर्स और एल० डी० सीज० या और दूसरे जो कर्मचारी हैं दे सकती है, देने का प्रयत्न कर रही है और आगे भी वह प्रयत्न करेगी और सरकार ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेगी। लेकिन जहां तक इन लोगों का सवाल है जो कि प्रस्तावक हैं, इस प्रस्ताव के मूवर हैं अगर इन लोगों की कम से कम पिछले कुछ दिनों की स्पीचेज़ देखी जायें जो कि इन्होंने कई मौकों पर दीं, जिस समय जागीरदारी मामलों में मुआवजा आदि देने का सवाल आया तो उन्होंने भरसक इस बात का प्रयत्न किया कि इनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले और राजस्थान का एक भी गरीब आदमी, एक भी किसान और कोई भी भूखा आदमी जिन्दा न रहे। इन्होंने इस बात की कोशिश की कि इन्हें मुआवजा तो इतना मिल जाय कि यह सूद में ही कमा सकें या फिर किसी दूसरे तरीके से कमा सकें। इस तरह की उन्होंने हमेशा ही अपने हित की कोशिश की और इन लोगों का ध्यान नहीं रखा जिनके लिए कि यह आज आवाज़ उठा रहे हैं। जितने भी किसानों के बिल आये, किसानों के बिल के लिये हमेशा इन लोगों ने यह कह कर कि इससे किसान बर्बाद हो जायेंगे उसका विरोध किया लेकिन आज तक कोई किसान बर्बाद नहीं हुआ ! उनके कहने का तात्पर्य यह था कि किसानों के भले के लिये कोई भी कानून सरकार लाये हमें तो यही कहना है कि इससे तो किसान बर्बाद हो जायेंगे। इसी तरह का मिलता जुलता यह प्रस्ताव है। इसमें मैं आपको बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, उनको पेन्शन देती है और भी कई प्रकार की सुविधायें सरकार ने अपने कर्मचारियों को दे रखी हैं, लेकिन मैं उन जागीरदारों से जो आज समाजवाद की बातें करते हैं पूछना चाहता हूँ कि उनके जितने नौकर थे, जिनको आप पांच-पांच और दस-दस रुपया देते थे उस समय उनकी औरतों बच्चों के साथ आप कितना अन्याय करते थे, वे दिन आप

[श्री बलवीरसिंह]

भूल गये। आज जब कि सरकार उन्हीं लोगों को, जिनको आप पांच-पांच या दस-दस रुपया देकर अपना आजीवन नौकर बना लेते थे उनको आज अच्छी तनख्वाह मिल रही है। आज आप गरीब मजदूर के हितैषी बनकर बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, चलो इसी तरह से इन लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर ली जाय ताकि इलेक्शन में मदद मिलेगी। आपको यह ध्यान में होना चाहिये कि आज का गरीब मजदूर, निम्न श्रेणी के कर्मचारी जाग चुके हैं वे जानते हैं किन्तु वास्तव में उनके हितैषी कौन हैं? आप यह क्यों देखते हैं? आप आज के सरकारी टीचर्स का मुकाबला उन ठिकानों के मास्टरों से करिये जो कुछ अर्से पहले आपके कब्जे में थे। आज जिनको आप ठिकानों में वेतन देते थे, उससे करीब चौगना वेतन यहां मिल रहा है। आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि वे भूखों मरने लग गये। आपको उन जुल्मों की याद रखनी चाहिये जो समान्तशाही युग में आपने किये। आज आपके बहकावे में ये लोग आने वाले नहीं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो वास्तव में गरीब मजदूर वर्ग के हित को ध्यान में रखती है। आज आप यह कह रहे हैं कि यदि आपने इन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो ये लोग जुल्म पर उतर आयेंगे, बगावत कर देंगे। आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि आपके कहने के मुताबिक ये बगावत करने वाले नहीं, आपने यह भी कहा कि अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इन लोगों को मजबूरन कोई न कोई कदम उठाना पड़े। यह प्रस्ताव आज इसलिये रखा गया है कि यह आखिरी सेशन है, चलो चलते हुए कुछ लोगों ने ख्याल किया। आगे आयें या नहीं आयें, किसी भी तरह से हो सरकारी नौकरों की, मास्टरों की, मजदूरों की सहानुभूति हासिल कर लें, चलो जाते हुए इन सरकारी नौकरों की हमदर्दी तो अवश्य ले ली जाये। आज यदि सरकार किसी किस्म का टेक्स लगाती है, म्युनिसिपल टेक्स लगाती है, चाहे वह केपीटिलिस्टों पर हो, दुकानदारों पर हो तो भी उसका विरोध किया जाता है और रुपया टेक्स से वसूल होगा वह बंटेगा भी गरीब हरिजनों में, क्लास फोर्थ सर्वेन्ट में। उसका भी विरोध किया गया और हड़ताल करवाई गई, इस प्रकार का टेक्स नहीं लगना चाहिए। ऐसी बातें कही गई। अमीरों के पास से पैसा आवेगा तभी तो गरीबों में बांटा जा सकता है और वही पैसा हरिजनों के पास जाने वाला है। इस तरह से होगा तभी तो गरीबों के अन्दर सन्तोष होगा।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

आज अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोध में बैठने वालों के कारनामों को यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये केपीटलिस्टों के पोषक हैं। उनका प्रस्ताव रखने का मकसद केवल यही मालूम होता है कि आइन्दा होने वाले चुनावों में ये गरीब मजदूर लोग हमें वोट दें। अगर आपको वास्तव में गरीबों की सहायता लेनी है तो आपको केपीटलिस्टों का साथ छोड़ना होगा। आज विरोध में बैठे हुए सदस्य अपने दिल को टटोलें और देखें कि जब जागीरदारी उनकी कायम थी उन लोगों ने कितना जुल्म इन निम्न श्रेणी के लोगों पर किया? आज आप यहां कहते हैं कि हमारी हमदर्दी

[श्री बलवीरसिंह]

-तो गरीब लोगों के साथ है जिससे आने वाले आम चुनावों में आप इन लोगों का वोट हासिल कर सकें, जो चुनाव आपके लिए सिर दर्द बना हुआ है उसमें आप इनके वोट लेकर आना चाहते हैं। आज राजस्थान का बच्चा-बच्चा इस बात से वाकिफ है, राजस्थान का हर किसान-मजदूर, यु० डी० सी०, एल० डी० सी० इस बात को जानता है कि इन लोगों ने किस प्रकार के जुल्म किये थे, किस प्रकार जुल्म की चक्की में गरीब मजदूरों को पीसा था ? आज दिखावे के रूप में किस प्रकार गरीबों के हिमायती बन गये ? आज वे यह जानते हैं कि इनकी हमदर्दी हांसिल किये बगैर काम नहीं चलेगा। चलो चलते हुए इनको हमदर्दी तो हांसिल कर लो, चाहे दिल में भावना कुछ और ही हो। लेकिन उनको सोचना चाहिये कि आज का किसान और गरीब बहुत जाग्रत हो चुका है, कांग्रेस के शासन काल में उसे आज बह- कावे में नहीं डाला जा सकता......

श्री हिम्मतसिंह (अटरु)—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य किस पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपकी तरफ मुंह करके बोल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी और भी बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट मेम्बर्स डे है। पूरी स्वतन्त्रता है बोलने की।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एक ही भाषण में घबरा गये ?

श्री बलवीरसिंह—(जारी रखते हुए) आप लोगों ने शायद यह सोचा हो, इन लोगों की हमदर्दी मिल जायगी। यही मकसद आपके प्रस्ताव रखने का था, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस तरह से हमदर्दी हांसिल नहीं की जा सकती। यह भावना आपको कतई निकाल देनी चाहिये कि इस तरह से इन लोगों के वोट मिल जायेंगे। कतई नहीं। जिस प्रकार से आपने असेम्बली में स्पीच दी, मेम्बर जनसंघ ने, तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे किसी चुनाव सभा में भाषण दिया जा रहा हो और जैसे सभी वोट जनसंघ को पड़ने वाले हों लेकिन वैसी स्थिति नहीं। आप चाहते हैं कि इन क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स और टीचर्स को जो तनख्वाह आपके ठिकानों में दी जाती थी वही देना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने इन लोगों को कम से कम आपके ठिकानों में मिलने वाले वेतन से कम से कम दुगुना और तिगुना वेतन यहां मिल रहा है। सरकार की यह मन्शा नहीं है कि इनके वेतन को न बढ़ाया जाय, सरकार बढ़ायेगी किन्तु धीरे-धीरे, ज्यों ज्यों आर्थिक अवस्था स्टेट की सुधरती जायगी उसी अनुपात से निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जायगा। यह कोई नहीं चाहता कि कर्मचारियों की तनख्वाह न बढ़े, लेकिन आर्थिक स्थिति के अनुसार जैसी होगी वैसी बढ़ेगी। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा वे दिल से इसका समर्थन नहीं करते, समर्थन वे केवल दुनिया को दिखावे के रूप में करते हैं। हम लोगों की पूर्ण

[श्री बलवीरसिंह]

सहानुभूति क्लास फोर्थ सर्वेन्टस और टीचर्स के साथ है। जो लोग हमेशा से इस वर्ग का राजनैतिक शोषण करते आये हैं, आर्थिक शोषण करते आये हैं वे आज इनका राजनैतिक शोषण जारी रखना चाहते, हैं केवल वोट मांगने के लिए। यदि हमदर्दी वास्तव में है तो वह अन्दरूनी, दिल से आनी चाहिए। इसलिए मेरा माननीय जमुवा-रामगढ़ से आए हुए सदस्य से निवेदन है कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस लेते हुए अपनी भावना जरूर बता देंगे कि किस भावना से उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है और ईमानदारी से अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

(श्री मोतीलाल चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Another firing.

श्री मोतीलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, यदि प्रस्तावक महोदय, यह प्रस्ताव वापिस लेलें तो मैं नहीं बोलूं।

श्री अध्यक्ष—अब केवल यही प्रस्ताव होने वाला है, दूसरा संकल्प नहीं होने वाला है।

श्री मोतीलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव यह जानकर रखा है कि यह तो उन्हें वापिस लेना ही पड़ेगा। वे सिर्फ इसलिये ऐसे प्रस्ताव को रखते हैं कि जैसा कि पिछले साल भी जनता को बहकाने के लिये एक संस्था बनायी थी जिसका रामराज्य नाम था, जिसके माननीय सदस्य भी एक मेम्बर थे। जिस प्रकार सीता को रावण हरने के लिये साधु का भेष बनाकर आया उसी प्रकार ये लोग राम राज्य का नाम लेकर, जनता को बहका कर कि हम तो राम-राज्य स्थापित करना चाहते हैं जनता के वोट हासिल करना चाहते हैं, जनता को बहकावे में लेकर, राम-राज्य का नाम लेकर जनता का वोट हासिल करने में एक हमारे प्रस्तावक महोदय भी थे। उसके बाद कई तरह से वे चोला बदल कर कभी इधर आकर बैठे कभी उधर बैठे लेकिन वे एक भी मकसद पूरा नहीं कर पाये.........

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव लो पेड सर्वेन्ट के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—I think this may be with some reference to context,

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव को देखा। उसके बाद प्रस्ताव महोदय, के भाषण को भी मैंने सुना। मैं यह जानना चाहता था कि माननीय सदस्य यह प्रस्ताव किस भावना से लाये हैं और उसके बाद में जब कि मैं अपनी भूमिका ही कह रहा था तो प्रस्ताव के पक्ष में बोलने वाले एक माननीय सदस्य बीच में ही बोल उठे। उनको यह ध्यान में रखना चाहिये, अभी कल ही की बात है कि जब कि उन्होंने मेन्टीनेन्स होल्डर को,-

[श्री मोतीलाल चौधरी]

यदि मुआवजा दिया जाय तो जागीरदारों को बताकर दिया जाय, इस प्रकार का संशोधन रखा था। यह उनकी भावना को बताता है कि वे किस प्रकार के हितैषी हैं ? जिन मेन्टनेन्ट्स होल्डर्स में बूढ़ी दादी-मां और पर्दा नशीन औरतें हैं, विधवायें हैं उनको जब सरकार मेन्टीनेन्स देना चाहती है तो उसमें वे माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट रखते हैं कि जागीरदारों के दरख्वास्त किये बिना उनको मेन्टीनेन्स नहीं दिया जाय। यह उनकी नीति और भावना को बतलाता है और आज बड़े जोर शोर से यह कहते हैं कि नौकरों की तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिये, लेकिन जब जागीरों के नौकरों का प्रश्न आता है, जब उनको पैसा देने का मौका आता है, जब मेन्टीनेन्स होल्डर्स के पैसा देने का मौका आता है तो जिसमें बूढ़ी दादी अम्मा होती हैं उनको पैसा देने का सवाल आता है, तब भी वे यह संशोधन रखते हैं कि सरकार उनको डाइरेक्ट कतई न दे। जिन मेन्टीनेन्स होल्डर्स, असहाय महिलायें हैं, विधवायें हैं उनके लिये कम्पेन्सेशन देने का सवाल आता है तो उनके लिये कहा जाता है कि बिना जागीरदार के दस्तखत हुए नहीं दिया जाना चाहिये; कल जो बातें उन्होंने कहीं थीं उसको आज ही भूल गये और इस प्रस्ताव का समर्थन करने लग गये।

(बाधा उपस्थित होने पर)

तो आप सुनते रहो। अभी सुनो।

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का इस तरह से कहना, "आप सुनते रहो, अभी सुनो", उचित नहीं है। जो कुछ भी माननीय सदस्य को कहना है आपकी मार्फत कहना चाहिये।

श्री मोतीलाल—माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा ही कह रहा हूं। तो माननीय अध्यक्ष, इससे मुझे अचम्भा हुआ जब मैंने यह प्रस्ताव देखा। कल मेरे बोलने के बाद में उन्होंने देखा कि विपक्ष के एक आदमी ने उनकी गलती पकड़ ली तो उस संशोधन को, प्रस्ताव को विद्ड्रा कर लेना चाहिये और इस तरह से उन्होंने विद्ड्रा कर लिया। आज फिर इस प्रस्ताव को देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव का वातावरण उनके दिमाग में है।

हम नहीं कहते, कोई भी प्रगतिशील सरकार या पार्टी यह नहीं कहती कि किसी की तनख्वाह न बढ़े। हम भी बढ़ाने के पक्ष में हैं, उसकी तरफ कदम उठाना चाहते हैं। पहले हमने सोचा भी था कि जागीरदारों को मुआवजा कम दिया जावे, तो वह उधर वेतन में दे दिया जावे। पर वह सात से दस गुना और आखिर में पन्द्रह गुना तक देना पड़ गया। माननीय अध्यक्ष, मैं इत्तला देना चाहूंगा कि इससे ही जाहिर हो जावेगा कि प्रस्तावक महोदय की क्या मंशा है ? वे इस तरफ आये थे उस वक्त कुछ और मंशा से आये थे। उस वक्त सेटिलमेंट की रेट्स बढ़ी हुई थीं जिसे सरकार कम कर रही थी। तो वे रेट्स कम न हों ताकि किसानों से वे बढ़ी हुई रेटस वसूल कर सकें और दूसरा यह कि ज्यादा मुआवजा उनकी जागीरों का उनको मिले। इन दो मक्सदों से वे इधर

[श्री मोतीलाल चौधरी]

आये थे और जब वे उनकी मंशाएं पूरी न हुई तो उधर चले गये और आज इस तरह का प्रस्ताव लाने को तैयार हो गये। तो इससे साफ जाहिर है कि वे इससे क्या चाहते हैं ? मैं और कुछ आगे बढ़ूं और यह कहूं कि उनके इलाके की हालत आज बहुत बुरी है तो अत्युक्ति नहीं होगी। आज कोई भी वहां जाकर देखे कि वहां के किसानों की क्या हालत है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है ? एक एक रात में उनके खड़े झोंपड़ों को बर्बाद कर दिया गया है और हाउस में उनकी वकालत करने का ढोंग करते हैं। आज उनका चुनाव क्षेत्र बदल गया है, तो किस तरह से वे वहां और जागीरदारों से मिलकर किसानों को बेदखल कर रहे हैं और कैसे उनके साथ पेश आ रहे हैं और किसानों को तंग कर रहे हैं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—कितने मेम्बर्स और बोलना चाहेंगे ?

कई माननीय सदस्य—हम भी बोलेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—आधा घंटा तो मुझे चाहिये साहब। मुझे कुछ ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिनका जिक्र इस सदन में किया गया है।

श्री जवानसिंह—अगर समय पर पाबन्दी लगाई जाने को है तो मेरा भी नाम आप जोड़ लें।

श्री अध्यक्ष—आप लीजिये चाहे जितना समय। मुझे कोई ऐतराज नहीं।

श्री भैरूंसिंह—यह खत्म होने दीजिये साहब। फिर इस पर मंत्री महोदय का जवाब जरूर लेना है साहब।

(घंटी)

श्री मोतीलाल—तो मैं कह रहा था कि जिन महानुभावों ने इस प्रस्ताव को रक्खा उनका उद्देश्य क्या था, यह स्पष्ट है। यह सब इलेक्शन के उनके स्टन्ट हैं, वे इस तरह से उन तबके के लोगों में अपने को भला बनाने की कोशिश में हैं और कांग्रेस सरकार को नीचा दिखाने में हैं। पर वास्तविकता तो छिपी नहीं रह सकती। जो बर्ताव वे अपने क्षेत्र में किसानों के साथ कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। तो मैं तो प्रस्तावक महोदय से कहूंगा कि पहले वे अपने इलाके में उन किसानों के साथ हमदर्दी बतावें, उनको बेदखल न करें, तंग न करें, उनके झोंपड़े बरबाद न करें। (राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि) खुद के क्षेत्र के जो मेन्टीनेन्स होल्डर्स हैं, उनसे खुले

[श्री मोतीलाल चौधरी]

दिल से कहें कि मैं तुम्हारा कम्पेन्सेशन तुन्हें देने को तैयार हूं और सरकार से भी वे साफ कह दें कि उनको उनका कम्पेन्सेशन दे दें। मेरा बीच में कोई दखल नहीं होगा और अगर यह भी कह दें तो और भी अच्छी बात मानी जावेगी कि आप अपना कम्पेन्सेशन भी सरकार को सौंपते हैं, उससे हम भी सोचेंगे कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जावे इस पैसे से। आप इस तरह के कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दें कि जिससे सरकार का खजाना बढ़े तो सरकार अपने आप उनकी तनख्वाह बढ़ाएगी।

इसके आगे अध्यक्ष महोदय, मैं और अर्ज करूंगा कि अजमेर की और राजस्थान की प्राइमरी स्कूलों के वेतनों में कोई फर्क नहीं है, डियरनेस अलाउन्स में थोड़ा फर्क है। फिर आप हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य; ट्रावनकोर, मद्रास, यू० पी० आदि से कम्पेअर करें तो भी राजस्थान के पे स्केल्स किसी से कम नहीं हैं। तो ये बातें हैं और इन बातों को वे स्वयं न जानते हों, ऐसी बात भी नहीं है। वे स्वयं जानते हैं पर जानते-बूझते भी, चूंकि उनको तो ऐसा एक वातावरण सरकार के खिलाफ खड़ा करना है, ऐसी बातें कहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से अपील करूंगा कि वे इन बातों के बहकावे में न आवें।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मुझ पर काफी पर्सनल आक्षेप किये गये हैं इसलिये मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Two wrong will never make one right.

श्री मानसिंह महार—नाम ले लेकर कहा गया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोतीलाल—मैंने आपका नाम नहीं लिया।

श्री मानसिंह महार—प्रस्तावक महोदय ने ऐसा किया है यह क्या है, यह मेरा ही नाम है। मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन की इजाजत दी जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री मथुरादास माथुर—क्या बात कह दी ऐसी? If this is allowed then the hon'ble mover who has charged every Minister personally in his speech and if they were to give their personal explanation, we will require another day.

श्री अध्यक्ष—I will like to hear Shri Gauri Shankar Acharya.

आपको तो बाद में टाइम मिलेगा, तब कह देना।

श्री गौरीशंकर आचार्य—अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में एक दृष्टिकोण हाउस के सामने आने से रह गया है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

५८६ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

कांग्रेस जमात एक जिम्मेदार जमात है, देश का सारा हिस्सा उसके शासन के अन्तर्गत है, उसकी नीति गम्भीरता के साथ देश के सामने रक्खी जा चुकी है। विरोधी दल के सदस्यों ने जो संकल्प रक्खा है उसकी भावना को मैं समझता हूँ और उसका स्वागत करता हूं। यह सच है कि देश में प्रजातन्त्र तब तक सफलता के साथ नहीं चल सकता जब तक आर्थिक समानता देश में नहीं लाई जा सकेगी। यह भी सच है कि प्रजातन्त्र सफलता के साथ तब तक नहीं चल सकता जब तक सामाजिक समानता न आवे। तो सामाजिक और आर्थिक समानता प्रजातन्त्र की सफलता के आवश्यक अंग हैं।

मैं अपने विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहता हूँ और स्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने देश की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिये एक व्यवस्थित कार्य क्रम बनाया है जिसके अनुसार पहले पहल उसने देश के प्रत्येक निवासी को राजनैतिक समानता दी और यही कारण है कि आज राजा और रंक, गरीब और अमीर एक सरीखा राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, वह अधिकार है वोट देने का। यह वोट देने का अधिकार जो एक गरीब को है वही मध्य-वित्त को और वही राजाओं को है। वे राजा जो हाथियों पर चढ़ कर घूमते थे आज गली गली वोट के भिखारी बन गये हैं। यह कांग्रेस की देन है और इस राजनैतिक समानता के बिना आर्थिक प्रगति करते तो सम्भव नहीं था. राजनैतिक समानता के बिना यदि सामाजिक प्रगति करते तो संभव नहीं था। १ तारीख को वह शुभ दिन आया जब कि राजप्रमुख पद हट गया है नहीं तो पहले जागीरदार हटे, राजा हटे राजप्रमुख पद बना हुआ था आने वाले चुनाव के पहले राजप्रमुख पद न हटता तो विरोधी दल के सदस्य और कह सकते हैं कि जागीरदार हटे, राजा हटे, महाराजा हटे लेकिन राजप्रमुख पद बना हुआ है, इसलिए कांग्रेस ने समझदारी के साथ राजप्रमुख पद खत्म कर दिया और मैं समझता हूं हमारी सरकार और भारत सरकार इसके लिये बधाई की पात्र हैं।

आज कुछ लोगों का यह कहना कि गरीबों का वेतन बढ़ा दिया जाय, कांग्रेस का एक व्यवस्थित कार्यक्रम है उसको नहीं चलने देना चाहते या बहका कर भटका देना चाहते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक निश्चित ध्येय है और वह एक दिन पूरा होकर रहेगा। कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति सोच रहे हैं आगे आने वाले दिनोंमें वे उसको पूरा करके दिखायेंगे जिसको वे सोच रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि वेतन में अन्तर न हो, नीचे के व्यक्ति को ६०) मिलता है और ऊपर के व्यक्तियों को ९००) मिलता है वह न मिले। यह भी सम्भव है कि आर्थिक क्रान्ति को जल्दी लाना और देशों का इतिहास बताता है कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। राजनैतिक समानता को न लाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। शांति से और सब्र से और ऊंची समझ से यह भावना मिटाना जरूरी था। सामाजिक समानता लाकर कांग्रेस ने छुआ छुत मिटा दिया विरोधी दल के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि आप गरीबों की वकालत कर रहे हैं, तो उन हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के प्रति गौर करें जिसको हाथ लगाना पाप समझते हैं, उन गरीब आदमियों के यदि दो दाने अन्न पेट में देना चाहते हैं लेकिन उनको छुना भी पाप समझते हैं,

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

अगर देश की प्रगति में आर्थिक समानता की बात सोचते हैं तो सामाजिक समानता की बात को नहीं भूलना चाहिये। विरोधी दल के सदस्य देश का पूरा खाका बनाकर चलते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं जहां कांग्रेस ने राजनैतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और सांस्कृतिक समानता की ओर कदम बढाया है, उनका समान रूप का कार्यक्रम बनाया है। इसको इधर उधर करके किसी खास प्रस्ताव से वह बहक जाती है तो बना बनाया ढांचा बिगड जाता है। दूसरे देशों में क्रांतियां हुई हैं, आज प्रतिक्रान्तियां हो रही हैं और इसका कारण यह है कि वहां व्यवस्थित समानता नहीं थी। आज हमने एक क्रान्ति की है। इंगलैंड जिसने सता हस्तान्तरित की तो वह यह समझता था कि हम ६०० राजाओं को छोड़ कर जा रहे हैं हमने उनको छोड दिया है, वे बगावत कर देंगे और वापिस आना पडेगा, लेकिन आज लगता है कि कांग्रेस ने किसी खूबी से राजाओं को खुश करके यह राजनैतिक क्रांति की, विरोध नहीं दिखाया। विरोधी ताकतें रहते हुये, ब्रिटेन और अमेरिका का हाथ रहते किस खूबी और सब के साथ क्रान्ति की, उसको देखकर अगर विरोधी दल के सदस्यों को बेचेनी आवे तो मैं निवेदन करूंगा कि जरा दो दिन और छाती पर पत्थर रख कर देखें कि आर्थिक क्रान्ति भी सफल हो सकेगी। हमारी पार्टी के लोग समझते हैं कि कभी २ कुछ लोग ऐसे नारे लगा देते हैं कि जिससे लोग बहक जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का दिमागी डंडा बहुत शांति के साथ चलता है। कोई इस प्रकार के नारों में नहीं आ सकता। जैसा हमारे सदस्यों ने समानता का एक नारा लगाया, उनका पिछला इतिहास जानता हूँ, यह भी मान लेता हूं इतिहास अच्छा न हो, कारनामे अच्छे न हों. आज कोई बात करते हैं तो कांग्रेस दल को बधाई देना चाहिये कि आपके दिल पर छाया पडी। बहुमत की बात आयी, आपका दिल इधर उधर हिला जरूर। हमारा कर्तव्य है मार्ग दर्शन ठीक तरह करते रहें। अगर उनके कारनामे बार बार दर्शायेंगे तो फिर वे रास्ता भूल जायेंगे। उनको भावना की कद्र करनी चाहिये। इनके इस प्रस्ताव का मुझे इसलिए विरोध करना पडा है कि भावना तो ठीक लगती है। शिक्षकों के लिये यह कहना कि वे दूध में से घी निकाल कर उसको बेच कर अपना काम चलाते हैं तो मैं इसको अनुचित समझता हूँ। आज गांवों में जाने वाले शिक्षक अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनको गांवों में शिक्षा देने के लिये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खुशी से वे इस कार्य को करते हैं लेकिन उनके लिये यह कहना कि वे दूध से घी निकाल कर रोजी चलाते हैं मैं समझता हूं कि यह शिक्षक के प्रति अन्याय है। वे पेट पर पत्थर बांध कर गांव वालों की सेवा करते हैं, उनके लिये यह कहना कि वे दूध से घी निकाल कर रोजी चलाते हैं यह अनुचित है और अध्यापकों के सम्मान की दृष्टि से भी विपरीत है।

दूसरी कमी जो नजर आयी वह है वे वैद्य जो गांवों में जाकर काम करते हैं, उनका काम नहीं चलता जब कि एक डाक्टर को अधिक देना चाहते हैं। शिक्षकों की हालत अच्छी नहीं है, वैद्यों की हालत अच्छी नहीं है। इस दृष्टि से भी इस प्रस्ताव में बहुत कमियां हैं और उनको दूर करना जरूरी था इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं।

Page No 122

[श्री गोरीशंकर आचार्य]

अन्त में मैं यह कहना चाहता कि यदि देश में क्रांति लाना चाहते हैं। यदि इस प्रकार की भावना है तो उसकी पूर्ति के लिये योजना व तरीके से और इतिहास के अनुसार आगे बढ़ेंगे आगे दौड़ने वाले असफल हुए हैं यदि इसमें नया रंग डालेंगे तो हम आशा करेंगे कि नयी क्रांति आ सकती है।

श्री गोरीशकर आचार्य—मैं इस प्रस्ताव को अपूर्ण होने के कारण, समय पर उपस्थित न होने के कारण, बने हुए व्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार फिट नहीं होने के कारण, स्वागत नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—समय हो गया है।

श्री भैरोंसिंह—पर्सनल एक्सप्लेनेशन की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—Whole day personal explanation !

(विराम)

I wish that the Hon'ble Members could have fixed an earlier date so that personal charges could not have been more on the parting day.

श्री गणपतिसिंह—Let him give the personal explanation.

श्री अध्यक्ष—I know the spirit of the Members of this House and specially of the one who has sponsored the resolution. He has always taken the debate in a sporting way.

माननीय अध्यक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों के विदाई भाषण

On this parting day I am really very thankful to the Members of this House who have been so cooperative and so kind as to give me their cooperatation in conducting the proceedings of this House.

I am not very certain whether the session, this Assembly may be called before the next elected Assembly meets, but we may meet again. if it is so, before the next general election, and for the time being I express my sense of gratitude and satisfaction for the cooperation which the Hon'ble Members of this House have extended to me in conducting the procedings of this House.

(हर्ष-ध्वनि)

[श्री अध्यक्ष]

And I am specially thankful to the Members of this House for having elected me twice to this chair of great respect and dignity.

श्री रामरतन टिक्कीवाल—माननीय अध्यक्ष, अगर आप हिन्दी में बोलें तो हम लोग भी समझ सकेंगे। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—I am very sorry.

मुझे विशेष गौरव है कि आप लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए मुझे दो बार चुना, और जो भी निर्णय इस पद से मैंने दिये उनको बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आप लोगों ने माना और जब कि हम इस सदन के इस सत्र से विदा हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग एक सुखद स्मृति ले जायेंगे। मैं आशा करूंगा कि इस सदन के जितने भी सदस्य हैं वे फिर इस सदन में चुने जाकर आयें और नवीन उत्साह और नवीन प्रेरणा और नये संदेश के साथ राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए सहयोग दें।

(करतल-ध्वनि)

श्री रामरतन टिक्कीवाल—(श्री रामकिशोर व्यास गृह मन्त्री के खड़े होने पर) माननीय अध्यक्ष, यह मान पत्र जो भेंट हुआ है उसका सभी प्रत्युत्तर देना चाहेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन का संभवतः आखिरी अधिवेशन है। यदि कानूनी रूप से जरूरी हुआ तो हम शायद एक-दो रोज के लिये मिलें वर्ना तो यह आखिरी सेशन ही हमको मानना चाहिये। हम करीब पांच साल पहले इस सदन में आये, शायद २९ मार्च, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सन् ५२, को पहली दफा इस सदन में आये। उसे करीब करीब पांच साल का अर्सा हो गया। इस ५ साल के अर्से में हमारे सदन में सदन के सदस्य जो आये उनको पार्लियामेन्ट्री पद्धति का काफी अनुभव हुआ। सभी तरह के शिक्षण और पार्लियामेन्ट्री जो कार्य हैं उनमें होकर हमको गुजरना पड़ा, और मामूली से मामूली पॉइन्ट ऑफ आर्डर से लेकर सशरीर हटाने और सज़ा देने का मौका भी इस हाउस में गुजरा। हमने शायद बिजनेस रूल्स का कोई नियम नहीं छोड़ा जिसका कि प्रयोग किसी न किसी रूप में हमारे यहां न हुआ हो। काफी अनुभव इस ५ साल के अर्से में हुआ और मैं समझता हूँ कि यह काफी उपयोगी आयन्दा के लिये होगा।

जो कुछ भी इस अर्से में, जो सदस्य यहां रहे, चाहे वे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष की ओर से हों, यदि इस पक्ष की ओर से कुछ कहा गया, कुछ बातें नागवार मालूम हुई हों, कुछ बातें बुरी लगी हों तो मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि वे निहायत नेकनियती के साथ किसी खराब इरादे से नहीं कही गईं बल्कि स्थिति के स्पष्टीकरण के रूप मे कही गई होंगी। यह मैं आपको

[श्री रामकिशोर व्यास]

इत्मीनान दिलाना चाहता हूं । मैलाफाइड या किसी खराब नियत से या किसी को आघात पहुंचाने के विचारों से, उस तरह से कोई नहीं की गई । आशा है, आप उस पर उस रूप में विचार नहीं करेंगे और फिर भी कोई बात हो तो गई तो उसको क्षमा करेंगे ।

इसके अलावा ५ साल के अर्से में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही क्षमता के साथ, बहुत ही इम्पर्शियलिटी के साथ और बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से जो यहां काम किया है उसके लिये हम आपके बहुत आभारी है । समय समय पर हमारे सामने बहुत ही पेचीदा स्थिति आई है, बहुत पेचीदा सवाल भी आये हैं लेकिन जिस सुन्दरता के साथ, जिस खूबसूरती के साथ, जिस उदारता के साथ उन सवालों को हल किया है वे बड़े गौरव की बात हैं, फक्र की बात है और उन्होंने बहुत ही स्वस्थ परम्परायें समय समय पर अपने निर्णय देकर कायम की हैं । वे हमें हमेशा के लिये याद रहेंगी और उन स्वस्थ परम्पराओं से उनका स्मरण होगा । आपके, स्पीकर्स रोड़ जिसे कहते हैं कि जिस तरह से 'ऑर्डर ऑर्डर' को सदन का कोई भी सदस्य शायद ही भूल पायेगा, हमेशा वह स्मृति ताजा रहेगी और जब भी आपका ध्यान आयेगा आपका 'आर्डर आर्डर' याद आयेगा और उस वक्त भी हम आपको जिस तरह आज अध्यक्ष मानते हैं उसी तरह से मानते रहेंगे । (करतल-ध्वनि और हंसी) इसलिये यह सदन आपका बहुत आभारी है और जो भी स्वस्थ परम्पराएं इस अर्से में कायम की हैं, जिस तरह के न्यायपूर्ण निर्णय दिये हैं उसके लिये मैं सब की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं ।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय को भी हमारे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यहां विराजना पड़ा है और उनको कई दफा कष्ट भी हुआ होगा और कई दफा बड़ी पेचीदा समस्याएं सामने आईं, लेकिन उन्होंने बड़ी सरलता और शान्ति के साथ और सादगी के साथ बगैर किसी परेशानी के साथ उन्हें सरल किया है । हम उनके भी आभारी हैं । और मैं समझता हूं कि उन्होंने भी स्वस्थ परम्पराओं को बढ़ाने में काफी मदद की है ।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, यद्यपि मुझे तो ऐसी कोई निराशा नहीं है कि हम दुबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन, खैर, फिर भी यह मानलें कि दुबारा नहीं मिलेंगे (हंसी) मेरा तो ऐसा ख्याल है कि अपन एकबार यहां आयेंगे और इस असेम्बली में फिर से मिल सकेंगे, तो भी इस समय धन्यवाद अर्ज कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ?

माननीय अध्यक्ष, हम जिस समय पहले पहल इस असेम्बली में आये थे तो उस समय बिल्कुल नये खिलाड़ी थे । आज बहुत कुछ अनुभव ले कर जा रहे हैं, और इसमें

[श्री तनसिंह]

बहुत कुछ योग आपका ही है। आप अनुभव करते होंगे, अध्यक्ष महोदय, कि विरोधी दल का काम बहुत उत्तर दायित्व पूर्ण है। इसको कोई माने या न माने, हमारे ऊपर भी कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनको सम्भवतः हम उतनी गहराई से अनुभव नहीं कर सकते हों, लेकिन फिर भी वे उत्तरदायित्व गहरे हैं। हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व हैं उनको पूर्ण करने के लिये हमें यहां कुछ कटुतापूर्ण शब्द भी बोलने पड़े होंगे, और उन कटुतापूर्ण शब्दों पर संभवतः किसी को रोष भी पैदा हुआ हो लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूं कि हमारे वे सब भाषण, आज तक के हमारे सब आचरण सिर्फ इसलिये हुए हैं कि हमने अपने पर गुरू उत्तरदायित्व, जो विरोधी दल का होता है, उसे संपादित करने के लिये उन शब्दों का प्रयोग किया गया था। आज इस अवसर पर जब कि हम विदा हो रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रति जो मिसअन्डरस्टैन्डिङ्ग है उन्हें साफ कर दिया जाय।

मैं उपाध्यक्ष महोदय के लिये विशेष आभारी इसलिये हूँ कि उन्होंने जो ढिलाई देकर, उन्होंने हमारे लिये जितनी गुन्जाइश रहा करती है उतनी गुन्जायश देकर विरोधी दल को, हम लोगों को, विशेष कर जितना लाभ उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत हुआ है उतना किसी चेअरमेन से नहीं हुआ है उनकी सरलता का कई दफा नाजायज फायदा उठाया गया है तो भी उन्होंने बुरा नहीं माना। मैं इसके लिये विशेष रूप से उनका आभारी हूँ। कई बार ऐसा मौका भी उनके काल में आया लेकिन उन्होंने अपने मानसिक संतुलन को कभी भी नहीं डिगाया।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से आपके सेक्रेटेरियेट को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने जो उच्च कोटि के निष्पक्षता का व्यवहार किया वह भी चिरस्मरणीय रहेगा। हमने कभी यह अनुभव नहीं किया कि हम विरोधी पक्ष के हैं इसलिए हमारे साथ किसी दूसरी तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं सब विरोधी दल के सदस्यों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस में शब्दों का लेन देन हुआ है। वे शब्द अपशब्द भी हो सकते हैं। जो कुछ भी घटनाएं यहां हुई हैं उन सबको भुलाकर नये मैदान में ताल ठोक कर राजस्थान की भलाई के लिए कटिबद्ध होकर यहां से जायेंगे और जो कुछ इस दरम्यान में हुआ है उसको बिसर जायेंगे एक स्पोर्टसमेन की तरह से। मैं इतना ही अर्ज करूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपको, उपाध्यक्ष जी को और जितने सदस्यों ने यहां काम किया है उनको विरोधी दल की ओर से धन्यवाद देता हूं।

श्री गणपतिसिंह—मैं दोनों ही पक्षवालों के साथ अपनी भी हां में हां मिलाता हूं, श्रीमान् को धन्यवाद देने के विषय में। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं अर्ज करना है सिर्फ एक शेर अर्ज करना है जो इस प्रकार है :

> दूर से आये थे साकी, सुनकर मयखाने को,
> बस तरसते ही चले, अफसोस है पैमाने का हमें।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद इस सदन में मैं सबसे अधिक कॉन्ट्रोवर्सी का विषय रहा हूं और शायद उस पक्ष में बैठने वाले मित्रों के लिए कुछ आवेश में मैंने कटु शब्द कहे हों तो मैं आज उन सब से क्षमा चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वे उन बातों को भूल जायें। और अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मैं क्षमा चाहूंगा। कभी कभी आपको और उपाध्यक्ष जी को मैंने शायद मुश्किल में डाला होगा। लेकिन मैं जरूर निवेदन करूंगा कि आपने दोनों ने जिस निष्पक्षता और उदारता से हम लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया यह एक गौरव की बात है और हम समझते हैं कि इस प्रकार की स्वस्थ परम्पराएं कायम करने के लिए भारत के दूसरे हिस्से वाले भी आपसे प्रेरणा लेंगे।

इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि सदन में उस तरफ बैठने वाले सदस्य भी यह महसूस करेंगे कि आज जाते समय, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि मैं तो फिर आ जाऊंगा, लेकिन उधर बैठने वाले मित्रों में से बहुत कम को यह उम्मीद दिखती है, उनकी मायूसी से ऐसा मालूम होता है और यदि आप न भी आवें तो भी बाहर हम इसी तरह से मित्र रहेंगे जिस तरह से रहते आये हैं। इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस निष्पक्षता का परिचय दिया है अपने व्यवहार में और हमने भी आपको दुबारा निर्विरोध चुनकर एक मिसाल कायम की है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात सायं ५ बजकर १२ मिनिट पर सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,	**मनसाराम पुरोहित**
जयपुर,	**सचिव,**
दिनांक, १२ दिसम्बर, १९५६	राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर देखिये)

नक्शा हालात बंधात जिलाधारी तहसील रूपनगढ़ व किशनगढ़

क्रम संख्या	नाम बंध	नाम तहसील	विवरण
१	सांवतसर	रूपनगढ़	तारीख लेने चार्ज मई १९५५
२	सुख सागर	रूपनगढ़	,,
३	ठाना	,,	,,
४	पाल्या	,,	,,
५	भाना	,,	,,
६	मकेला	,,	,,
७	देवरा	,,	,,
८	फूल्या	,,	,,
९	आनन्द सागर	,,	,,
१०	बाला सागर	,,	,,
११	गोपाल सागर	,,	,,
१२	हनुमान सागर	किशनगढ़	,,
१३	मोहनपुरा का तालाब	,,	,,

परिशिष्ट २

कृपया प्रश्न सख्या ८८ का उत्तर देखिये

पुष्कर मेले के टेम्परेरी परमिट १९५६

सं०	नाम रूट जिस पर चलने वाली गाडी को मेले का परमिट मिला।	मालिक का नाम	परमिट संख्या	बस नं०	रिमार्कस
१	मेडता बिलाडा	श्री चुन्नीलाल	१	आर.जे.टी. ४६०	
२	,,	नेशनल मोटर्स	१	डी.एल.ए. ७३००	
३	परबतसर भेरूदा	श्री प्रतापसिंह	१	आर.जे.एल. ३२२२	
४	डेगाना तारनाऊ	श्री उदयसिंह	१	आर.जे.एस. २७५	
५	मेड़ता नागोर	श्री करनसिंह	१	आर.जे.क्यू. ७७४	
६	मेड़ता जेतारण	श्री शंकरलाल	१	आर.जे.टी. ६६८	
७	डेगाना मेड़ता	श्री लालमोहम्मद	१	आर.जे.टी. ५६०	
८	डेगाना हरसोररिड	श्री गणपति सिंह	१	आर.जे.टी. ५१५	
९	डेगाना तारनाऊ	,,	१	आर.जे.टी ३३८	
१०	डेगाना हरसोररिड	,,	१	आर.जे.एस. १६२	
११	,,	श्री प्रभुदान आईदान	१	आर.जे.एस ३०१	
१२	,,	,,	१	आर.जे.एस ३७३	
१३	,,	,,	१	आर.जे.एस ३७६	
१४	मेडता नागोर	श्री बंशीलाल	१	आर.जे.एस २१०	
१५	मेडता जैतारण	श्री प्रभुदान	१	आर.जे.क्यू १६५०	
१६	,,	श्री माधोसिंह	१	आर.जे.एस २००	
१७	मेडता पुष्कर वाया भरुंदा	श्री चौहान ट्रा. कं.	१	आर.जे.टी ५०३	
१८	,, वाया आलनियावास	,,	१	आर.जे.टी ५०५	
१९	,,	,,	१	आर.जे.टी ६००	
२०	,,	,,	१	आर.जे.टी ६०१	
२१	मेडता पुष्कर वाया भेरुदा	,,	१	आर.जे.टी ५६६	
२२	परबतसर भेरूंदा	सैनिक मोटर्स	१	आर.जे.एस ३७४	
२३	,,	,,	१	आर.जे.एस ३७२	
२४	,,	,,	१	आर.जे.क्यू १३६७	
२५	रास ब्यावरा	मिर्जा मोहम्मद	१	पी.एन.एच १०५०	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०३ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि ठहराव नं० ५८ दिनांक ९-५-५६ बाबत श्री रामस्वरूप गुजराती चपरासी नगरपालिका को नगरपालिका की नौकरी से पृथक किया गया जिसकी :

उपस्थिति साहेबान

१. श्री चेयरमेन साहब श्री माधोलाल जी गुप्ता

२. श्री हीरालाल जी साहब ठेकेदार,

३. श्री मोडुलाल जी साहब स्वर्णकार,

४. श्री जवाहरमल जी साहब खटीक,

कार्यवाही बोर्ड

ठहराव नं० ५८,

कागजात श्री रामस्वरूप गुजराती चपरासी नगरपालिका के विरुद्ध शिकायत के वक्त मिटिंग बोर्ड प्रस्तुत हुये। अवलोकन किये गये। कागजों को देखने से हालात हस्बजेल पाये जाते हैं :

१. श्री रामस्वरूप जमादार ने दिनांक २-१२-५५ को झूंटी रिपोर्ट करके मजदूरों का चिट्ठा रुकवा दिया व कुछ दिनों बाद एक गेती स्वयं श्री रामस्वरूप द्वारा वापिस लाकर के मजदूर श्री छीतर माली को रेगरयार्ड में काम पर देना पाया गया जो अध्यक्ष महोदय के रिमार्क दिनांक २६-३-५६ से व श्री नाथूलाल शर्मा निगराह काम व श्री छीतर माली मजदूर के बयानों से जो बोर्ड के रूबरू लिये गये थे, व स्वयं श्री रामस्वरूप की रिपोर्ट दिनांक १६-१२-५५ से स्पष्ट है। यह गेतियों का केस श्री रामस्वरूप के खिलाफ चल ही रहा था कि सायल के खिलाफ दीगर कई एक शिकायतें पेश हुई जो इस माफिक हैं।

२. बिल्डिंग कमेटी के चेयरमेन साहब द्वारा २६-२-५६ को मिटिंग की इतला आसामियों को नहीं दी गई बाबत कि एवं एक-एक घन्टे तक चपरासियों की इन्तजार में बैठे रहना पड़ता है, बाबत कि रिपोर्ट सायल के खिलाफ पेश हुई उस पर श्री रामस्वरूप का जवाब लिया गया तो उसका लिखना है कि पूछकर गांव गया था, दीतवार था, रजिस्टर चार बजे दिया गया था, घरपर आकर आसामियों को कह भी दिया था। इस सम्बन्ध का अध्यक्ष महोदय का रिमार्क दिनांक २६-३-५६ जो काफी विस्तृत है अवलोकन किया गया।

३. इसके थोड़े दिन बाद ही फिर तारीख २५-३-५६ को बोर्ड की मीटिंग के वक्त उपस्थित नहीं हुआ। बोर्ड को काफी देर तक उसकी इन्तजार में बैठे रहना पड़ा व बाद में फरीस से काम चलाया गया। जवाब तलब किया गया तो एक दरख्वास्त में जुखाम स्वयं को हो जाने से छुट्टी लेने की व एक जबाब में पिता के सख्त बीमार होने व मिटिंग का ही पता न होने का आदि का बेतुका एवं एक दूसरे के विपरीत जबाब दिया है।

४. फाइन हाउस की गायों को मालिक हमेशा के दफ्तर पर लाकर दिनांक १०-४-५६ की नीलामी बोली लगाना चाहिये था जो नहीं किया जवाब लेने पर श्री मोतीलाल जी से पूछने का व उनका इन्कार हो जाने का बहाना कर दिया।

५. पहिले भी कई बार बोली आदि के कागज खो देना पाया गया जिनको दरगुजर किया गया और जवाब तलब ही नहीं किया गया इस प्रकार गेतियां खुद रख लेना व झूठी रिपोर्ट कर मजदूरों का चिट्ठा रुकवा देना व फिर खुद द्वारा गेती वापस ले आना इस पर मजदूरों का चिट्ठा बंटना यह बतलाता है कि सायल ने इस प्रकार की झूठी कार्यवाही करके बोर्ड को कितना मुगालता दिया है जो कि बोर्ड की प्रेस्टिज को भारी धक्का लगाने वाली है। इसी प्रकार शिकायत नं० २ के उत्तर में दीतवार का बहाना करना व पूछकर गांव जाना व रजिस्टर चार बजे दिये जाने का जवाब अपर्याप्त ही नहीं पूर्ण असन्तोषजनक है। छुट्टियां नगरपालिका के कार्य में हर्जा पहुँचा कर उपयोग करने के लिये नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के बड़े से बड़े कर्मचारी को छुट्टी के रोज कार्य पर आना पड़ता है तिस पर सायल चपरासी होते हुये यह लिखना व करना काबिल बरदास्त नहीं इसके आगे शिकायत नं० ३ के उत्तर में एक दरख्वास्त में स्वयं को जुखाम होजाना व लिखना व एक दरख्वास्त में पिताजी के ज्यादा बीमार हो जाने का लिखना बोर्ड को मिटिंग का ही पता न होना लिखना व उसके आगे उस रोज की आम तातील होना लिखना व आगे माफी चाहने की लिखना, सायल की साफ तौर से बहाने बाजी बनना व काम में कतई दिलचस्पी न लेना व झूठा मनचाह जवाब लिखना जाहिर करता है।

इसके आगे शिकायत नं० ४ के उत्तर में श्री मोतीलाल चौधरी से पूछना व इन्कार होजाना लिखना भी सायल की लापरवाही व मिथ्या वादिता जाहिर करती है। क्योंकि अन्तिम बोली के वक्त हमेशा जब मवेशी को कार्यालय के सामने बाजार में खड़ा रखकर निलामी बोली लगाई जाती है तब फिर उस वक्त भी पूछने की क्यों जरूरत पड़ी? श्री सेक्रेटरी के यहां न होने को यह मतलब थोड़े ही है कि पीछे का सारा कार्य बन्द हो जाय। यह सब सायल की बार-बार लापरवाही एवं मिथ्या वादिता जाहिर करती है। बोर्ड ऐसे कर्मचारियों को एक जिम्मेदार पोस्ट पर नोकर रखे रखना जो कि बोर्ड की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाने वाला हो, कार्य में पूर्ण लापरवाह हो, मिथ्यावादी को उचित नहीं समझता। ऐसा आदमी जिसको कई मौके मिलने पर भी अपनी आदत में सुधार नहीं कर सकता वह आगे भी बोर्ड के कार्य में हर्ज पहुँचाने वाला व धोका देने वाला ही साबित होगा।

कई एक आदेश ऐसे भी होते हैं जो जमादार और चपरासी को जबानी ही देने पड़ते हैं। चपरासी जमादार की पोस्ट एक बहुत जिम्मेवार पोस्ट है एवं विश्वास लायक पोस्ट है, कारण कई एकबातों के लिये बोर्ड को इनकी रिपोर्ट पर ही निर्भर करना पड़ता है।

अतः इन सब बातों पर गौर करने के बाद व दूसरा कोई उपाय बोर्ड के पास न होने की स्थिति में व बोर्ड के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से चलाये जाने के लिये बोर्ड सर्व सम्मति से तय करता है कि :

१. श्री रामस्वरूप को फौरन नगरपालिका की नोकरी से पृथक किया जावे।

२. भविष्य में फिर कभी नगरपालिका की नोकरी में नहीं रखा जावे।

३. एक गेंती जो कम पड़ती है उसकी कीमत रामस्वरूप से वसूल की जावे।

४. सायल के स्थान पर दूसरा आदमी रखा जावे।

कागजात बाद तामीलें फाइल हो दिनांक ९-५-५६

ह० श्री मोडूलाल स्वर्णकार	ह० माधोलाल गुप्त
ह० श्री हीरालाल	प्रधान
ह० श्री जवाहरमल	नगरपालिका, सरवाड़।

Page No 132

प्रतिलिपि आदेश बाबत श्री अब्दुलहकीम शेख का नगरपालिका की
नौकरी से पृथक किया गया कि :

आफिस आर्डर

नगर पालिका, सरवाड
क्रमांक ८२२
दिनांक १०. १०. ५६
आर. डी.

श्री सेक्रेट्रीजी बालकृष्ण जी,

जरिये हाजा आपको सूचित किया जाता है कि क्लर्क अब्दुल हकीम शेख, नगरपालिका के कार्य से मुझे पूर्ण असन्तोष है इसलिये उनको ता० ११. १०. ५६. से नगरपालिका की सेवा से मुक्त किया जाता है। उनके जुम्मे का चार्ज आप सम्भालें या अपनी जुम्मेवारी पर किसी दूसरे को फौरन सम्भलाकर इत्तला दिरावें ताकि मैं दीगर क्लर्क का इन्तजाम करूं। फकत तारीख १०. १०. ५६.

ह० महता मदनसिंह
प्रधान
नगरपालिका, सरवाड़।

शुद्धि—पत्र

कार्य—विवरण दिनांक १२ दिसम्बर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७०१	२	श्री मानसंह महार	श्री मानसिंह महार
७०४	१६	श्री धमपाल पंवार	श्री धर्मपाल पंवार
७२६	शीर्षक	विशेषाधिकार	विशेषाधिकार प्रश्न
७२६	१०	yery	very
७३१	शीर्षक	द्वारा	द्वारा
७३७	शीर्षक	नर्माण	निर्माण
७४१	,,	नीर्वाह	निर्वाह
७४४	१२	श्री भीगीलाल पंड्या	श्री भोगीलाल पंड्या
७६५	शीर्षक	कर्मारियों	कर्मचारियों
७६७	२३	भरुंदा	भेरूंदा

कृपया पृष्ठ संख्या ७४१ से ७४६ तक के शीर्षक को इस प्रकार पढ़ें—

'भिक्षावृत्ति रोकने एवं अपाहिजों इत्यादि के निर्वाह सम्बन्धी अशासकीय संकल्प'

कृपया पृष्ठ संख्या ७४७ से ७६१ तक के शीर्षक को इस प्रकार पढ़ें—

'निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अजमेर वालों के समान करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प'